खण्ड-224, अंक-5
शुक्रवार, 22 वैशाख, शक संवत् 1883
(12 मई, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४०

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छतरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारा देवी, डाक्टर
तिरलोकसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीननारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधर्री पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थारम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलहसन, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रनाथ वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबक्शसिंह, श्री

हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा नियुक्त सहायक अनुदान संहिता समिति की सिफारिशें

१—श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अभी हाल में भारत सरकार ने राज्य सरकार के पास केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड द्वारा नियुक्त सहायक अनुदान संहिता समिति की सिफारिशें कुछ ठोस सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणित करने के लिये भेजी हैं ?

समाजकल्याण उप मंत्री (श्रीमती प्रकशावती-सूद)—जी नहीं ।

२—श्री रामदुलारे मिश्र**—यदि हां, तो उपर्युक्त सिफारिशें क्या हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा नियुक्त सहायक अनुदान संहिता समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई हाल में पत्र-व्यवहार हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—केवल सहायक अनुदान संहिता समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में सन् १९६० में केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित किया था और उस समिति की बैठक में भाग लेने के लिये राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था । राज्य सरकार की ओर से भूतपूर्व उपनिदेशक श्री दुबे समिति की बैठक में भाग लेने के लिये नियुक्त किये गये थे जो दिनांक १२ अक्तूबर को नई दिल्ली में हुई थी । इस मीटिंग में श्री दुबे जी नहीं जा सके । उसके बाद से भारत सरकार ने उक्त समिति की कार्यवाही या सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई सूचना अभी तक राज्य सरकार को नहीं दी है ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार बतायेगी कि अक्तूबर में जो बैठक हुई थी उसमें क्या कार्यवाही हुई, उसकी कोई जानकारी राज्य सरकार को कराई गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, गौरा बरहज के विरुद्ध शिकायत की जांच

३—श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को मार्च, १९६१ के द्वितीय सप्ताह में देवरिया के विधायक द्वारा ऐसी शिकायत मिली है कि अध्यक्ष नगरपालिका, गौरा बरहज, जिला देवरिया ने अवैधानिक रूप से सराय मारकेट, बरहज की सड़क के मुकदमों में समझौता कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जी हां । उक्त शिकायत पर जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी गई थी जो कि शासन को प्राप्त हो गई है । उक्त रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता की शिकायत पर जिलाधीश से जो रिपोर्ट मांगी गई थी और जो कि शासन को प्राप्त हुई है, वह संक्षेप में क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जिलाधीश से जो रिपोर्ट आती है वह कान्फीडेंशल होती है । उसका जब तक परीक्षण न हो जाय तब तक उसको बताना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मुकदमा जो नगरपालिका गौरा बरहज का था उससे पहले ही जिलाधीश ने इन्क्वायरी करके स्पष्ट कर दिया था कि समझौते के लिये जो जमीन दी गई थी दूसरे पक्ष की वह गलत थी और जांच हो रही थी ? यदि हां, तो उस जांच के आधार पर क्यों नहीं फैसला किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय सदस्य ने शिकायत की थी, उस पर रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट आई और उसका एग्जामिनेशन हो रहा है । जब एग्जामिनेशन हो चुकेगा तो फैसला कर दिया जायगा ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी को पता है कि अध्यक्ष, नगरपालिका बरहज ने सराय मार्केट की पब्लिक रोड के मामले में जो मुकदमा चल रहा था उसे बिना बोर्ड के प्रापर रेजोल्यूशन के उठा लिया और समझौता कर लिया ? यदि हां, तो मंत्री जी ने उनके खिलाफ अभी तक कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश---मैंने निवेदन किया कि जब तक इस रिपोर्ट का कार्यालय में परीक्षण न हो जाय और जांच न कर ली जाय तब तक उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश की यह रिपोर्ट कार्यालय में कब मिल गई थी और मंत्री जी का विचार कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---ठीक दिनांक तो याद नहीं है लेकिन शायद पिछले महीने के अन्त में या इस महीने के शुरू में प्राप्त हुई थी । जब उसका परीक्षण हो जायगा तब फैसला हो जायगा ।

लखनऊ विश्वविद्यालय एक्जीक्यूटिव कौन्सिल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन क्रिमिनालाजी खोलने का प्रस्ताव

४---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)** तथा **श्री रामसुन्दर पण्डेय (जिला आजमगढ़)**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने ३० मई, १९६० को विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इनक्रिमिनालाजी खोलने के लिये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार करके उसके पास भेजा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षामंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---जी हां, उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय ने शासन को २६ अगस्त, १९६० को भेजा था । १० सितम्बर, १९६० को विश्वविद्यालय से कहा गया कि वह प्रथम ३ वर्ष में प्रस्ताव पर होने वाले अनुमानित आय-व्यय का ब्योरा भेजे ताकि मामले पर पूर्ण रूप से विचार किया जा सके । विश्वविद्यालय ने आवश्यक सूचना १३ अप्रैल, १९६१ को भेजी है । अतः अग्रिम कार्यवाही इस प्रस्ताव पर अब की जा रही है ।

श्री विश्रामराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विश्वविद्यालय को सरकार की ओर से क्या लिख गया था और सूचना क्या मिली है ?

आचार्य जुगलकिशोर---सरकार की ओर से यह लिखा गया था कि इसका आय-व्यय कितना होगा । उसका ब्योरा उन्होंने हमारे पास भेजा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कोर्स के खुलने में विश्वविद्यालय ने कितने रुपये का खर्च भेजा है और उसमें सरकार का कितना हिस्सा होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---उन्होंने लिखा है कि प्रथम वर्ष में ९ हजार और दूसरे वर्ष में १३,५०० रुपया खर्च होगा । आमदनी के लिये कहा है कि इससे ज्यादा आमदनी होगी। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करके निर्णय करेगी कि जो फिगर्स उन्होंने दी हैं वे ठीक हैं या नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार अपना फैसला मई तक कर देगी जिससे विश्वविद्यालय खुलने से पहले यह आदेश दिये जा सकें कि यह कोर्स खोल दिया जाय है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, कोशिश की जायगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार ने इस औचित्य को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन क्रिमिनोलाजी को यूनिवर्सिटी में खोला जाय और ग्रेजुएट क्लासेज की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में हो रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---यह तो विश्वविद्यालय की तरफ से निश्चय किया जाता है और अनुदान के लिये गवर्नमेंट के पास आता है तब गवर्नमेंट विचार करती है कि अनुदान दिया जा सकता है या नहीं । जहां तक नीति का सवाल है वह विश्वविद्यालय ही निश्चय करता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या विश्वविद्यालय ने यह भी लिखा था कि इस कोर्स को खोलने में सरकार का कोई रुपया व्यय नहीं होगा इसलिये इस कोर्स को खोलने की इजाजत दी जाय लेकिन फिर भी एक साल से यह मामला सरकार के पास पड़ा हुआ है और कोई आदेश नहीं दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर---यह फिगर्स तो विश्वविद्यालय की तरफ से आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट यह जानना चाहती है कि जो फिगर्स आई हैं वह सही हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि साल भर से मामला पड़ा है ।

आचार्य जुगलकिशोर---अभी, अप्रैल, १९६१ में ही उनका जवाब आया है कि यह खर्चा होगा ।

शिक्षा विभाग, अन्तरिम जिला परिषद् अल्मोड़ा के विरुद्ध शिकायत

****५---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें या उनके सचिव को, प्रश्नकर्त्ता के पत्र समेत प्रश्नकर्त्ता द्वारा अध्यक्ष अन्तरिम व जिला परिषद् व जिलाधीश अल्मोड़ा के नाम भेजे गये पत्र डी० ओ० नं०ई०-२१/६१ दिनांक १७ जनवरी १९६१ की प्रतिलिपि मिली थी जिसमें परिषद् के अध्यापकों की गलत बदलियां शिक्षा विभाग अल्मोड़ा द्वारा किये गये गलत कार्यों व गलत व फर्जी कागजों के बनाये जाने की बाबत लिखा गया था ? अगर हां, तो क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां । उसकी जांच की जा रही है ।

आम चुनाव की तिथियों के संबंध में सुझाव

****६---श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर) तथा **श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने निर्वाचन आयोग को सन् १९६२ ई० में प्रदेश में होने वाले आम चुनाव के लिये किन तिथियों का सुझाव दिया है ?

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई सुझाव निर्वाचन आयोग को नहीं भेजे गये हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री माताप्रसाद---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को कोई ऐसा सुझाव दिया है कि चूंकि हरिद्वार में ४ मार्च से कुम्भ पड़ रहा है जिसके लिये पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी इसलिये निर्वाचन फरवरी में ही समाप्त कर दिया जाय ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---अभी हमने कुछ भी नहीं कहा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

रोडवेज विभाग के कर्मचारी

* १---**श्री ऊदल (जिला वाराणसी)**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के रोडवेज विभाग में कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)---वांछित† सूचना सदन की मेज पर रखी गई है ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूची में १६,७९८ कर्मचारी हैं उनमें से ३,८८९ स्थायी किये गये हैं और १२,९०९ कर्मचारी अब तक अस्थायी हैं, इसका क्या कारण है और क्या सरकार उनको स्थायी करने पर विचार कर रही है ?

श्री कृपाशंकर---जब रोडवेज विभाग खुला तो सभी लोग अस्थायी रखे गये थे और कोई कायदे वगैरह नहीं बने थे । अब कुछ कायदे बन गये हैं और कुछ बन रहे हैं । रफ्ता रफ्ता सरकार का विचार है कि सभी को स्थायी कर दिया जाय ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस लिस्ट के अनुसार सभी बड़े कर्मचारी तो स्थायी कर दिये गये हैं लेकिन छोटे कर्मचारियों में जैसे मोची ७ हैं और सभी अस्थायी हैं, मेहतर बहुमत में अस्थायी हैं, मजदूर ७०० में से ५३५ अस्थायी हैं और चौकीदार ७९३ में से ५९० अस्थायी हैं, ज्यादातर कर्मचारी अस्थायी हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री कृपाशंकर---इसका कारण यह है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कुछ जगहों की जरूरत पड़ी इसलिये उन्होंने खुद ही भर्ती कर लिया और उस पर सरकार की मंजूरी नहीं हुई थी, इसलिये वे जगहें अस्थायी रहीं । ज्यों-ज्यों सरकार जगहों को मंजूर करती जाती है त्यों त्यों वे स्थायी होती जाती हैं ।

श्री उग्रसेन---परिवहन मंत्री जी ने बजट के समय कहा था कि प्रदेश में १३,९०० कर्मचारी परिवहन विभाग में अस्थायी हैं और अभी बताया गया कि १२,००० के करीब कर्मचारी अस्थायी हैं, तो कौन सा उत्तर सही है ?

श्री कृपाशंकर---जो इस लिस्ट में दिया है वही सही है ।

श्री ऊदल---केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर की इज्जत अच्छी बसेज बनाने के लिए हिन्दुस्तान भर में है लेकिन वहां पर १३९ कर्मचारियों में १०० अस्थायी हैं, तो क्या सरकार उनको स्थायी करने पर विचार करेगी ?

---

† सूचना छापी नहीं गई ।

श्री कृपाशंकर--जी हां ।

के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद से संबंधित भूमि

*२--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद में के० जी० के० कालेज ने १९५२ से १९५६ तक कितनी भूमि (लैंड) एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त की ? उसमें से कितने एकड़ जमीन पर इमारत बनी है और कितनी खाली पड़ी है ?

*३--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद के के० जी० के० कालेज ने पुनः १९५९ में कितनी एकड़ भूमि के लिये लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया है ? इससे कितने काश्तकार प्रभावित होंगे और इन ग्रामीण काश्तकारों को जीवन-यापन के लिये कहीं अन्यत्र भूमि दी जा रही है ?

आचार्यजुगलकिशोर--अभी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कालेज ने जमीन एक्वायर की थी वह खाली पड़ी है और उस पर मकान बनाना प्रारम्भ नहीं किया है इसलिये देरी हो रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस संबंध में जो गवर्नमेंट के पास सूचना आई है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सूचना यह है कि यहां पर मकान बन गया है और मैनेजर ने लिखा है कि मकान के लिये विश्वविद्यालय को प्रार्थना-पत्र भेजा गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--मंत्री जी ने कहा कि सूचना उपलब्ध नहीं है और अब कहते हैं कि सूचना उपलब्ध तो है परन्तु वह एक दूसरे के विरुद्ध है, तो इन दोनों में कौन सी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है कि सच्ची सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने उत्तर दिया है उसमें वह यह जोड़ना क्यों भूल गये कि सच्ची सूचना उपलब्ध नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मैं समझता हूं कि जो सूचना मिली है वह सच्ची सूचना है।

श्री ऊदल--मंत्री जी ने जो बताया कि कलेक्टर और मैनेजर की सूचना में मेल नहीं है तो क्या मंत्री जी स्वयं या किसी उपमंत्री या सभासचिव को भेज कर सही सूचना मंगाने की कोशिश करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--कोशिश हो रही है कि सही सूचना प्राप्त हो जाय ।

*४-५--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में श्री आर० आर० वैश्य द्वारा ठेकेदार को अधिक पेमेंट

*६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनरल मैनेजर, रोडवेज कानपुर रीजन के कार्यालय से कानपुर

रोडवेज के किसी कर्मचारी को छिबरामऊ और विवार बस स्टेशनों पर हुये कार्य में ठेकेदार को अधिक भुगतान हो जाने से संबंधित पत्र सं० के०-आर०/ई०/एस० टी०/पी० एफ०-२०४२५, दिनांक २९ नवम्बर, १९६० को लिखा गया है ?

श्री कृपाशंकर--जी हां ।

*७--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो उपर्युक्त ठेकेदार द्वारा क्या कार्य किये गये थे और किस कर्मचारी की गलती से किस प्रकार का (नकद या सामान) अधिक पेमेंट किस तारीख में किया गया तथा अधिक पेमेंट की सूचना सर्वप्रथम किस पद के कर्मचारी द्वारा किस उच्च पदाधिकारी से प्राप्त हुई ? उसके पश्चात् क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृपाशंकर--भूतपूर्व ओवरसीयर श्री आर० आर० वैश्य की गलती से ठेकेदार को जो अधिक पेमेंट हुआ और अधिक सामान दिया गया उसकी तथा ठेके पर दिये गये इमारती कामों की सूची† रखी है । सहायक परिवहन आयुक्त (भवन) ने सबसे पहले इस गलती का पता लगाया तथा इसकी सूचना जनरल मैनेजर कानपुर को दी । ओवरसीयर से जवाब तलब किया गया और उसकी तनख्वाह आदि रोक ली गई । ठेकेदार के बकाया बिल और जमानत की रकम मामले के तय होने तक रोक ली गयी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मैंने पूछा कि सर्वप्रथम किस अधिकारी ने सूचना दी और यह तारीख कौन सी थी ? वह तारीख कृपा कर मंत्री जी बता दें ।

श्री कृपाशंकर--२२-११-५९ को जब वह मुआयना करने गये ठेकेदार के साथ तभी यह मालूम हुआ ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ओवरसीयर ने १५-१२-६० को जो जवाब दिया है उसमें उसने १५-१-५९ को भेजी गई सूचना की चर्चा की है कि ठेकेदार बाजार में माल बेच रहा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृपाशंकर--इसकी सूचना तो नहीं है ।

श्री ऊदल--मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी कर्मचारी की गलती से जो ज्यादा भुगतान हुआ वह कितना था ?

श्री कृपाशंकर--यह १०,४४८.१० रुपये था ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अधिक भुगतान हो गया है उसकी वापसी हो गई है या अभी नहीं हुई ?

श्री कृपाशंकर--अभी वापसी नहीं हुई है, रुपया मांगा जा रहा है और जितना अधिक भुगतान हुआ है उससे ज्यादा रकम रोक ली गई है । उम्मीद है कि वह रकम वापस मिल जायगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अधिक भुगतान हो गया है उसकी वापसी कब तक हो जायगी और जिस के द्वारा यह अधिक भुगतान किया गया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृपाशंकर--अभी तो मैंने बताया कि ओवरसीयर का जो टी० ए० आदि का रुपया था या पेबिल था वह रोक लिया गया है । यह ओवरसीयर की गलती से हुआ है, उसने इस्तीफा दे दिया है लेकिन उसका वेतन का हुआ है । और जांच के बाद उसकी गलती साबित हुई तो जरूरी कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

कुंवर श्रीपालसिंह——श्रीमन्, कुछ समझ में नहीं आया कि मंत्री जी ने क्या कहा, मैं तो कुछ नहीं समझ पाया, आप भी शायद न समझ पाये होंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर—कुछ भी समझ में नहीं आया, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष——मैं तो समझ गया, वह कह रहे हैं कि हम इन्क्वायरी करा रहे हैं और फिलहाल उस ओवरसीयर का रुपया रोक रखा है और जब इन्कवायरी पूरी हो जायगी तब आगे की कार्यवाही की जायगी ।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में वेटिंग लिस्ट में प्रशिक्षित कण्डक्टर

*८——**श्री उग्रसेन**——क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन में दिसम्बर, १९५८ में कितने प्रशिक्षित कंडक्टर वेटिंग लिस्ट में थे ?

श्री कृपाशंकर——५५ ।

*९——**श्री उग्रसेन**——क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उन प्रशिक्षित कंडक्टरों में से कितने काम पर लिये जा चुके हैं और कितने अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं ?

श्री कृपाशंकर——४१ । बाकी १४ व्यक्तियों का नाम वेटिंग लिस्ट से हटा दिया गया ।

श्री उग्रसेन——क्या मंत्री जी बताएंगे कि १४ आदमियों का नाम वेटिंग लिस्ट से क्यों हटा दिया गया है ?

श्री कृपाशंकर——इनमें १२ आदमी ५ मार्च, ५९ को जो इन्टरव्यू हुआ था उसमें आए नहीं इसलिये हटा दिये गये और बाकी २ शार्ट वेकेंसीज में थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आया इसलिये उन्हें हटा दिया गया ।

श्री उग्रसेन——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब ये वेटिंग लिस्ट में थे, काम करते ही नहीं थे, तो २ लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कैसे आ गया ?

श्री कृपाशंकर——वेटिंग लिस्ट में जो आदमी होते हैं उनको कभी-कभी मौका मिल जाता है ।

श्री उग्रसेन——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन २ व्यक्तियों को कितने महीने लीव वेकेन्सी वगैरह में काम मिला था ?

श्री कृपाशंकर——इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री शिवप्रसाद नागर——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन २ व्यक्तियों को कुछ आरोप लगाकर निकाल दिया गया है वह वेटिंग लिष्ट में ही रहे हैं, एक दिन भी ड्यूटी पर नहीं गये, और महज इसलिये कि वह कैन्डीडेट्स लिस्ट में थे और दूसरों को प्रोवाइड करना था, इसलिये उन्हें निकाल दिया गया ?

श्री कृपाशंकर——जो वेटिंग लिस्ट में आदमी होते हैं और टेम्पोरेरिली काम करते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, शिकायत आए तो निकाले जा सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा——क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जो १२ आदमियों का दुबारा इम्तहान हुआ, तो इतने दिनों तक उन्हें वेटिंग लिस्ट में क्यों रखा गया और फिर इम्तहान लेने की क्या जरूरत पड़ गई ?

श्री कृपाशंकर——पहले उनका नाम था, तकर्रुर करने के लिये, फिर से इंटरव्यू किया गया कि ठीक हैं या नहीं और वह उसमें नहीं आए ।

श्री उग्रसेन---वेटिंग लिस्ट में सन् ५८ से कंडक्टर्स चले आ रहे हैं, तो क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि ये जो ५५ लोग वेटिंग लिस्ट में थे वह तो उसी में रहे और ३०-३५ नए व्यक्ति रख लिये गये जो वेटिंग लिस्ट में थे ही नहीं ?

श्री कृपाशंकर---ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में क्लर्कों की भर्ती

*१०---श्री उग्रसेन---क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में परिवहन विभाग में जनरल क्लर्क की कितनी जगहों की मंजूरी १९५९-६० तथा १९६०-६१ में दी गई । उनमें से अब तक कितनी जगहों पर स्थायी नियुक्तियां कर दी गई हैं और कितनी जगहें अब भी खाली हैं ?

श्री कृपाशंकर---वांछित सूचना संलग्न सूची मे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६९ पर)

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक ४ जगह खाली हैं और इतने दिन हो गये वह भरी नहीं गईं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री कृपाशंकर---४ जगहें जो खाली हैं ये पैसा बचाने के खयाल से हैं । इनका काम कुछ और लोगों से लिया जाता है और ऐसा किया गया है जिसमें काम का हर्ज भी न हो और किसी को ज्यादा काम भी न करना पड़े । जब तक यह प्रबन्ध चल सकेगा चलाया जाएगा और नहीं चल सकेगा तो जगहें भर ली जाएंगी ।

श्री उग्रसेन---सूचना यह दी गई है कि ५९-६० में कुल जगहें मंजूर हुई ६ मगर भरी गई २ और ६०-६१ में मंजूर हुई १ और भरी गई १ और ४ जगहें ५९-६० से खाली रहीं, तो क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इन ४ जगहों पर पहले से क्लर्क काम करते थे मगर उनको इन वेकेंसीज के अगेन्स्ट स्थायी नहीं किया गया ?

श्री कृपाशंकर---मेरे पास जो सूचना है वह यही है कि ४ जगहें खाली हैं और उनका काम जो और लोग हैं उनसे कराया जाता है इस खयाल से कि पैसा बच जाय ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी अब विभाग को यह आदेश देंगे कि जिन लोगों ने सन् १९५९ से आज तक उस पद पर उस विभाग में काम किया है उन्हीं ४ व्यक्तियों को स्थायी किया जाय ?

श्री कृपाशंकर---जब यह सवाल आ येगा कि यह जगहें भर दी जायं तो जरूर उनका ख्याल किया जायगा ।

श्री उग्रसेन---मैं समझा नहीं, श्रीमन् ।

श्री कृपाशंकर---जब जरूरत पैदा होगी कि इन जगहों को भर दिया जाय तो जिनका हक होगा उनको दे दी जायेंगी ।

एक सदस्य---समझ में नहीं आया, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष---वह कह रहे हैं कि जब भरने का वक्त आयेगा तो जिनका हक होगा उनको दे दी जायेंगी ।

इलाहाबाद रोडवज क्षत्र में लिपिकों के स्थान पर काम करने वाले कण्डक्टरों का वेतन

*११--श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)--क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद राजकीय रोडवेज विभाग के क्षेत्र में कितने ऐसे कन्डक्टर हैं जिन्होंने १९४९ से लेकर १९५५ तक कार्यालयों में लिपिक का कार्य किया है पर उन्हें वेतन कण्डक्टर का ही दिया गया है?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--९३ ।

*१२--श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)--क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त प्रकार के लिपिकों ने यातायात कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के यहां वेतन तथा आफिशियेटिंग एलाउन्स के लिये प्रार्थना-पत्र १९४९ से १९६० के बीच में कई बार दिया पर इस विषय में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां । कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये थे जिन पर निर्णय ले लिया गया ।

लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर बस के किराये में कमी करने का विचार

*१३--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राजकीय रोडवेज के लखनऊ-सीतापुर मार्ग के बस के किराये में कानपुर-लखनऊ मार्ग के मुकाबले में जो अधिकता है उसको कम किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है । यदि हां, तो लखनऊ-सीतापुर रोड पर चलने वाली बसों का वर्तमान किराया कब तक कम हो जायेगा ?

श्री कृपाशंकर--जी हां । इस सिलसिले में जल्दी निर्णय हो जाने की आशा है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मंत्री जी इस निर्णय को जल्दी लेने की इसलिये कृपा करेंगे कि आजकल सहालग के दिन हैं लोगों को कम किराया देना पड़े ?

श्री कृपाशंकर--जी हां, यह बहुत जल्दी हो जायगा ।

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, काशीपुर की अध्यापिकाओं से सम्बन्धित गबन का मामला

*१४--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, काशीपुर, जिला नैनीताल में कितनी अध्यापिकायें ऐसी थीं जिनके ऊपर विगत २ वर्षों (१९५८-५९ व १९५९-६०) में गबन के मामले चले और उनसे गबन के रुपये की वसूली हो जाने पर फिर उन्हें होम सेन्टर (घर के नजदीक के विद्यालय में) स्थानान्तरित किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री खुशीराम--मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना इसी सत्र के १३ वें शुक्रवार तक एकत्रित हो जायगी या और ज्यादा टाइम लगेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--मैं सवाल समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष--वह पूछ रहे हैं कि इसी सत्र में सूचना एकत्रित हो जायगी या और समय लगेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--हमारी बहुत कोशिश हो रही है कि वह सूचना प्राप्त हो जाय। उनको कई रिमाइन्डर्स भी भेज दिये हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मंत्री जी बतायेंगे कि २० अप्रैल को यह सवाल चला गया था और काशीपुर के स्कूल का केवल सवाल है और वह भी गबन से संबंधित है कि ऐसे मुकदमे किस पर चले, तो सूचना एकत्र करने में इतना विलम्ब क्यों लगाया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जैसा मैंने अभी कहा निदेशक शिक्षा को अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिये हमारे पास नहीं भेज सके हैं।

श्री चन्दजीत यादव--इस सम्बन्ध में अगर सच्ची सूचना नहीं प्राप्त हुई तो कच्ची सूचना देने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--न तो सच्ची सूचना प्राप्त हुई है, न कच्ची ही।

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में छात्राध्यापक

*१५--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ से प्रत्येक वर्ष कितने मास्टर ट्रेनिंग पाते हैं तथा ट्रेनिंग प्रारम्भ करने का उद्देश्य क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रति वर्ष ५० छात्राध्यापकों को छात्रवृति सहित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। विशेष परिस्थितियों में कुछ अधिक छात्राध्यापक भी प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं किन्तु उन्हें छात्रवृति नहीं दी जाती। कृषि तथा रचनात्मक विषयों को पढ़ाने के लिये अध्यापक तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है।

*१६--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या यह सही है कि प्रदेश में ऐसे विद्यालय बहुत कम हैं जिनमें कि क्राफ्ट्स पढ़ाई जाती है ? यदि हां, तो सरकार इन टीचर्स के नियोजन के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां; हाई स्कूल, इन्टर कालेज तथा नार्मल स्कूल में शिल्प तथा कृषि अध्यापक के पद पर नियुक्ति उन्हीं अध्यापकों में से की जाती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मन्त्री जी बतायेंगे कि जब यह ५० अध्यापकों को शिक्षण देने की योजना बनाई गई थी तब सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि इन अध्यापकों को कहां पर नौकर रखा जायगा जबकि क्राफ्ट्स के स्कूल प्रदेश में बहुत कम थे ?

आचार्य जुगलकिशोर--क्राफ्ट्स के स्कूल काफी तादाद में हैं। जितने विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है उसके मुताबिक काफी ऐसे स्कूल हैं जहां उनकी नियुक्ति हो जाती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मन्त्री जी ने बताया कि इन स्कूलों की कमी है और अभी जो उत्तर दिया कि काफी क्राफ्ट्स के स्कूल हैं तो कितने स्कूल हैं और जो साल में ५० छात्राध्यापक निकलते हैं वह सब लग गये या उनमें कोई बाकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--करीब ३९५ हाई स्कूल और इन्टर मीडिएट स्कूल्स हैं जहां पर क्राफ्टस की टीचिंग दी जाती है। यह तो नहीं कहता कि सब लग गये। लेकिन कोई दिक्कत हमें अभी तक नहीं मालूम पड़ी है उनके नौकरी मिलने

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर पुनर्विचार करके कि जो ऋाफ्टस के स्कूल उन्होंने बताये हैं उनमें जो अध्यापक नौकरी पर नहीं लगे हैं उनको नौकरी पर लगाने का कोई निश्चित आश्वासन देंगे जिससे भविष्य में बेकारी न बढ़े ?

आचार्य जुगलकिशोर--आश्वासन देना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन खयाल यह है कि ऐसे बहुत कम अध्यापक होंगे जिनको नियुक्ति न प्राप्त हुई हो।

बदरीनाथ व केदारनाथ की यात्रा में सुविधा देने के लिये देहरादून में रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिस खुलना

*१७--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने केदार व बदरी के यात्रियों की सुविधा के लिये देहरादून में कोई नया परिवहन क्षेत्र (Zone) कायम करने का विचार किया है ? यदि हां तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां। देहरादून के मौजूदा सब रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस को रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस बनाने का फैसला किया गया है। इस आफिस के अन्तर्गत देहरादून, सहारनपुर तथा कुछ दूसरे पहाड़ी जिलों के रजिस्ट्रेशन, टैक्स और लाइसेन्स बनाने के काम के अलावा बदरीनाथ, केदारनाथ आदि स्थानों की तीर्थ यात्रा का समुचित प्रबन्ध करना होगा।

मेंहदावल, बस स्टेशन बनवाने का आश्वासन

*१८--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार को पता है कि मेहदावल (बस्ती) में रोडवेज बस स्टेशन बनाने के लिये जमीन एक्वायर कर ली गई है और उसका कब्जा भी सरकार को मिल गया है। यदि हां तो मेंहदावल में रोडवेज का स्टेशन कब तक बन जायगा ?

श्री कृपाशंकर--जी हां। उम्मीद है कि इस साल बस स्टेशन बन कर तैयार हो जावेगा।

*१९--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती दुधारा- मेंहदावल सड़क पर सरकारी बसों के चलाने में क्या कठिनाई है ? उक्त सड़क पर कब तक बसें चलने लगेंगी ?

श्री कृपाशंकर--इस सड़क पर सरकारी बसें चलाये जाने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजाराम शर्मा--माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बस स्टेशन बनना शुरू हो गया है ? अगर नहीं तो कब तक काम प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री कृपाशंकर--यह तो मैं नहीं कह सकता कि काम शुरू हो गया है या नहीं लेकिन सन् ६१--६२ में इसके मुकम्मल हो जाने की आशा है।

श्री ऊदल--माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बस्ती-दुधारा-मेंहदावल सड़क पक्की है ? यदि हां तो क्या सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया है ?

श्रीकृपाशंकर--यह सड़क पहले कच्ची थी और अभी हाल में ही पक्की हुई है। अब जब तक यह समझ न लिया जाय कि बड़ी बसें जो सरकारी रोडवेज की हैं, वे उस पर चल सकती हैं, या नहीं तब तक इस प्रश्न पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है।

तेतरी बाजार, बस स्टेशन पर मुसाफिर खाना बनवाने का आश्वासन

*२०--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या वह तेतरी बाजार, बस स्टेशन पर मुसाफिरों के ठहरने के लिय व बस स्टेशन के कर्मचारियों को कार्य करने के लिये कोई भवन निर्माण कराने पर विचार कर रही है ?

श्री कृपाशंकर---जी हां।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण का कार्य कब से शुरू हो जायगा ?

श्री कृपाशंकर---जल्दी ही शुरू होने वाला है जमीन ले ली गई है और उसका नक्शा वगैरह भी बन गया है। सब कुछ हो गया है सिर्फ काम शुरू होने को है।

श्री मदनपांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक यह भवन नहीं बनता है कर्मचारियों के ठहरने के लिये उस वक्त तक क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री कृपाशंकर---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को साफ करेंगे कि जो भवन निर्माण होने जा रहा है कर्मचारियों के लिये, यह उनके आवास के लिये है या उनका मतलब रनिंग रूम से है ?

श्री कृपाशंकर---यह मुसाफिरों के लिये है।

माडल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में अन्तर

*२१---श्री भीमसेन (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार के नये तथा पुराने माडल स्कूलों के सहायक अध्यापकों के वेतन-क्रमों में अन्तर है? यदि हां तो क्या और क्यों ?

आचार्य जुगलकशोर---जी हां, पुराने माडल स्कूलों के सहायक अध्यापकों का वेतन-क्रम रु० ४५-२-६५-द० रो० ३-८० है तथा नये माडल स्कूल जो द्वितीय पचवर्षीय योजना में खोले गये हैं उनके सहायक अध्यापकों का वेतन-क्रम रु० ६०-४-८० द० रो० ५-१२० है।

नये माडल स्कूलों में जे० टी० सी० अध्यापक हैं और पुराने माडल स्कूलों में दो अध्यापकों के अलावा शेष अध्यापक एच० टी० सी०, बी० टी० सी० हैं। जे० टी० सी० की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है और एच० टी० सी० की जूनियर हाई स्कूल है।

*२२---श्री भीमसेन---क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पुराने माडल स्कूलों के सहायक अध्यापकों के वेतन-क्रम में भी परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह सम्भवतः कब तक इस प्रश्न पर निर्णय ले लेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस विषय में अध्यापकों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुझसे अभी हाल में ही मिला और उनके स्मृतिपत्र (memorandum) पर विचार हो रहा है।

मूक बधिर विद्यालय

*२३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल गूगें, बहिरों तथा अन्धों के हैं जिनको सरकार चलाती है या अनुदान देती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--प्रदेश में शासन द्वारा संचालित गूंगे, बहिरों तथा अन्धों के स्कूलों की संख्या ४ है तथा अनुदान प्राप्त स्कूलों की संख्या २० है।

*२४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में गूंगे, बहिरों का जो स्कूल है उसको सरकार द्वारा कितनी कितनी सहायता १९५८-५९ तथा १९५९-६० में किस रूप में दी गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--मूक, वधिर, विद्यालय इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में १२,५५६ रु० तथा १९५९-६० में १०,५५६ रु० की सहायता सामान्य व्यवस्था हेतु दी गई थी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या कितनी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गूंगे, बहरे और अन्धे बच्चों को, जो सरकार प्रशिक्षित करती है तो उनके प्रशिक्षण के बाद उनके एम्पलायमेंट के लिये भी सरकार कोई प्राथमिकता उनको देती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--अभी तक तो उसका कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह जो इलाहाबाद नगर के स्कूल के लिये ५८-५९ में सहायता दी गई उससे जो ५९-६० में सहायता दी गई वह दो हजार रुपये कम दी गई , तो इसका क्या कारण है ? क्या लड़के कम हो गये थे या और कोई दूसरे कारण थे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--इसका कारण यह है कि वहां का प्रबन्ध उचित नहीं समझा गया। चुनांचे आदेश दिया गया कि इन नियमों के अनुसार वहां का प्रबन्ध वह करें। जब उन्होंने प्रबन्ध नियमानुसार कर लिया तो ६०-६१ में उन्हें पूरा अनुदान दे दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव--इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो गूंग, बहरे और अन्धे शारीरिक रूप से अक्षम हैं और निराश्रित भी हैं उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से कोई रोजी मिल सके, क्या इसके ऊपर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जहां तक गूंगे और बहरों का प्रश्न है प्रान्त के अन्दर बहुत से स्कूल हैं जिनमें उनकी शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें नौकरी मिल सकती है। अगर संख्या ज्यादा हो जायगी तो अवश्य ही सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको कहीं न कहीं नौकरी दी जाय ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन स्कूलों को बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई योजना रखी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--अभी तक तो कोई निश्चित बात इसके लिये नहीं रखी गई है।

श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी की प्रबन्धक समिति द्वारा पुर्नियुक्ति के आदेश का पालन न करना

*२५—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल की प्रबन्धक कमेटी ने २५ सितम्बर, १९५९ में शिक्षा विभाग द्वारा कुछ अध्यापकों की पुर्नियुक्ति किये जाने हेतु दिये गये आदेश का पालन नहीं किया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि यह २५ सितम्बर, १९५९ का, जो शिक्षा विभाग का हुक्म है, वह क्या है?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे इस वक्त तो यहां कोई मिल नहीं रहा है। बाद में दे सकूंगा।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन, प्रश्न यह है कि, क्या श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल की प्रबन्धक कमेटी ने २५ सितम्बर, १९५९ में शिक्षा विभाग द्वारा कुछ अध्यापकों की पुर्नियुक्ति किये जाने हेतु दिये गये आदेश का पालन नहीं किया है, हम यह पूछते हैं। वह कहते हैं कि सूचना एकत्र कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि २५ सितम्बर, सन् ५९ में शिक्षा विभाग द्वारा क्या हुक्म हुआ, वह मन्त्री जी कृपया बतायें?

श्री अध्यक्ष—(शिक्षा मन्त्री से) वह क्या आज्ञा हुई जिसके पालन के सम्बन्ध में पूछा गया है, यह वह जानना चाहते हैं।

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिये मुझे सूचना चाहिये। इस वक्त फाइल में वह आज्ञा नहीं है। लेकिन यह मैं बतला देना चाहता हूं कि यह जो आज्ञायें सरकार की ओर से दी जाती हैं कि किन हालात में पुर्नियुक्ति की जाय या उनको कैसे हटाया जाय, इसके लिये कुछ नियम बने हुये हैं। उन नियमों में एक नियम यह है कि अगर मैनेजमेंट किसी अध्यापक को निकालता है तो डी० आई० ओ० एस० से इजाजत लेनी पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर की आज्ञा के खिलाफ मैनेजमेंट को अख्तियार है कि वह ट्रिब्यूनल के पास, आर्बिट्रेशन के पास अपना केस भेज दे। इसमें काफी देर लग जाती है। इसलिये यह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि इसका क्या हुआ क्योंकि इस बीच में आर्बिट्रेशन कमेटी जो है वह स्थगित हो गई थी, काम नहीं कर रही थी किन्हीं करणों से।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मन्त्री जी से हमको नियम की जानकारी नहीं करनी है। वह कहते हैं कि आदेश का पालन हुआ या नहीं, का इसकी सूचना एकत्र कर रहे हैं, लेकिन वह आदेश क्या हुआ था इसकी कोई जानकारी वह हमें दे सकें तो दें और नहीं तो प्रश्न पोस्टपोन कर दीजिये। नियमों के सम्बन्ध में इनसे ज्यादा जानकारी हम रखते हैं।

श्री अध्यक्ष—उनके पास वह नहीं है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अभी उत्तर में बताया कि आज्ञा देने के बाद सब बातों की जानकारी इंसपेक्टर से की जाती है कि पुर्नियुक्ति की जाय या न की जाय, तो इन तमाम बातों की जानकारी आज्ञा देने के बाद की जाती है या आज्ञा देने के पहले की जानी चाहिये?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक मुझे खयाल है यह आज्ञा दी गई थी कि अगर कोई मैनेजमेन्ट किसी व्यक्ति को निकाल दे और डी० आई० ओ० एस० उसकी स्वीकृति नहीं देता है तो उसको रखना चाहिये लेकिन उसके बाद कुछ अधिकार मैनेजमेंट को हैं कि मैनेजमेंट डी० आई० ओ० एस० के आर्डर के खिलाफ ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हैं। सम्भव है ट्रिब्यूनल के सामने मामला पड़ा हो। ट्रिब्यूनल कई महीने से काम नहीं कर रहा है।

श्री गौरीशंकर राय—यह आज्ञा वह नहीं देते हैं बल्कि यह नियम है और हम लोग सवाल पूछने जा रहे हैं निश्चित एक स्कूल [के बारे में। मन्त्री जी जनरलाइज कर रहे हैं। इसकी जानकारी हम लोगों को है। अब अगर उस आर्डर के सम्बन्ध में कुछ उनको जानकारी हो तो बतला दें नहीं तो कह दें कि उनको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

आचार्य जुगलकिशोर—इसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

रद्दे मजालिम ट्रस्ट, लखनऊ से विद्यार्थियों को वजीफा मिलने में देरी

*२६—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि रद्दे मजालिम ट्रस्ट, लखनऊ से, जो सहायता विद्यार्थियों आदि को दी जाती है, उसे गत जनवरी मास से क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री कृपाशंकर—रद्दे मजालिम के दो मुतवल्लियों में से एक मुतवल्ली श्री सादिक अली खां बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण वक्फ का काम नहीं कर सकते थे। शिया वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक मुतवल्ली के काम करने से हिसाब में कुछ गड़बड़ी होने का डर था। इसलिये ८ दिसम्बर, १९६० को बोर्ड ने यह आदेश दिया था कि कोई अदायगी न की जाय। जब यह महसूस किया गया कि इस आदेश से विद्यार्थियों आदि को तकलीफ होगी तो बोर्ड ने यह आदेश २५ जनवरी, १९६१ को वापस ले लिया परन्तु थोड़े दिन बाद ही श्री सादिक अली खां की जगह दूसरा मुतवल्ली नियुक्त करना पड़ा। केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के कागजात में अभी तक पुराने मुतवल्ली का नाम दर्ज है इसलिये चेक उन्हीं के नाम जारी होते रहे मगर वह भुनाये नहीं जा सकते थे। रिजर्व बैंक वगैरह को लिखा गया है कि वह अपने कागजात में नये मुतवल्ली का नाम दर्ज कर लें और चेक उन्हीं के नाम भेजें। ज्यों ही यह हो जायगा सहायता दी जाने लगेगी।

(श्री कृपाशंकर द्वारा उत्तर पढ़ने में कठिनाई अनुभव करने पर)

श्री शिवप्रसाद नागर—मेरा वैधानिक प्रश्न है। जब मंत्री और हम लोगों के बीच में कोई बात समझ में नहीं आती है तो मंत्री लोग कह दिया करते हैं कि हमारे कमरे में आ जाइये। कभी कभी अध्यक्ष महोदय भी कह दिया करते हैं कि हमारे कमरे में आजायं। इनकी बात यदि समझ में न आवे तो हम क्या करें? इसके लिये क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि पहले नये उपमंत्रियों की किसी कमरे में रिहर्सल हो जाया करे और तब फिर यहां सदन में आकर जवाब दिया करें?

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि नये के लिये आप कह सकते हैं। यह तो पुराने हैं।

श्री ऊदल—यह टाइप ठीक नहीं किया गया है। बहुत रद्दी टाइप है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ठीक से टाइप करा लिया करें।

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक मालूम होता है, लेकिन मंत्री जी को घर पर पहले उसे पढ़ कर ठीक कर लेना चाहिये। यह ज्यादा उचित होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि इन मजालिम ट्रस्ट में दोनों मुतवल्ली साल में एक बार मश विरा कर लेते हैं और उसके बाद उस फैसले के अनुसार वहां के बख्शी हर महीने, जिन लोगों को तनख्वाह वजीफे आदि देने होते हैं, वह दिया करते हैं ?

श्री कृपाशंकर---एक मुतवल्ली तो बीमार हैं, वह काम नहीं कर सके । एक ही वहां हैं और इसलिये बोर्ड ने यह समझा कि एक आदमी से काम ठीक नहीं होगा लिहाजा यह काम रुक गया ।

श्री त्रिलोकीसिंह---मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री मुझे जरा गौर से सुनें । क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह वजीफे एक बारानवाज खां नाम के शख्स हैं उनके लिखने पर बन्द हुए और फिर उन्हीं के लिखने पर डेढ़ महीने बाद उन्हें खोलने की इजाजत दे दी गयी ? इसकी शिकायत किसी और ने नहीं की सिर्फ एक शख्स ने की थी ।

श्री कृपाशंकर---मेरे पास ऐसी सूचना है कि बोर्ड ने हुक्म दिया था कि यह रुपया न दिया जाय और बाद में जब बोर्ड ने देखा कि इससे शिकायत हो रही है तो, जैसा मैंने अर्ज किया, उसने अपना आर्डर हटा लिया ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि बोर्ड में कितने सदस्य हैं और बारानवाज खां उस बोर्ड के कौन हैं ?

श्री कृपाशंकर---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । इस वक्त इतनी ही सूचना है कि वह बीमार हो गये थे ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने सदस्यों का नम्बर पूछा था ।

श्री कृपाशंकर---मैंने कहा कि इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नवाब सादिक अली खां की जगह पर १६ फरवरी, १९६१ को नवाब इंदरअली खां की नियुक्ति हो गयी है और अगर यह सही है तो यह ३ महीने क्यों लग रहे हैं और वक्फ के फैसले के बमूजिब लोगों को तनख्वाहें और वजीफे क्यों दिये नहीं जा सके ?

श्री कृपाशंकर---जी हां, उनकी तकर्रुरी हो गयी है लेकिन यह देर शायद इसलिये लग रही है कि कागजात वगैरह आने जाने में देरी लगती होगी ।

नवीन बस सर्विसों पर विचार

*२७---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन मार्गों पर वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में सरकारी बसें चलाई जायेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*२८---**श्री अमरनाथ** (अनुपस्थित)---क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि क्या रोडवेज विभाग के उन कन्डक्टरों तथा मोटर चालकों को कोई अतिरिक्त वेतन अथवा भत्ता देने का विचार सरकार करेगी जिनको निश्चित समय से अधिक काम करना पड़ता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--निर्धारित समय से अधिक काम करने के लिये कन्डक्टरों और मोटर ड्राइवरों को दुगना वेतन (Over time) दिया जाता है ।

[१२ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र के कर्मचारियों की आचरण तालिका में गलत प्रविष्टि की शिकायत

*१--श्री उग्रसेन--क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि क्या गोरखपुर रीजन के परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वर्ष १९६०-६१ में ऐसी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं कि उनकी आचरण तालिकाओं में ऐसे अधिकारियों ने प्रविष्टियां की हैं जिन्हें उक्त प्रविष्टियां करने का अधिकार न था और जिनके फलस्वरूप उनकी पदोन्नति रोक दी गई ? यदि हां तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृपाशंकर--वर्ष १९६०-६१ में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । सन् ५७ में एक इस प्रकार की शिकायत आई थी जिस पर जांच हो रही है ।

(प्रश्न का उत्तर पढ़ने में विलम्ब होने पर)

कुंवर श्रीपालसिंह--माननीय, आप धर्मसिंह जी को, जो उनके पास बैठे हैं, उत्तर पढ़ने की इजाजत दे दें । वे तो मजबूर हैं । (हँसी)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि शान्तिप्रपन्न शर्मा पढ़ सकते हैं, वे जनरल उप मंत्री हैं । (हँसी)

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, कुछ कर्मचारियों के करेक्टर रोल में एन्ट्री उन अधिकारियों ने कर दीं जिनको कि उसका अधिकार नहीं था, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उस संबंध में १९५७ में शिकायत की गयी थी तो अब तक सरकार ने उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री कृपाशंकर--इसमें एप्वाइंटिंग अथारिटी से रिपोर्ट मांगी गई है, उसके आने में देरी हुई जिसके कारण शीघ्र कार्यवाही न हो सकी ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार, इस बात को देखते हुये कि सन् १९५७ में शिकायत आई और अब तक कोई कार्यवाही उस संबंध में नहीं की गयी, इसके कारण जिन लोगों की पदोन्नति रुकी रही और जो भी क्षति इसके कारण हुई, उनकी उस क्षति को पूरा करने पर विचार करेगी ?

श्री कृपाशंकर--अगर उनका हक होगा तो विचार किया जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि इस संबंध में उनकी जांच रिपोर्ट तब मांगी गयी जब कि यह सवाल पूछा गया ?

श्री कृपाशंकर--जी हां ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे जंगल से बस्ती में कब आकर बसे ?

(हंसी--उत्तर नहीं दिया गया)

श्री देवनारायण भारतीय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे अधिकारी कौन थे जिन्होंने, अधिकार न होते हुये भी करेक्टर रोल में एन्ट्री कर दी ? उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष--अभी तो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय--भीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि वे अधिकारी कौन थे जिनको अधिकार न होते हुये भी उन्होंने एन्ट्री कर दी ?

श्री कृपाशंकर---नाम तो है नहीं मेरे पास इस समय ।

*२-३--**श्री गनेशचन्द काछी** (जिला मैनपुरी)--[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४-५--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६-७--**श्री अमरनाथ**--[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऐसोशिएटेड कालेजों के अध्यापकों की मांगें

*८--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** तथा **श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित कालेज-अध्यापक मंडल का डेपुटेशन मुख्य मंत्री से अप्रैल, १९६१ के दूसरे सप्ताह में मिला था ? यदि हां, तो उनकी कौन-कौन सी मांगें थीं तथा सरकार ने उन मांगों में कौन-कौन सी मांगों को मानने का आश्वासन दिया और कौन सी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, अध्यापक मंडल के सचिव को भेजे गए संलग्न† शासकीय पत्र में आवश्यक सूचना दी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि असोशिएटेड कालेज और एफिलिएटेड कालेज के अध्यापकों की तनख्वाह आपके समय में एक ही श्रेणी में क्यों रखी जा रही है जबकि अधिनियम में एफिलिएटेड कालेज के अध्यापकों का स्तर विश्वविद्यालय के अध्यापकों के स्तर के बराबर रखा गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मैं जहां तक आपके प्रश्न को समझ सका हूं वह यह है कि असोशिएटेड कालेजों के अध्यापकों का वेतन यूनिवर्सिटी के टीचर्स से भिन्न है और भिन्न होने का कारण यह है कि गवर्नमेंट के पास धन नहीं है कि उतना ही वेतन दें जितना कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स को दिया जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्रश्न यह है कि उत्तर में लिखा हुआ है कि असोशिएटेड कालेजों के टीचर्स का पे-स्केल बढ़ाने का प्रश्न आगरा और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कालेजों के टीचर्स के प्रश्न के साथ लिंक्ड है, तो अब यह देरी क्यों हो रही है जबकि असोशिएटेड कालेजों के टीचर्स का स्तर एफिलिएटेड कालेजों के टीचर्स के स्तर से ऊंचा है और वही स्थान उनको प्राप्त है जो एफिलिएटेड कालेजों के टीचर्स को है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जहां तक मुझे सूचना है, आगरा यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के असोशिएटेड कालेजों के टीचर्स के और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड टीचर्स के वेतन-क्रम में भिन्नता है । मेरा मतलब यह है कि दोनों में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज होती है और आगरा और गोरखपुर यूनिवर्सिटी दोनों एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज हैं और टीचिंग भी हैं । यदि लखनऊ में भी यह किया जाय तो संभव है कि वहां भी इस प्रकार की डिमांड आ जायगी ।

---

†पत्र छापी नहीं गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि सरकार की ओर से भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि लखनऊ और इलाहाबाद के असोशिएटेड कालेजेज के अध्यापकों को भी उसी प्रकार वेतन-क्रम देने में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा जैसा कि यूनिवर्सिटी में असोशिएटेड कालेजों के प्रोफेसर्स को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उस आश्वासन पर क्या कार्यवाही हुई ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे इस वक्त तो नहीं मालम है कि क्या आश्वासन दिया था । मैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर लूंगा और देखूंगा कि क्या आश्वासन दिया था ।

श्री भदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि डेपुटेशन की मांगों पर विचार करने का आश्वासन जब दिया गया था तो अब तक उस पर विचार करने के बाद कोई एक भी मांग ऐसी पायी गयी है जो स्वीकार की जाने लायक सरकार ने समझी हो ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है कि क्या आश्वासन दिया गया और कौन सी मांगें पूरी की गयी हैं और कौन नहीं पूरी की गयी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह अध्यापक मंडल जो मिला और मांगें पेश कीं, उनमें से कोई ऐसी भी मांगें हैं कि जिस पर वह विचार कर रहे हों ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस समय बताना संभव नहीं है । संभव है कुछ ऐसी हों जिन पर विचार किया जा सकता हो और कुछ ऐसी हों जो रह गयी हों और विचार न कर पाये हों ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—व्यवस्था का प्रश्न है । यह तो उत्तर में बारबार कह दिया जाता है "संभव है ऐसी मांगें हों", "संभव है रह गयी हों" इससे यह भी मालूम नहीं होता कि वह मांगें सरकार के सामने हैं भी या नहीं । तो आप व्यवस्था दें कि उत्तर स्पष्ट दिये जाया करें, यह नहीं कि 'संभव है ऐसा उन्होंने मांगा हो' और 'संभव है ऐसा सरकार ने दिया हो', यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—(आचार्य जुगल किशोर से) आपका जवाब यह है कि "अध्यापक मंडल के सचिव को भेजे गये संलग्न शासकीय पत्र में आवश्यक सूचना दी है" उसमें तो सूचना आपने दी है, अब वह यह पूछना चाहते हैं कि वह कौन सी विशेष मांग है, या मांगें हैं, जिन पर विचार हो रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—एक तो पांचवीं है—कालेजों के अध्यापकों का विश्वविद्यालय की बाडीज में प्रतिनिधित्व—इस पर शासन समयानुसार विचार करेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि चांसलर महोदय ने यह आदेश विश्वविद्यालय को दिया था कि मार्निंग और ईवनिंग क्लासेज यूनिवर्सिटीज में खुलेंगी ? यदि यह सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर दिया था तो फिर आटोनामी की बात माननीय मंत्री जी ने क्यों की, यह स्पष्ट करेंगे कि सदन में और इस संबंध में वाइस चांसलर महोदय को सरकार ने क्या लिखा था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक कि मार्निंग और ईवनिंग क्लासेज का संबंध है उसके बारे में मुझे तो नहीं मालूम कि चांसलर ने क्या आश्वासन दिया था लेकिन अभी हाल ही में जो मंडल मिला था उसमें उनसे कहा गया है कि यह यूनिवर्सिटी का मामला है और यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । संभव है चांसलर महोदय ने यूनिवर्सिटी की तरफ से यह बात कही हो ।

नोट :—तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*९—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद रोडवेज वर्कशाप में परिगणित जाति के कर्मचारी

*१०—श्री गनेशचन्द्र काछी (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद रोडवेज वर्कशाप में १ जनवरी, १९५९ से लेकर १ अप्रैल, १९६१ तक कितने नये कर्मचारी रक्खे गये और उनमें से परिगणित जाति की संख्या क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—१८३ । जिसमें ४० परिगणित जाति के हैं ।

*११-१३—श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—[चौदहवें गुरुवार में प्रश्न १०२-१०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

कानपुर-कालपी बस सर्विस जारी रखने की प्रार्थना

*१४—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित) (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर से कालपी जाने वाली रोडवेज की गाड़ियां १५ जून के बाद क्या यमुना नदी पार करके कालपी जा सकेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

*१५—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि रेल के पुल पर से ये रोडवेज की सवारी गाड़ियां आ जा सकें ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह संभव नहीं है ।

*१६—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो रोडवेज की सवारी गाड़ियां कानपुर से पुखरायां जाकर रुक जाती हैं, वे गाड़ियां पुखरायां से आगे अमरौझा ग्राम तक जो केवल ५ मील दूर है जा सकें (अमरौझा-कालपी रोड से एक मील पश्चिम है) ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

*१७—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१९—कुंवर श्रीपालसिंह—[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

वेश्यावृत्ति

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वेश्यावृत्ति से कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या १९५९-६० में कितनी थी और किस जिले में सबसे अधिक व किस जिले में सबसे कम थी ?

आचार्य जुगलकिशोर—अभी तक प्रदेश में कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि वेश्यावृत्ति से कमाने वाले व्यक्तियों की १९५९-६० में कितनी संख्या थी । अतः यह बताना संभव नहीं है कि किस जिले में वेश्यावृत्ति से कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक व किस जिले में सबसे कम थी ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कानपुर

*२१—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने कानपुर में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को तोड़ देने का निश्चय किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--- नहीं, ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है।

*२२--श्री शिवराम (जिला बिजनौर)---[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*२३--श्री गनेशचन्द्र काछी--[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४--श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--- [१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२६--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी --[१९ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

मरदह-गाजीपुर बस सर्विस

*२७--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)----क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मरदह से गाजीपुर जाने वाली प्रातःकालीन बस सर्विस उक्त मार्ग पर प्रारम्भ से अब तक लगातार कितने वर्षों तक रही?

श्री मुजफ्फर हसन---लगभग १० वर्षों तक।

*२८--- श्री यमुनासिंह तथा श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह बस सर्विस कुछ काल से क्यों बन्द कर दी गई है?

श्री मुजफ्फर हसन--यह सर्विस बन्द नहीं की गई बल्कि इसको मऊ तक बढ़ा दिया गया है।

*२९--श्री यमुनासिंह तथा श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या समाचारपत्रों ने उक्त सर्विस के बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन---कुछ इस तरह की बात समाचार-पत्र में छपी थी। जांच के बाद कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*३०-३१---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---[हटा दिये गये।]

प्रश्नों के उचित उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---श्रीमन्, प्रश्नों के बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा। कई बार आपने व्यवस्था दी है कि मंत्री लोग प्रश्नों का उत्तर ठीक से अध्ययन करके आया करें। लेकिन आपकी व्यवस्था और आपके आदेश का भी उनके यहां कोई मूल्य नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके अधिकार में अब भी कोई ऐसा मार्ग है जिससे कि आप उचित उत्तर सदन को दिला सकें।

श्री अध्यक्ष---मैं तो एक दफा और कह सकता हूं बाकी तो अधिकार आपका ही सबसे बड़ा है और वह अधिकार यह है कि जिन मंत्री को आप समझते हैं कि आप लोगों के उत्तर ठीक नहीं देते हैं उनके बारे में कोई प्रस्ताव भी आप ला सकते हैं। मैं मंत्रियों से जरूर कहूंगा कि वे जो यहां पढ़ते हैं उत्तर तो उनको वे घर से पढ़ कर रवां कर लें और फिर आयें तो ज्यादा अच्छा है। अगर खराब टाइप किया हुआ हो तो ऐसी हालत में तो उनको दूसरा टाइप करा लेना चाहिये जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो। अनप्रिपेयर्ड आना अनुचित बात है और इसमें मैं समझता हूं कि एक तरह से आप सदन की प्रतिष्ठा को कायम नहीं रखते हैं।

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)---यह तो मुझे कल शाम को ही मिला।

श्री अध्यक्ष--- तो इसमें कसूर सदन के सदस्यों का नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---आपको धन्यवाद, कि आज आपने हमको सुझाव दिया लेकिन शंकर जी की बारात की भांति "कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू" अगर हमारा बहुमत होता तो हम उनको हटा कर इधर रख देते लेकिन यहां तो लाचारी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष---यह जो आपने कह दिया है इतना ही बहुत काफी हो जायगा। मैं समझता हूं कि इससे बहुत काफी असर मंत्रियों पर पड़ जाता है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बारे में मेरा निवेदन यह है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर तो कभी मिलता ही नहीं। तो अच्छा है कि उत्तर ही न मिले क्योंकि मेरे खयाल में तो "खल मण्डली बसहु दिन राती। सखा धर्म निबहै केहि भांती।"

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का कृषि विभाग से सम्बन्धित सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुये मैं यह कहता हूं कि यह काफी बड़ा प्रतिवेदन है उसकी कोई मूल बातें तो सदन में इस समय बताना सम्भव नहीं है परन्तु आपकी आज्ञा से मैं दो एक बातें सदन के सामने उसके विचारार्थ रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, प्राक्कलन समिति की पद्धति यह है कि जिन विषयों पर वह विचार करती है और उन पर जो सिफारिशें सरकार को देती है, सरकार को यदि उनके पालन करने में कोई कठिनाई उपस्थित होती है तो उन कठिनाइयों को प्राक्कलन समिति के पास वह वापस भेज देते हैं और प्राक्कलन समिति उन पर पुनः विचार करती है और जो मतभेद सरकार और समिति के बीच में होते हैं उनको लिआजा आफिसर दूर करने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमन्, मैं दो एक बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

सन् १९५५ में इस समिति ने आचार्य जुगलकिशोर की अध्यक्षता में यह सिफारिश की थी कि ७ जो उपसंचालक हैं उनकी संख्या घटा कर ५ कर दी जाय। श्रीमन्, मुझे दुख है कि आगे चल कर उनकी संख्या १७ कर दी गई और उन परिस्थितियों को इस कमेटी के सामने रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। समिति ने इस पर पुनः विचार किया है और उसका मत है कि विकेन्द्रीकरण के नाम पर जो उप-संचालकों की संख्या बढ़ती जाती है यानी केन्द्र पर जो उपसंचालक थे फंक्शनल, उनके साथ ही रीजन्स में भी उपसंचालक बढ़ाये जा रहे हैं और उससे जो अब संख्या १७ हो गई उससे समिति बहुत ज्यादा समझती है। उसने पुनः विचार किया है कि और उसका विचार है कि चाहे केन्द्रीय कार्यालय में या क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में ९ उपसंचालकों से अधिक उनकी संख्या नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह सरकारी फार्मों के सम्बन्ध में है। सरकारी फार्मों में निरन्तर हानि होती जा रही है। समिति की राय है कि सरकार को शीघ्र इस पर विचार करना चाहिये। यदि वे फार्म ऐसी भूमि पर स्थापित किये गये हैं जहां कि सुधार नहीं हो सकता, उन्हें लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता तो कमेटी की सिफारिश है कि इन फार्मों को तुरन्त तोड़ देना चाहिये। डिमान्स्ट्रेशन के नाम पर सरकार हानि उठा रही है। समिति की राय है कि वह नामुनासिब है। डिमांस्ट्रेशन सही रूप में तभी हो सकता है जबकि सरकार फार्मों को लाभ कर बनाकर दिखावे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी।

श्रीमन्, एक बात और विशेष रूप से विचारणीय है। सरकार का जो सूचना विभाग है उसका कार्य यह होना चाहिये कि जो भी आवश्यक सूचनायें या पत्र हों वह वहां से प्रकाशित

---

† छापा नहीं गया।

हों और उस कार्य में डुप्लीकेशन न हो। लेकिन हर विभाग अपने-अपने पत्र, अपनी-अपनी सूचना और अपना प्रचार कार्य प्रथक करता है और तब फिर सूचना विभाग का कोई कार्य नहीं रहता। समिति का मत है कि यह सारा कार्य सूचना विभाग के ही सुपुर्द कर देना चाहिये और उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिये।

मैंने दो-तीन मोटी-मोटी बातें यहां पर निवेदन कीं। इनके अलावा काफी महत्वपूर्ण सिफारिशें इसमें की गई हैं और मुझे आशा है कि सदन के सदस्य उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--सभापति, प्राक्कलन समिति ने प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख किया। अब नियम के अनुसार अगर सरकार चाहे तो कुछ जनरल बातें इस सम्बन्ध में कह सकती है। (कुछ क्षणों पश्चात्) कुछ नहीं कहना है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, आदरणीय सभापति, प्राक्कलन समिति ने कुछ बातों का उल्लेख किया और भी जो समितियां हैं उनके सभापतियों को भी इस प्रकार की शिकायतें रहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में सदन में कोई स्टेटमेन्ट बंटवा दें ताकि माननीय सदस्यों का समाधान हो सके.....

श्री अध्यक्ष--यह तो उनका कर्त्तव्य है ही।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---लेकिन कभी करते तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष--इसीलिये मैंने सरकार को सूचना दे दी थी।

मैं यह कह रहा था कि मैं यह बराबर देख रहा हूं कि कुछ न कुछ टीका सभापति द्वारा होती है समितियों के प्रतिवेदनों के साथ-साथ, अगर उनको बिलकुल न पढ़ा जाय तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता या संभव है कि संबंधित मंत्री जी को प्रतिवेदन की टीका के ऊपर कुछ कहना ही नहीं होता। मुझे यह प्रतीत होता है कि वे पढ़ते ही नहीं हैं। मैंने यह सूचना दे दी कि जब प्रतिवेदन आ जाय और जो टीका प्राक्कसन समिति के सभापति करें उसके बारे में थोड़ी बहुत तैयारी करके मंत्री जी को आना चाहिये और उस विषय में या तो वे आश्वासन दें कि इस चीज पर हम विचार करेंगे अथवा उसके ऊपर यदि कुछ और कहना हो तो उसको भी वे कह सकते हैं। यह बात नियमों के अनुसार है। इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, एजेंडे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभापति, प्राक्कलन समिति कृषि विभाग से संबंधित १७ वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि कृषि विभाग से संबंधित कौन से मंत्री यहां उपस्थित हैं जो तैयार होकर आये हों।

श्री अध्यक्ष---कृषि मंत्री की जगह कोई मंत्री उत्तर देने के लिये उपस्थित हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---श्रीमन्, वैसे तो मंत्रीगण यहां बैठे हुये ही हैं। लेकिन जो यह प्रतिवेदन कृषि विभाग से संबंधित है तो संबंधित मंत्री जी बीमार हैं इसलिये आज कोई ठोका टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जिस वक्त कोई न हो या बीमार हों तो जिस प्रकार उप-मंत्री प्रश्नों का उत्तर देते हैं उसी प्रकार इस विषय में भी उन्हें तैयार होकर आना चाहिये। इसका वे खयाल रखें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति, ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और उसके ऊपर कुछ चर्चा

[श्री नेकराम शर्मा]

भी को जिस पर आपने व्यवस्था दी कि मंत्री जी अपना कुछ जवाब दें। यह ज्वाइंट रेस्पांसीबिलिटी है और उसका जवाब मिलना चाहिये था। लेकिन आपके कहने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप कोई समय निर्धारित कर दें जिस दिन वे जबाव दें।

श्री अध्यक्ष---यह जरूरी नहीं है कि वे कोई उत्तर दें ही। लेकिन यह कह सकते हैं कि उसके ऊपर विचार करेंगे। वे तैयार नहीं हैं तो हर चीज का वे उत्तर कैसे दे देंगे? कायदा यह है कि वे कुछ आब्जर्वेशन करना चाहें तो करें लेकिन चूंकि हमेशा नहीं करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वे पढ़ते भी नहीं हैं। यह अनुचित होगा लिहाजा आयन्दा के लिये मैंने यह व्यवस्था दे दी कि मंत्री या उपमंत्री तैयार होकर आयें कि टीका टिप्पणी होगी तो विचार करने का आश्वासन दें या कोई उत्तर दें।

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, अभी तक परम्परा नहीं थी कि ऐस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट सभापति प्रस्तुत कर देते हैं और शासन की ओर से कोई टीका उस समय नहीं की जाती। आज आपकी यह आज्ञा हुई है इसलिये इसका आगे से ध्यान रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस संबंध में आपने रूलिंग दी थी और मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा भी था।

श्री अध्यक्ष---सिर्फ यह है कि बीच-बीच में वह भूल जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने प्राक्कलन समिति या लोकलेखा समिति की टीका टिप्पणी पर तत्काल खड़े होकर कुछ सूचना दी थी और मैंने भी ध्यान दिलाया था कि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं और उन्होंने कुछ कहा भी था। इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में तैयार होकर आयें क्योंकि दो चार दफा उत्तर नहीं दिया गया, इसलिये भूल पड़ गई। नियम में यह दिया हुआ है कि उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो मंत्री जी कहें लेकिन अगर अनावश्यक हो तो सूचना न दें। लेकिन अधिकतर कुछ न कुछ आश्वासन विचार करने का देना चाहिये या उस विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिये।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय, आपने जो आदेश मंत्रिमण्डल को दिया कि जो प्रतिवेदन सदन में उपस्थित हों, उन पर वे अपना स्पष्टीकरण दिया करें। उसके लिये मैं आपको सदन की ओर से बधाई देता हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों को भी यह अधिकार देने की कृपा करें कि हम लोग भी विवाद के रूप में अपने विचार प्रकट कर सकें और इसके लिये आप कुछ समय निर्धारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये नियमों में कुछ करना पड़ेगा या कोई प्रथा डालनी पड़ेगी। श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने भी लोक लेखा समिति के संबंध में जिक्र किया था कि पूरी रिपोर्ट जब पेश हो जाय तो उस पर बहस हो जाय। उस सुझाव पर विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी के आने के बाद हम लोग विचार करेंगे और अगले सत्र से कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे।

श्री अध्यक्ष के निर्णय के बाद व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कल मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। लेकिन दुख की बात यह है कि कल उस समय क्षुब्ध वातावरण था और आज शान्तिमय वातावरण में उठा रहा हूं। आप कृपा करके ध्यान पूर्वक उसको सुन लें। जो आपने कल रूलिंग दे दी है वह तो शिरोधार्य है। उसमें सदन को

कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें आपत्ति इसलिये जरूर रही कि गोविन्दनारायण जी का कोई बयान नहीं लिया गया और मैंने यह बात उठाई तो आपने यह कहा कि गोविन्दनारायण जी उठे नहीं और उन्होंने कुछ नहीं कहा। यदि माननीय गोविन्दनारायण जी पहले बोल लिये होते और आपने उसे सुन लिया होता तो जो रूलिंग आपने दी वह शायद न होती। अब गोविन्दनारायण जी सदन में मौजूद हैं इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सभी दल के नेताओं और सब सदस्यों की यह इच्छा है कि गोविन्दनारायण जी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया जाय और उसके सुनने के बाद, यदि आप उचित समझें तो उस पर्सनल एक्सप्लेनेशन की रोशनी में जो रूलिंग आपने दी है उसको फिर से रिवाइज करने की कृपा करें। इसलिये आप उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत दें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--इसके सिलसिले में निवेदन यह करना है कि मैं हाउस आफ कामन्स की डिबेट देख रहा हूं। इसमें मुझे कहीं नहीं मिला जिसमें किसी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये रोका हो। एक अवसर १९३८ में टंडन जी के समय में इसी सदन में आया था। उस समय के डिप्टी स्पीकर का नाम मैं भूल रहा हूं। यह मामला ५ अप्रैल का है। किसी ने कहा कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका न दिया जाय। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिये कोई भी खड़ा हो सकता है और उसको मौका देना चाहिये। यह पहला ही मौका होगा यदि आप इजाजत नहीं देते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो कहा है उसके संबंध मे मेरा निवेदन यह है कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन को, चेयर के रूलिंग देने से पहले, यदि सदस्य देना चाहता है तो मुनासिब होता है लेकिन रूलिंग के बाद मेरे खयाल से पर्सनल एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश नहीं रहती है।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, क्योंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिये मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाय। आपकी आज्ञा होगी तो मैं ....

श्री अध्यक्ष--उसके लिये मैं आप को बतलाऊंगा।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, जरा सी, मेरी बात आप सुन लें। मैं माननीय विभव जी से सहमत हूं लेकिन असाधारण स्थिति में हाउस आफ कामन्स में "never in the history of House of Commons" स्पीकर मेरिट में नहीं गये हैं और सारी व्यवस्थाओं के प्रतिकूल मेरिट देकर.....

श्री अध्यक्ष--आप फिर मेरी रूलिंग पर आ रहे हैं, मेरे निश्चय पर आप...

श्री गौरीशंकर राय--नार्मल निश्चय किया होता तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का मौका तो देना चाहिये था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आदरणीय मेम्बर जो आगरा से आते हैं उन्होंने ऐसा निवेदन किया जिससे मुझे आप से समय मांगने का आग्रह करना पड़ा। उनका कहना यह है कि स्पीकर की रूलिंग के बाद पर्सनल एक्सप्लेनेशन का प्रश्न नहीं उठता। आपने अपनी रूलिंग में कहीं यह नहीं कहा है कि माननीय सदस्य को पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अधिकार प्राप्त नहीं है और आप की जो यहां मानवोचित मर्यादा है उसके अनुसार न आप कभी ऐसा कह सकते हैं, ऐसी कल्पना मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। यहां पर कई केसेज हैं कि जहां पर माननीय अध्यक्ष ने रूलिंग देने के बाद स्वयं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार माननीय सदस्यों को दिया है और सन् १९५१ का केस सदन में मौजूद है और आप भी माननीय गोविन्दनारायण जी को ऐसा मौका दे सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने ऐसा कहा था.....

श्री अध्यक्ष--जी हां, मैंने कहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, वह बिलकुल पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुकूल है कि अगर किसी माननीय सदस्य के कन्डक्ट का प्रश्न आता है तो उन्हें पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका मिले। यह एक प्रिविलेज है जिसके आप रक्षक हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस दृष्टिकोण को सामने रख कर आप अपना फैसला दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न आप के विचाराधीन था। उस प्रश्न पर आपको जिन चीजों की आवश्यकता थी वह आपने उपलब्ध कीं, जिससे कुछ पूछने की जरूरत समझी वह आपने पूछा। माननीय सदस्य स्वयं जब यह प्रश्न उपस्थित था यहां मौजूद थे, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन उस वक्त देने की जरूरत नहीं समझी। आपने सब चीजों को सामने रखकर और जो कुछ भी आवश्यक था उस सब पर विचार कर के एक निर्णय दे दिया। इस बारे में मुझे कुछ निवेदन करना नहीं है। आप जब चाहे किसी भी माननीय सदस्य को पर्सनल एक्सप्लेनेशन के रूप में या अन्यथा अवसर दे सकते हैं परन्तु जो प्रश्न हमारे मित्र माननीय गौरीशंकर राय जी ने उठाया है वह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता कि अध्यक्ष को रूलिंग हो जाने के बाद इस तरह पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का कोई मौका किसी को दिया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि आपको अध्यक्ष की हैसियत से पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, आप जब, जिस समय जो उचित समझें वह कर सकते हैं, आप को जो अधिकार हैं उनकी कोई सीमायें नहीं हैं लेकिन प्रश्न इस समय यह है कि.....

श्री गौरीशंकर राय—He is not bigger than the House.

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—मैंने तो ऐसा नहीं कहा लेकिन माननीय गौरीशंकर राय जी ने जिस तरह का प्रश्न उठाया है उससे मुझे शंका है कि वह पर्सनल एक्सप्लेनेशन का प्रश्न नहीं है बल्कि उसकी आड़ में जो आपके सामने मूल प्रश्न है, आपकी जो रूलिंग थी उसको बदलवाने की चेष्टा की जा रही है और उसको दूसरी शक्ल में पेश करने की बात की जा रही है। मैं इस बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि माननीय गोविन्दनारायण जी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये एक नहीं कई मौके थे जब से वह न्यूज छपी तबसे न जाने कितने दिन बीत गये कोई मौका नहीं लिया गया। आम तौर से यह होता है कि डिबेट के अन्दर अगर कोई लांछन की बात आ गई तो फौरन माननीय सदस्य खड़े होकर पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दें। फिर भी मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप मौका दें लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज फिर गौरीशंकर राय जी ने इंडायरेक्टली आपकी जो रूलिंग थी उसपर आक्षेप करने की चेष्टा की। मैं तीन दिन से देख रहा हूं कि एक तरफ तो यह बात कही जाती है कि आप इस तरह का उनको मौका दें और दूसरी तरफ चेयर के ऊपर लांछन भी लगाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। तिवारी जी यह बात महसूस करते हैं, सही है, उनको इस बात का अधिकार है और जो भी इंजर्ड पार्टी हो उसको अधिकार है कि वह चेयर से अपील कर सकती है। लेकिन उसका एक ढंग होता है। मैंने देखा कि तीन दिन से जो चीज चल रही है, पता नहीं उसके पीछे क्या मनोवृत्ति है। मैं समझता हूं कि अब इस समय उनके पर्सनल एक्सप्लेनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे आपको अख्तियार है कि आप जो चाहें सो करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जैसी कि मैंने कल भी प्रार्थना की थी, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। आज हमारे एक साथी ने जो विचार प्रकट किया है वह उसी प्रकार का है। हमारी अपील आपके निर्णय के पुनर्विचार के बारे में है....

श्री अध्यक्ष—इस वक्त सिर्फ पर्सनल एक्सप्लेनेशन का प्रश्न चल रहा है।

श्री झारखंडेराय——हम आपके निर्णय के बारे में भी जो कुछ कहना होगा वह आप ही से कहेंगे कि आप अपने फैसले पर विचार करें या उसके लिये कोई जरूरी काम करें। कल भी यह बात आई थी कि उनसे अगर पूछ लिया गया होता, उनको मौका नहीं मिला, उन्होंने स्वंय नहीं कहा लेकिन आपकी तरफ से अगर आग्रह किया गया होता कि वह कुछ कहना चाहें तो कहें और तब अगर वही फैसला होता जो कि आपने दिया तो कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं थी। जो यह प्रार्थना की गई है कि आप उन्हें मौका दें, उससे मुमकिन है कि कोई ऐसी बात आ जाय कि जिससे आप स्वंय बाध्य हों कि अपने फैसले पर फिर से विचार करें और बदल भी दें। इसलिये मैं समझता हूं कि न्याय को सुसंगत अन्त तक ले जाने के लिये यह जरूरी है कि मौका देना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)——अध्यक्ष महोदय, अभी जो यहां पर सदन में बातें हुईं, मुझे तो उम्मीद थी कि यह बात नहीं उठेगी क्योंकि मान्यवर की सेवा में अन्य विरोधी दल के नेताओं के साथ मैंने भी हस्ताक्षर करके एक पत्र भेजा है....

श्री अध्यक्ष——मैंने पढ़ा नहीं उसे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——उसमें यह था कि इस बात पर पुनर्विचार करें और उसके बाद जो उचित समझें वह व्यवस्था दें। जहां तक चेयर का सवाल है हम सबको उसकी प्रतिष्ठा रखनी है और हर एक का यह फर्ज होना चाहिये कि उसकी प्रतिष्ठा रहे।

यहां पर आगरे के एक सदस्य साहब ने और उनकी पुष्टि में श्री नवलकिशोर जी बरेली वालों ने तकरीरें कीं और हमारे कैलाशप्रकाश जी ने जो आगरे, बरेली के करीब पड़ते हैं उन्होंने दलील दीं कि कई मौके गोविन्दनारायण जी को थे कि वह अपना स्पष्टीकरण दे सकें। श्रीमन्, अगर हम गौर से विचार करें तो प्रिविलेज का मोशन ऐसा होता है जैसे फौजदारी का मुकदमा। ऐसी रूलिंग है। प्रासीक्यूटर हैं गौरीशंकर जी और प्रासीक्यूटेड है बुन्देला अखबार और बापू। इसमें ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि अगर कोई निर्णय हो तो या तो वह गौरीशंकर जी के पक्ष में हों या खिलाफ हो। गोविन्दनारायण जी तो केवल एक गवाह हो सकते हैं। गवाह के आगे उनकी कोई हैसियत नहीं हो सकती है। तो जब अदालत ने हुक्म नहीं दिया तो गवाह खुद कैसे कहे कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। जैसे ही यहां से चार्ज लगाये गये....

श्री अध्यक्ष——मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कुछ कहा था उस रोज तो आप गवाह थे? अगर गवाह थे तो खड़े क्यों हो गये?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——मैं उसके बारे में भी....

श्री अध्यक्ष——आप किसी माननीय सदस्य को गवाह न बनाइये। उनको स्वयं अधिकार है बोलने का।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——नहीं, उनका मुकदमा चल रहा था और जब हमने देखा कि कुछ चीज हमें ठीक नहीं जची अपनी अल्पबुद्धि में तो हमने अपना फर्ज समझा ताकि हम लोग कहीं ऐसा न हो कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तरह चुप रह जायं, इसलिये बोलना मुनासिब समझा....

श्री अध्यक्ष——आप इसको शार्ट करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——मैं शार्ट कर रहा हूं। कंट्रोवर्शियल बातों को मैं नहीं ले रहा हूं। अब यह हुआ कि आक्षेप हो गया, चरण सिंह जी ने जवाब दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग की रिपोर्ट दी....

श्री अध्यक्ष---आप इस पर बहस न कीजिये, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप यह बतायें कि इस विषय में क्या करना चाहिये ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---उसके तुरन्त बाद आपने रूलिंग दे दी। मैं समझता हूं जालौन के माननीय सदस्य ज्योतिष नहीं जानते हैं। वह नहीं जान सके कि आप क्या कहने वाले हैं। उनको क्या पता था उनको भी लाया जायगा। इसलिये उनको पहले मौका मिलना चाहिये आपकी रूलिंग देने के बाद। इससे इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी अगर आप पुनर्विचार करें, उनकी बात सुन लें क्योंकि गवाह को सजा आज तक किसी मुकदमे में नहीं मिली।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आवश्यकता इसलिये पड़ी, वैसे तो पत्र सभी विरोधी दलों के नेताओं के नाम से गया था, पर दुर्भाग्य से आप पढ़ नहीं पाये....

श्री अध्यक्ष---मैंने साढ़े तीन बजे का समय बात चीत करने के लिये रखा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---जहां तक पर्सनल एक्सप्लेनेशन का सवाल है यह तो इसलिये भी आवश्यक है कि जब कोई सदस्य--यह सदन है सत्यासत्य के निर्णय के लिये---और कोई बात सदन के सामने न आये तो सदन अंधेरे में रहेगा, इसलिये आवश्यक है और कोई ऐसी बात है जो सत्य का निर्णय करने के लिये आनी चाहिये और वह रह जायगी, तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन जरूरी है। दूसरे यह है कि अगर किसी सदस्य को विशेष परिस्थिति में, एक विशेष सदस्य के सम्मान या दल विशेष के सम्मान पर ठेस लगी है और अगर स्पष्टीकरण हो जाय, क्योंकि उनका और अन्य लोगों का यह अनुमान है कि उस स्पष्टीकरण के बाद मुमकिन है वस्तुस्थिति दूसरी सामने आये। तो जो न कहने से परेशानी पैदा होती है वह कम हो जायगी इसलिये पर्सनल एक्सप्लेनेशन जरूरी है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जो सदस्यों का अधिकार बनता है और उससे अध्यक्ष को भी सहूलियत रहती है, क्योंकि वस्तुस्थिति उनके सामने आ जाती है निर्णय देने के संबंध में। इसलिये पर्सनल एक्सप्लेनेशन का आप मौका दें।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब मैं अधिक लोगों को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मैं इस संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ताकि जो आप अपनी व्यवस्था दें तो उस पर भी विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष---यह तो सभी कह रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---मैं एक स्पेसिफिक प्वाइंट उठाना चाहता हूं इस संबंध में। अगर हम इस सदन में भाषण करते हैं तो हमें इस बात से रोका जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य न हो तो उसके संबंध में हम कोई आक्षेप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य सदन में हो तो उनके संबंध में हमें कुछ कहने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह उस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उस दिन माननीय गृह मंत्री के भाषण का जो आपने पढ़ा था तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर गृह मंत्री जी होते....

श्री अध्यक्ष---भाषण को नहीं, पत्र को पढ़ा था।

श्री चन्द्रजीत यादव---उनके पत्र का उत्तर पढ़ा था। अगर वह यानी गृह मंत्री जी होते तो जो जानकारी प्राप्त करनी थी वह स्वयं यहां देते, सदन में। लेकिन चूंकि वह बीमार थे उन्होंने पत्र लिख कर के पूरी जानकारी की और उस पत्र में एक आक्षेप माननीय सदस्य के ऊपर जो उनको विश्वस्त सूत्रों से मिला था, उसको भी आपने सदन में पढ़ दिया। मैं जानना चाहता

हूं इस प्रकार के आक्षेप के बाद जो सदन के अन्दर पढ़ा जाता है, जिस माननीय सदस्य के विषय में आक्षेप किया गया है, उसको हक है कि उसको सुनने के बाद इसका स्पष्टीकरण करे कि यह आक्षेप गलत है या सही है । मैं समझता हूं आप इस बात की व्यवस्था दें । मेरी राय में उस पत्र को पढ़ने के बाद माननीय गोविन्दनारायण तिवारी जी को अधिकार था कि वह उसका स्पष्टीकरण दें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था देने के पश्चात् बहस का कोई प्रश्न नहीं उठता । लेकिन सवाल यह पैदा हो गया है कि आप पुलिस कप्तान की रिपोर्ट पढ़ने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचे कि माननीय गोविन्दनारायण तिवारी ने जमानत ली और उस मुलजिम को अपने घर पर रखा । इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि उनसे यह पूछ लिया जाय कि क्या वाकई उन्होंने जमानत ली या नहीं और अपने घर पर रखा या नहीं क्योंकि सदन के बाहर हमेशा यह चर्चा रहेगी कि वे अपनी सत्यता प्रकट करना चाहते थे लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि उनसे इतनी बात पूछ ली जाय तो कोई वैसी बात नहीं होगी और इसमें आपका यश बढ़ेगा ।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--इस बहस को सुनकर मैं तो ऐसा समझ रहा था कि कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि जब आप व्यवस्था दे रहे थे और आपने यह बात पढ़ी तो जानबूझ कर उनको कुछ कहने का मौका नहीं दिया । मेरा ऐसा विचार है कि माननीय तिवारी जी को यह मौका था कि जिस वक्त आपने वह पत्र पढ़ा तो बीच में भी वे आपसे कह कर पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते थे । जब आपकी व्यवस्था हो गई, आपने जब वह पत्र पढ़ा और हर चीज को विस्तार से डिस्कस किया तब मैं समझता हूं कि तिवारी जी यहां थे और उनको यह मौका था कि जब आपने चरणसिंह जी और एस० पी० का पत्र पढ़ा....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--बीच में कैसे टोक देते ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--आप चुपचाप सुनिये । (व्यवधान:सदन में काफी शोर मचा ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--तो मैं समझता हूं कि तिवारी जी को ऐसा मौका था कि वे अपना एक्सप्लेनेशन देते । लेकिन आपकी जब व्यवस्था हो गयी उसके बाद उनको ध्यान आया कि नहीं, मुझे तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहिये । तो मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग ठीक नहीं है । यह ठीक है, जैसा कि नेकराम जी ने कहा, उसके ऊपर आप विचार करें और अगर आप समझें कि यह ठीक है तो दे सकते हैं । लेकिन एक बात मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा है, उनकी मान-मर्यादा की रक्षा करना हम सब का कर्त्तव्य है। जैसे हमारे माननीय गौरीशंकर राय जी बीच-बीच में उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, वह इस हाउस की परम्परा के योग्य नहीं है । मैं फिर सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद है और उनकी मान-मर्यादा कायम रखना हम सब का काम है ।

श्री अध्यक्ष--अब मैं इसके बारे में बता देता हूं कि जहां तक श्री गोविन्दनारायण जी अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं उस विषय में मैंने कल भी यह स्पष्ट ही कह दिया था कि वह मुझे लिखित भेज दें । यह मैंने इसलिये कहा था कि मैंने लिखित ही एक पत्र गृह मंत्री को भेजा था कि आपको जो कुछ इस विषय में कहना हो वह कह लो । जिस वक्त मैंने वह पढ़ा था मैं यह समझा कि आप कोई वक्तव्य देना नहीं चाहते नहीं तो मैं उनसे पहले ही पूछ लेता इस विषय में कि ११० में उन्होंने जमानत दी या नहीं और उस आदमी को उन्होंने अपने घर रखा या नहीं । लेकिन मैं यह समझ रहा था कि जिस व्यक्ति के ऊपर आक्षेप किया किसी अखबार वाले ने उस

[श्री अध्यक्ष]

व्यक्ति का स्वयं यहां पर या मेरे पास चिट्ठी लिखने का फर्ज था कि मुझे लिखता कि बात गलत है और अमुक शिकायत है और मैं प्रिविलेज का मोशन ला सकता हूं। यह गवाह वगैरह का सवाल नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--एक निवेदन मैं करूं। मैंने एक तार आपको दिया था कि हमारी हत्या का प्रबन्ध हो रहा है, एक वर्ष हो गया, उसका कोई जवाब तक नहीं आया तो मैं क्या आपको लिखता ?

श्री अध्यक्ष--मेरे पास नहीं आया।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--मैंने आपको भेजा, प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया को भेजा, प्रेसीडेंट को भेजा, अध्यक्ष को भेजा चीफ मिनिस्टर को भेजा, कि यह कांग्रेस वाले कुछ गुंडे लगाकर हमको मरवा डालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--यह गृह मंत्री का काम है। अध्यक्ष का काम नहीं है कि कोई आदमी आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हो तो अध्यक्ष यहां से बैठकर कोई आपको हिफाजत दे सके, यह ममकिन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपके ऊपर सदन की कार्यवाही के सिलसिले में गृह मंत्री जी ने एक बात कही और अखबार ने यदि कोई असत्य बात छापी तो प्रिविलेज का सवाल उठाने का सबसे पहला अधिकार अगर किसी को था तो, दो व्यक्तियों को था, एक तो गृह मंत्री को था कि जिनके भाषण के संबंध में यह कहा गया कि वह ट्विस्ट किया गया या गलत छापा गया, दूसर जिसके ऊपर हमला किया गया यानी श्री गोविन्दनारायण जी के ऊपर, उनको था। तो मैं यह समझा कि वह शायद खुद इस संबंध में वक्तव्य देना नहीं चाहते, कोई जिक्र नहीं करना चाहत, इसलिये मैंने उनसे नहीं पूछा क्योंकि अगर उनको कोई वक्तव्य देना होता तो स्वंय ही वह दे देते। यह जो मेरी फीलिंग्स हैं वह मैं बता रहा हूं कि मेरी फीलिंग्स यह थीं। श्री गौरीशंकर राय जी के मार्फत भी यह नहीं हो सकता और मैंने दो एक दफे जिक्र भी किया त्रिलोकीसिंह जी से और गौरीशंकर राय जी से भी कि मैं गृह मंत्री जी से पूछ रहा हूं। कहीं ऐसा न हो कि बात फैले, एक जिले की बात प्रान्त भर में फैले यह कोई अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फैल जाय, फैल जाय, मुझे परवाह नहीं है। अब यह चीज है कि उसके बाद जब मैंने रूलिंग दी तो मैंने यह समझकर दी और वह बैठे थे मुझे आशा थी कि वह उठेंगे और कुछ कहेंगे, लेकिन और लोग उठे, वह नहीं उठे, तो मैंने यह समझा कि वह कुछ कहना नहीं चाहते। उसके बाद जब रूलिंग के बाद जरा गरम वातावरण हो गया तो मैंने इस वास्ते भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत नहीं दी कि जो भय नवलकिशोर जी को था, सीमित दायरे के बाहर मैं नहीं चाहता हूं कि कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो, इसलिये मैंने कल यह कह दिया था कि आप लिखित मुझे दे दें। जिस प्रकार कि गृह मंत्री जी ने मुझे लिखकर भेज दिया, आज भी मैं यह कहता हूं कि आप मेरे पास लिखित भेज दें। अगर वह उसी सीमा के अन्दर है तो जैसे मैंने उनका उत्तर पढ़कर सुना दिया, वैसे ही आपका स्पष्टीकरण भी सुना दूंगा, अगर वह उतनी ही सीमा के अन्दर हुआ। उसमें यह नहीं होना चाहिये कि जो मैंने रूलिंग दी उस संबंध में कोई उसके ऊपर टीकाटिप्पणी हो।

दूसरी बात यह है कि रूलिंग के सिलसिले में कहा गया कि, मैं एक दफा इस संबंध में रूलिंग दे चुका हूं कि मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि मेरी रूलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने तो यह कहा कि अध्यक्ष की रूलिंग को सदन में सदस्य क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो रूलिंग दी सही दी गलत दी जो कुछ भी दी सदन में तो वह स्वीकार होनी ही चाहिये। अगर उसका परिवर्तन आप करना चाहते हैं, उसे गलत समझते हों तो मेरे कमरे में आकर बातचीत कर सकते हैं। मुझ से डिस्कस कर सकते हैं। यह मैंने रास्ता पहले भी एक मर्तबे बताया था। लेकिन जब ताव आता है तो वहीं पर सदन में ही रूलिंग को क्वेश्चन करने लगें कि आपकी रूलिंग गलत है, यह है, वह है, तो यह मैं समझता हूं कि इस चेयर की अप्रतिष्ठा उसमें हो जाती है और फिर अगर मैं इस बात को एलाऊ कर दूं, इस तरह से चीज चले तो मैं समझता हूं कि ठंडे वातावरण में विचार नहीं

हो सकता। इसलिये जो झारखंडे राय जी ने कहा था वह यहां कहने के बजाय ज्यादा उचित था और कोई चिट्ठी शायद मेरे पास आयी है मैं उसे पढ़ तो नहीं पाया लेकिन इस बात को मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि कुछ सदस्यगण मुझसे मिलना चाहते हैं और रूलिंग में परिवर्तन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि साढ़े तीन बजे मुझे वे मिलें यह ठीक होगा। सभी पार्टियों के नेता आ जायं और जो बात करनी हो, वह हो जाय, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई गलती हो तो मुझे बतायें। लेकिन अगर मैंने कोई चीज समझी कि यह बात सही है और निर्णय नहीं बदल सकता तो उसको सभी पार्टियों को स्वीकार करना चाहिये। बस, मतभेद है, यह कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। वी ऐग्री टु डिफर, ऐसी चीज होती है दुनिया में।

और फिर दूसरी चीज यह है कि उसमें कभी दूसरे की नीयत पर हमला नहीं होना चाहिये। हम समझते ह कि आप अच्छी नीयत स बात करना चाहते हैं। लेकिन उसी के साथ -साथ नियम जो हैं उनका पालन करना जरूरी है। नियमों का पालन हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि यहां की व्यवस्था चल नहीं सकती।

मैं गोविन्दनारायण जी तिवारी से कहूंगा कि वह अगर स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो जैसा मुझे पहले माननीय गृह मंत्री ने लिखकर भेज दिया था उसी तरह से तिवारी जी भी लिखकर भेज दें। उनके कहने के ऊपर यानी उसी विषय पर आप कुछ कहना चाहते हैं और मेरे निर्णय के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहते तो मुझे लिखकर भेज दें कि यह चीज इस तरह से जो कही गई है उस पर मेरा यह कहना है, तो मैं उसको स्वीकार कर पढ़ दूंगा। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैंने उनसे लिखित मांगा था और उनको भी यहां पर बातचीत करने का मौका नहीं था। आपने जो कुछ कहा उसका उत्तर दिया। यहां पर आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें अब इसका मौका नहीं है।

अब रह गई बात पूछने की कि इसमें किसकी गलती है। मैं समझता हूं आपको पूछना चाहिये था और आप यह समझते हैं कि मुझको पूछना चाहिये था। यह एक मतभेद की बात है लेकिन मैं आज भी आपको मौका दे सकता हूं। उसी के लिये मैंने यह कहा कि आप लिखित स्पष्टीकरण मेरे पास भेज दें। पहले मैंने आपको नहीं पूछा क्योंकि आप यहां पर मौजूद नहीं थे लेकिन जब आप आ गये तो आपको खुद खड़ा होना चाहिये था, आप खड़े नहीं हुये। अब यदि आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं इस कारण कि आपको कोई नई चीज गृह मंत्री जी के उत्तर से मालूम हुई तो आप वह बातें स्पष्टीकरण में लिखें। आप मुझे लिखकर भेज दें, मैं उसको सदन में पढ़ दूंगा और उसमें एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा तो उसका भी आप स्पष्टीकरण कर दें ताकि उसके ऊपर सदन का जो भ्रम है वह निकल जाय। लेकिन मेरा यह निर्णय इस पर है कि आप लिखकर भेज दें और मैं उसको देख लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—पर्सनल एक्सप्लेनेशन बराबर दे सकते हैं। सिर्फ यह बात है कि मेरे निर्णय की टीका टिप्पणी करते हुये वह कोई चीज नहीं दे सकते हैं।

श्री ऊदल (लिजा वाराणसी)—यदि आपने माननीय चरणसिंह जी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा तो वह इसलिये मांगा कि वह बीमार थे लेकिन गोविन्दनारायण जी तिवारी तो यहां पर मौजूद हैं। उनको यहां पर अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—चूंकि अब निर्णय हो चुका है इसलिये मैंने यह कहा कि वह लिखित अब मेरे पास भेज दें। चरणसिंह जी से भी लिखित ही मांगा था तो उसी के ऊपर वह अपना स्पष्टीकरण देंगे। मैं उसका उत्था उनके पास भेज दूंगा और वह अपना स्पष्टीकरण उसी दायरे के अन्दर देंगे।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप यह समझते हैं कि आपके किसी एक निर्देश के बाद अगर कोई माननीय सदस्य उस पर आक्षेप करेगा तो आप और कोई ऐक्शन नहीं ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--श्री गोविन्दनारायण जी को मौका नहीं दूंगा।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--तब तो आप हमारे बोलने पर रोक लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--उसका फैसला तो बाद में होगा। जो चीज दूसरी ओर से लिखकर आई उसी पर वह जवाब दे सकते हैं। बाकी चीज हो चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं मानता हूं कि आप एक कठिन परिस्थिति को सुलझाने में लगे हुये हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि आपका जो भी निर्णय हो उसमें आपकी हम सहायता करें लेकिन मैं इस संबंध में अपने को कठिनाई में पा रहा हूं कि आपने जो अभी यह सूचना माननीय गोविन्दनारायण जी को दी कि वह लिखित स्पष्टीकरण दें, मुझे ऐसा लगता है कि इस संबंध में अगर आप पुनर्विचार कर लें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--जब आप ३।। बजे आयेंगे तो उस वक्त इसके ऊपर भी चर्चा हो जायगी ।

श्री उग्रसेन--क्या उस समय पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर विचार किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--वही लोग बात करने के लिये आना चाहते हैं तो जो बातें होंगी उन पर विचार किया जायगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--आपने यह फरमाया कि अगर मैं कल आपके सामने खड़ा होता तो आप अवश्य ही मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका देते ···

श्री अध्यक्ष--कल नहीं परसों अगर आप खड़े होते।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--जब एक्सप्लेनेशन की बात आई तब हमारा नाम किसी स्टेज पर नहीं आया था। किसी की स्पीच में यह बात नहीं आयी, किसी डाकूमेंट में वह बात नहीं आयी, किसी प्रकारांतर से वह बात नहीं आयी। सब से पहले वह बात पुलिस कप्तान के लेटर में पढ़ी गयी और उसमें ही सब से पहले वह बात यहां आयी। अगर कल मैं खड़ा हो जाता बीच में तो, आप निश्चय ही मुझे बोलने का मौका देते। लेकिन मेरी थोड़ी-सी मजबूरी थी। मैं यह समझता हूं कि जब किसी की बात खत्म हो जाय उस के बाद अपनी बात शुरू करूं और इसे ही अच्छा तरीका मानता हूं। मेरी दूसरी मजबूरी यह थी···

श्री अध्यक्ष--मैं थोड़ी सी बात बीच में बतला दूं। मैंने यह नहीं कहा कि बीच में आप बोल कर अपनी बात बतला देते।

एक सदस्य--माननीय नवलकिशोर जी ने यह कहा।

श्री अध्यक्ष--ये लोग चाहे जो कहें, मैंने यह कभी नहीं कहा। मैंने तो परसों के लिये कहा था कि उस समय सब लोगों के साथ आप अपनी बात कह सकते थे।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--मैं यह समझता था कि आप तजुर्बेकार और योग्य व्यक्ति और जज हैं। नेचुरल जस्टिस के जो मामूली उसूल हैं उनके अनुसार भी जब किसी आदमी के खिलाफ कोई वरडिक्ट हो तो अगर वह कुछ न भी कहना चाहे तो भी आपका फर्ज होता है और मैं समझता था कि आप जरूर ही जो डाकूमेंट हमारे ऊपर उछाला जा रहा है उसके लिये मुझे कुछ कहने की आज्ञा देंगे। आप अवसर देंगे कि जो मैं कहना चाहता हूं इस सिलसिले में वह कह लूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर कल मेरा ओरली पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार था तो एक तो इस कारण कि मैं बीच में आपकी बात काटना नहीं चाहता था

और दूसरे नेचुरल जस्टिस को बात समझते हुये कि आप मुझे कुछ कहने का मौका जरूर देंगे, मैंने अपनी बात नहीं कही। इसीलिये मैंने आपको रूलिंग के समय बात नहीं काटी और आपकी रूलिंग के बाद मैं कल खड़ा हुआ था। कल और आज की परिस्थिति में अगर इतनी ही बात नयी हो तो उससे मैं समझता हूं कि कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

एक बात और। किसी भी रूलिंग को बदलने का, रिवाइज करने का आपको इन्हेरेंट राइट है और यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी जज या स्पीकर अपने फैसले को रिवाइज कर सकता है। तो यह आपका फंडामेंटल राइट है। इस फैसले के रिवाइज करने के सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि उन सारी परिस्थितियों पर प्रकाश डाल सकूं कि जिनमें यह सारी बातें अखबार में छपीं और यह रियोर्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने लिख कर भेजी, और यह सब बातें अगर यहां आयें तो मैं समझता हूं कि इस सदन के साथ और मेरे साथ निश्चय ही न्याय होगा। यह जभी हो सकता है कि जब आप मुझे कुछ कहने का मौका दें।

एक बात और निवेदन कर दूं। जहां तक आपकी रूलिंग का संबंध है, मुझे याद है कि डाक्टर अम्बेदकर ने आर्टिकिल ३१ पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, उसके लिये कहा था कि हम उसकी रूलिंग को ओबे तो करेंगे लेकिन उसका आदर नहीं करेंगे। इसी आधार पर यह जरूरी नहीं है कि हम आपकी रूलिंग का आदर भी कर, ओबे तो करेंगे ही। मैं आपकी रूलिंग क्रिटिसाइज करने के लिय अपन पसनल एक्सप्लेनेशन में कोई बात नहीं कहूंगा। म तो उसम उन सरकमस्टांसेज की बाबत कहूंगा कि जिनमें गृह मंत्री महोदय ने और श्री चतुर्भुज शर्मा ने और उनके बुन्देला अखबार ने और उनके कप्तान पुलिस ने हमको ब्लैक मेल करने की कोशिश की है। अगर इसके लिये आप हम को आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा में अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन पेश करूं।

श्री अध्यक्ष--आप मुझे लिख कर भेज दें। मैं आपको वह सब लिखवाकर भेज दूंगा, फिर आप मुझे अपना एक्सप्लेनेशन लिख कर भेज दें। उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। इस सीमा के अन्दर मैं आपको मौका दे दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--एक स्पष्टीकरण मेरी समझ में नहीं आया। एक बार श्रीमन् ने फैसला कर दिया है कि हर एक को पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका है, फिर यह कौन सी व्यवस्था है कि...

श्री अध्यक्ष--मैंने एक रास्ता निकाल दिया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--यह रास्ता लिखित ही हो सकता है, क्या जबानी नहीं हो सकता?

श्री अध्यक्ष--आप मुझे अपने रास्ते पर ही क्यों डिक्टेट करना चाहते हैं कि मैं उसी रास्ते पर चलूं। मैंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का एक रास्ता निकाल दिया है। निर्णय को रिवाइज कराने के लिये जो रास्ता है वह मेरे कमरे में आकर आप करा सकते हैं। तो यह दो रास्ते मैंने निकाल दिये। इसके बाद मैं समझता हूं कि इस पर और चर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रास्ता निकल आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्रश्न यह है कि अगर आर्गूमेंट्स को लेकर यह प्रश्न उठता तो मान भी लिया जाता कि लिखित स्पष्टीकरण दिया जाय, लेकिन लिखित स्पष्टीकरण का एक भी केस पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसमें लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया हो, तो यह एक नयी परम्परा बन जायगी।

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा कि साढ़े तीन बजे आप बात कर लें इस विषय में।

श्री शिवप्रसाद नागर——मुझे एक निवेदन यह करना है कि एक रूलिंग आपने दे दी है, वह शिरोधार्य है, आपको दो रूलिंग देनी थीं और दोनों अलग-अलग हैं। एक पर तो आपने अपनी रूलिंग दे दी वह शिरोधार्य है, लेकिन एक दूसरे प्रश्न पर आपने रूलिंग नहीं दी और उस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। माननीय चरणसिंह जी ने जो पत्र लिखा उसमें क्या लिखा, क्या नहीं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि एक ब्लिट्ज के एडीटर ने यहां की न्यूज को गलत छाप दिया था तो उस पर मुकदमा चलाया गया था और उसमें उसने माफी भी मांगी और उस संबंध में इसी सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न आया था। उसने भी यहां की बात को तोड़-मरोड़ कर छापा था। तो जो दूसरी रूलिंग मैं आपकी चाहता हूं वह इस विषय में चाहता हूं कि बुन्देला अखबार में जो बात छापी गयी क्या वह वही थी जो सदन की कार्यवाही में छपी है···

श्री अध्यक्ष——देखिये आप फिर उसी पर बहस कर रहे हैं, मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर——जी नहीं, यह तो दूसरा प्रश्न है। आप अपनी रूलिंग इस विषय में दें कि क्या उस विषय को उस अखबार वाले ने सही छापा या गलत क्योंकि यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष——मर्यादा अगर किसी की नहीं है तो वह केवल अध्यक्ष की नहीं है क्योंकि आप बराबर उसी विषय पर मेरे मना करने कर बहस करते चले जा रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर——श्रीमन्, आपकी मर्यादा सबसे ज्यादा है, मैं उसको समझता हूं। मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं केवल आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष——मैंने तो अपनी रूलिंग दे दी है, आप यह सब बहस कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, जो समय आपने शाम को साढ़े तीन बजे का दिया है, तो मैं यह चाहता हूं कि अगर आप यह निर्णय करें कि उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका मिलना चाहिये तो आप उसके लिये मौका उनको आज ही दे दें शाम को ४ बजे के करीब।

श्री अध्यक्ष——वह मैं दे सकता हूं।

श्री गौरीशंकर राय——श्रीमन्, मेरी एक दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्राइमाफेसी केस की स्टेज पर मेरिट्स पर डिस्कशन हो सकता है या नहीं क्योंकि श्रीमन्, यह एक बेसिक सवाल है जो आपकी व्यवस्था से पैदा हुआ है, इस संबंध में। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में भी व्यवस्था दें, और अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपको हाउस आफ कामन्स के कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष——वह आप वहीं दें सकते हैं मेरे कमरे में, शाम को।

श्री गौरीशंकर राय——श्रीमन्, आप इसको व्यवस्था यहीं दें, यहां जानने का हमारा हक है।

श्री अध्यक्ष——मेरी व्यवस्था में उसका जिक्र है, आप कृपया बैठें। जो और बात आपको कहनी हो, मेरे कमरे में कहें।

श्री गौरीशंकर राय——श्रीमन्, एक नयी व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष——आप अब उस प्रश्न को यहां नहीं उठा सकते।

श्री अध्यक्ष के निर्णय के बाद व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गौरीशंकर राय––श्रीमन्, मेरा स्वतंत्र दूसरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या विशेषाधिकार के प्रश्न पर प्राग्दर्शन के स्तर पर मेरिट्स पर डिस्कशन हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष––फैक्ट्स को जानने की जरूरत हो सकती है।

श्री गौरीशंकर राय––वह श्रीमन्, कहीं दूसरी जगह नहीं है . . . .

श्री अध्यक्ष––आप इस पर बहस न कीजिये, मेरे कमरे में ही बात कीजिये।

श्री गौरीशंकर राय––एक और व्यवस्था का प्रश्न है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या विशेषाधिकार के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष को अपनी रूलिंग देते समय, प्राइमाफेसी स्टेज पर, यह जरूरी है कि वह उसमें सारे रीजन्स को भी दें ?

श्री अध्यक्ष––जरूरत है।

श्री गौरीशंकर राय––श्रीमन्, ऐसा नहीं है. . . . .

श्री अध्यक्ष––जिस वक्त अध्यक्ष यह समझे कि प्राइमाफेसी में अपनी रूलिंग देते समय कुछ रीजन्स देने की जरूरत है, तो वह देगा। अगर वह किसी दूसरे सदस्य को उस बारे में सुनता है और उसको सुनने के बाद जब वह अपनी रूलिंग देता है और उसकी सुनी हुई बात को स्वीकार नहीं करता, तो उसके कारणों को भी उसको बताना उचित होता है कि क्यों प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है। जिन लोगों को मैंने कष्ट दिया और उनकी बातों को सुना, अगर उनकी बातों का कुछ भी हवाला मैं नहीं देता तो यह उनके प्रति अवमान होगा। मैं समझता हूं कि निर्णय के समय अध्यक्ष को यह राय दे देना चाहिये कि क्यों उनकी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, चाहे वह गलत हो या सही हो।

श्री गौरीशंकर राय––श्रीमन्, रीजन्स नहीं दिये जा सकते हैं. . . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी––मेरी प्रार्थना, श्रीमन्, यह होगी कि यह सदन के लिये एक परिपाटी बन जायेगी।

श्री अध्यक्ष––वहां मेरे कमरे में आप बात कर लें, इसको आप चेंज भी करा सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष––मैं कहता हूं कि हर चीज को चेंज करा सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय––मैं इसपर भी, मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि विश्व की किसी पार्लियामेंट में किसी मेम्बर ने रिटिन कहीं एक्सप्लेनेशन दिया है या किसी अध्यक्ष ने दिया है ?

श्री अध्यक्ष––यह मैं शाम को बताऊंगा बातचीत करने के बाद।

श्री देवकीनन्दन विभव––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जरा यह जानना चाहता हूं कि विश्व की किसी भी पार्लियामेंटरी पद्धति में स्पीकर की रूलिंग पर कभी प्वाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था मांगी जाती है या बहस होती है ?

एक सदस्य––मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष––मुझ से पूछा गया, आप से नहीं।

श्री गौरीशंकर राय––मुझसे संबंधित है। आपके जरिये मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं ऐसी रूलिंग होती है जिसमें एक एस०पी० की रिपोर्ट अनकाल्ड फार पढ़ दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--आपने फिर गड़बड़ करना शुरू कर दिया। इसीलिये मैंने रिटिन एक्सप्लेनेशन मांगा था। आप समझ लें कि आप नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा और जवाब आप देते हैं और हमला भी करते हैं, यह चीज बहुत अनुचित है।

कई सदस्य--प्वाइंट आफ आर्डर.....व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--मैंने इस संबंध में कह दिया कि मेरे कमरे में बात हो जाय। अब आप लोग जो चाहें करें।

टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू न किये जाने के सम्बन्ध में सहारनपुर सूती मिल के मजदूरों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार जो आज विषय आये हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मदन पांडेय जी और रामस्वरूप जी वर्मा का एक ही सा है। चूंकि मदन पांडेय जी का पहले आया है, इसलिये मैं उसे पढ़े देता हूं--

"मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न अर्थात् राज्य में टेक्सटाइल वेजबोर्ड की सिफारिशों को सूती मिल मालिकों द्वारा लगभग सवा वर्ष व्यतीत होने पर भी लागू न किये जाने के कारण राज्य की समस्त सूती मिलों के श्रमिकों मे जो क्षोभ व्याप्त है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सहारनपुर सूती मिल गेट के सामने श्रमिकों ने अनशन आरम्भ कर दिया है इस ओर सरकार का तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।" श्रम मंत्री जी इस संबंध में कोई वक्तव्य देंगे ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--अभी कोई सूचना नहीं है, १८ तारीख को वक्तव्य दे दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--एक निवेदन करने दीजिये। हमने आज दफा ५२ में दिया था, आनन्दनगर मिल बन्द हो गयी है, ९० हजार मन गन्ना बढ़नी यूनियन का नहीं लिया, तो उत्तर देते समय उसकी भी सूचना दे दें। वहां से तार आया है।

श्री अध्यक्ष--आप भेज दें।

श्री रूमीसिंह (जिला शाहजहांपुर)--एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं, एक मिनट के लिये मौका दीजिये। शाहजहांपुर में २८ तारीख को १२ बजे ७-८ घोड़ों को लूट लिया और गुंडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लूं, लेकिन वह भी नहीं आये, तो आपने क्या निर्णय किया है।

श्री अध्यक्ष--उससे अधिक महत्व वाला दूसरा विषय लिया है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न मैंने मंजूर करके भेज दिया है, वह मालूम करके भेज देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारूद पकड़े जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब गोविन्दसिंह जी बिष्ट तथा अन्य कुछ सदस्यों ने सातवें नम्बर पर जो विषय है वह उठाया है, उसके संबंध में गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)--अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य देने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहांतक वक्तव्य का संबंध है, सरकार की तरफ से जो भी साधन हो सकते थे उनके द्वारा पूरे तरीके से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी। चूंकि देहली से भी यह मामला संबंधित है, वहां से भी कोशिश की जा रही है

कि सब बातें ज्ञात हो जायं। सरकार अभी पूरी तरह से अवगत नहीं हो पायी है। थोड़ी सूचना है, यदि सदन चाहेगा तो दे दी जायगी, लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो इसको मुल्तवी कर दिया जाय और १८ तारीख को इसके बारे में सूचना दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—१८ को।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—जितनी सूचना है उससे हम अपनी सूचना को मिलावें और अगली दफा जब पूरा वक्तव्य दे दें क्योंकि श्रीमन्, जब सीतापुर में बारूद की बात आयी थी तब मैंने मंत्री जी को लिखा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार सोती रही ४० मन बारूद पकड़ा गया था।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है लेकिन पूरी सूचना नहीं है। जितनी सूचना है अगर वह दे देते हैं तो उसके बाद दोबारा सूचना नहीं देंगे। बार-बार सूचना नहीं दी जायगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो इसके साथ वह और मंगा लें हमें ऐसा लग रहा है कि मुरादाबाद, कानपुर, फीरोजाबाद में आर्म्स ऐंड ऐम्यूनिशंस आते जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप फैक्ट्स लिखकर उनको भेज दें। १८ को उसके बारे में दे देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत मिल मालिकों की ओर से गन्ना पेरने में ढिलाई के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ने की पेराई में ढिलाई होने के संबंध में सर्वश्री गेंदासिंह तथा ब्रजनारायण तिवारी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक १० मई, १९६१ को दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

*सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि गन्ने की खेती का रकबा इस साल काफी बढ़ गया। पिछले साल के मुकाबले में ४ लाख १३ हजार एकड़ ज्यादा भूमि पर गन्ना बोया गया और उसकी वजह से यह समस्या पैदा हुई कि इस सब गन्ने के पेरने का इंतजाम हो और यह खत्म हो जाय। इस सिलसिले में जो कोशिश हुई है वह मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं।

जैसा मैंने अभी बतलाया १९५९-६० में १९ लाख १७ हजार एकड़ गन्ने का रकबा था। यह बढ़कर १९६०-६१ में २३ लाख ३० हजार एकड़ पैदावार हो गई। अब यह अन्दाजा हुआ कि जितना मिलों को पेरना पड़ेगा वह ३८ करोड़ ९५ लाख मन गन्ने के पेरने का इंतजाम करना होगा। जो सर्वे हुआ और जो अन्दाज हुआ उससे यह पता चला कि जब पिछले साल कुल गन्ना जो पेरा गया था पूरे सीजन में वह ३४ करोड़ २६ लाख २९ हजार मन था। यह इतनी ज्यादा पैदावार जो हो गयी उससे यह भी मालूम है माननीय सदस्यों को कि यहां की मिलों की कैपेसिटी में कोई बहुत खास एक्सटेंशन भी नहीं हुआ था और इसलिये यह मामला हमारे सामने बहुत सख्त है। आज जब कि सीजन प्रायः खत्म हो रहा है और उस वक्त मैं यह इत्तला सदन को देना चाहता हूं कि हमारा जो शुरू में अन्दाज था पैदावार के मुताल्लिक वह करीब-करीब पूरा उतरा और जो इंतजाम था जब कि गन्ना सब का सब पेरा जा सके वह भी हमें उम्मीद है कि पूरा उतरेगा। ३० अप्रैल, १९६१ तक जो गन्ना पेरा जा चुका है वह ३६ करोड़ १७ लाख ७० हजार मन था जबकि पिछले साल इतने समय तक का जो क्रश था वह था ३२ करोड़ ९५ लाख ८५ हजार मन। इस तरह से इस साल ३ करोड़ २१ लाख २५ हजार मन ज्यादा पेरा गया। पूरे सीजन में जितना पिछले साल पेरा गया था वह सिर्फ ३४ करोड़ २६ लाख २९ हजार मन था, उससे भी ज्यादा हम इस साल ३० अप्रल तक पेर चुके हैं। यह जो इंतजाम हुआ उससे पता चलता है कि इस साल गन्ने की पेराई के सिलसिले में कोई कमी या ढिलाई नहीं हुई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रऊफ जाफरी]

पिछले साल इस वक्त तक ४६ मिलें बन्द हो चुकी थीं लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ १८ मिलें पूरे प्रदेश के अन्दर बन्द हुई हैं। हमारा अन्दाजा है कि सिर्फ ९ मिलें ऐसी हैं जिनको इसकी जरूरत पड़ेगी कि वे जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक चलें। बकिया मिलें मई के आखिरी हफ्ते तक या इससे पहले भी यानी तीसरे हफ्ते तक बन्द हो जायं। यह बातें मैंने इसलिये बतलाईं क्योंकि जो बात पूछी गई थी उसमें कहा गया था कि गन्ने की सर्वे और बांडिंग के सिलसिले में कुछ गड़बड़ियां थीं जिनके कारण खास किस्म की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। मैंने जो फीगर्स दीं उनसे साबित हो जाता है कि हमारा सर्वे और बांडिंग का अन्दाज सही निकला; और जो हमारा अन्दाजा था कि आखिरी वक्त तक सब गन्ना पिरवा वह, देंगे भी उम्मीद है सही ही निकलेगा। य बातें ऐसी हालत में हुई हैं जबकि हमारी मिलों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी। हम अभी तक जो इतना गन्ना इस्तेमाल करा सके हैं उसकी वजह यह है कि हम बराबर रेव्यू करते रहे हैं कि किस मिल में कितना गन्ना है, कितना रकबा है, कितना पेर सकेंगे और कितना क्रश किया है। यह सब हिसाब लगा कर जहां पर आवश्यकता पड़ी हम गन्ने को एक से दूसरे मिल में डाइवर्ट भी करते रहे हैं और इस बात की कोशिश में रहे हैं कि आसपास की मिलों में कोई ज्यादा फर्क मिल बन्द होने में न पड़ने पाये। तो यह जो कहा गया कि हमारा सर्वे का अन्दाज गलत होता है वह हमारी फीगर्स के मुताबिक आपको मालूम हो गया कि गलत नहीं था। हम तीन बार सर्वे करते हैं और जब एक डेढ़ महीना मिल बन्द होने का रह जाता है तो फिर देखा जाता है कि कितना गन्ना रह गया है, कैसे खपत होगी।

श्रीमन्, शायद एक बात यह कही जाय कि कुछ मिलों को ज्यादा एरिया दे दिया गया। माननीय गेंदा सिंह जी ने इत्तला दी, शायद उनका खयाल है सेवरही और कप्तानगंज मिलों के बारे में, खासकर सेवरही के बारे में, कि उनको ज्यादा एरिया दे दिया गया। मैं बतला दूं कि सेवरही को कोई एक नया एरिया नहीं दिया गया। जो एरिया बढ़ गया उसकी वजह यह नहीं थी कि कोई नया एरिया दे दिया गया। कप्तानगंज को जरूर कुछ दे दिया गया था। उसका कारण यह था कि उन्होंने कहा था कि उनका एक्सपेंशन का प्रोग्राम पूरा हो जायगा तो इस बुनियाद पर उनकी बात को मानना ही मुनासिब था। बाद में जब मालूम हुआ कि वह नहीं हो सकेगा तो उसके गन्ने को इधर-उधर दे दिया गया और इस बात की उम्मीद है कि कोई गन्ना पड़ा नहीं रह जायगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां पीठासीन हुए।)

अब मैं एक बात क़ीमत के सिलसिले में भी कहना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि ९ मिलें चलेंगी तो मैं मुनासिब समझता हूं कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उन ९ मिलों के नाम बतला दूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आधिष्ठाता महोदय, सदन में बातें ज्यादा हो रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्यों को शान्त रहना चाहिये।

श्री रऊफ जाफरी—श्रीमन्, उन मिलों के नाम इस प्रकार से हैं—बहेड़ी, घुघली, पिपराइच, सरदारनगर, हरगांव, गोला, अमरोहा, सेवरही और कप्तानगंज।

अब मैं चन्द बातें गन्ने की क़ीमत के मुताल्लिक़ कहना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है, इस दफा चीनी का मामला एक खास सूरत अख्तियार कर चुका है। चीनी स्टाक में बहुत ज्यादा हो गई। रिलीजेज नहीं हुए, गोदाम भरे हुए हैं और बैंक की क्रेडिट लिमिट एगजास्ट हो चुकी है। अन्दाजा यह था कि किसानों का दाम बहुत ज्यादा पड़ा रह जायगा। लेकिन बराबर शुरू से यह कोशिश रही कि किसानों का दाम ज्यादा से ज्यादा दिलाया जाय और इन फीगर्स के देखने से ३१ मार्च, १९६१ तक की हालत मालूम हो जायगी। ३१ मार्च तक गन्ने की कुल क़ीमत ४३,९१,९८,००० रुपये थी। इसमें से पेमेंट हुआ ३९,०१,८६,००० रुपये और बकिया रहा ४,९०,१२,००० रुपये यानी ११ परसेंट बाक़ी रह। यह करेंट सीजन का है। मेरे पास

१५ अप्रैल, १९६१ तक के भी फ़ोगर्स हैं जो ये हैं: कुल क़ीमत हुई ४८,६७,६५,००० रुपये, पेमेंट हुआ, ४३,११,६७,०००रुपये यानी ५,५५,९८,००० रुपया बाकी रहा। यह भी ११ परसेंट के क़रीब आता है। इस साल मिलों को दिक़्क़त हो गई थी। बाकी रक़म को दिलाने की कोशिश की जा रही है। ५१ मिलों के ख़िलाफ रिकवरी सर्टीफिकेट ईश्यू हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को बराबर इस बात की हिदायत जाती रही है और जाती रहेगी कि वे बक़िया दाम दिलाने की पूरी कोशिश करते रहें।

जहां तक रिलीज़ेज़ का सवाल है, उसके लिये भारत सरकार से बराबर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिलीज़ेज़ हो जावें ताकि इनको पेमेंट करने में आसानी हो। यहां यह बतलाना नामुनासिब नहीं होगा कि जो पेमेंट हुआ है वह १५ से २० परसेंट तक रिलीज़ेज़ पर हुआ है। मंत्री जी ने एक मौक़े पर बतलाया था कि इस बात की भी कोशिश हो रही है कि उनकी ७५ फीसदी की लिमिट बढ़ा दी जाय। ८५ फीसदी के क़रीब कर दी जाय। अगर यह लिमिट मंज़ूर हो गई और बढ़ गई तो पेमेंट पोज़ीशन बहुत अच्छी हो जायगी। यहां मैं यह भी कह दूं कि यह बात पूरे प्रदेश की है। इसमें कुछ ऐसी भी मिलें हैं जो पेमेंट में काफी पिछड़ी हुई हैं। हम उनके साथ कोई भी कार्यवाही पेमेंट दिलाने में उठा नहीं रखेंगे।

यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब की दफा हमारे प्रदेश में रिकवरी पिछले साल के मुक़ाबले में कम रही है। ·११ कम है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर मिल की रिकवरी कम है। १०, १२ फैक्ट्रियां ऐसी हैं –यह मुझे अभी जल्दी-जल्दी में पूछने पर मालूम हुआ था ––जिनकी रिकवरी कम है। एक अजीब बात इस सिलसिले में इस साल यह हुई है कि पूर्व की मिलों की रिकवरी बमुकाबले पिछले साल के ज्यादा कम नहीं हुई है। पश्चिम की मिलों की रिकवरी पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा कम हुई है। वरना, शायद हमारी कमी का परसेंटेज इतना ख़राब न होता।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––उन्होंने बताया है कि अभी तक ३६ करोड़ कुछ लाख मन गन्ना पेरा जा चुका है और पेमेंट बताया है ४३ करोड़ के लगभग। १ रुपया १० आना के हिसाब से ५९ करोड़ रुपये के करीब होता है, तो बाकी १६ करोड़ कहां चला गया?

श्री रऊफ जाफरी––मैंने जो फोगर्स दी हैं वे उसी तारीख तक के दाम हैं। उस वक्त तक के लिये वे सही हैं। बाद की सप्लाई उसमें शामिल नहीं है। ४३ करोड़ कुछ लाख ३१ मार्च तक था और बाद वाला १५ अप्रैल तक था। अभी तक की सप्लाई का दाम इसमें शामिल नहीं है गोकि ऋण की फोगर्स में वह शामिल है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)–– श्रीमन्, अगर आप की इजाज़त हो तो इस नियम ५२ के प्रश्न को मैं पढ़ दूं ....

श्री अधिष्ठाता––वह तो सदन में पढ़ा जा चुका है।

श्री गेंदासिंह––२,३ सवाल इसमें बहुत साफ-साफ उठाये गये थे। कुछ जिलों के इसमें नाम हैं और वे हैं देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर, बरेली, पीलीभीत और नैनीताल। राज्य के सभी जिलों के बारे में यह चिन्ता प्रकट की गई थी। लेकिन यह साफ है कि प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में, जैसे देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, नैनीताल इत्यादि में विशेष रूप से गन्ना खड़ा रह जायगा, क़ीमत बहुत ज्यादा बाक़ी है, कब तक ये फैक्ट्रीज़ चलेंगी और सरकार का निश्चित कार्य-क्रम जानने की हमने इच्छा की थी। आज भी माननीय उपमंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री अधिष्ठाता––आप डेफीनिट सवाल पूछेंगे तो डेफीनिट उत्तर वह देंगे।

श्री गेंदासिंह--जिन जिलों का इसमें जिक्र किया गया है, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर, बरेली, पीलीभीत और नैनीताल, इनमें कौन सी मिल कब तक चलेगी और कितना गन्ना इस वक्त उसके लिये खड़ा है ?

श्री रऊफ जाफरी--मैंने जो अर्ज किया उसमें जिन ९ मिलों का बतलाया था वह इन्हीं मिलों के मुताल्लिक़ मेरा बयान था । ये ९ मिलें जून तक चलेंगी और बकिया मई के आखरी या तीसरे सप्ताह में बन्द हो जावेंगी। ठीक वक्त मैं दे सकता हूं । अगर आप चाहें तो अलग-अलग पढ़ दूं लेकिन वैसे इन जिलों की ज्यादातर फैक्टरियां मई के आखीर हफ्ते में बन्द होंगी लेकिन ९ फैक्टरियां जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक चलेंगी . . .

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसको अगर मंत्री जी पढ़ दें तो अच्छा है ।

श्री रऊफ जाफरी--अलग-अलग सूचना इस तरह से है--

मिल का नाम	बकाया गन्ना	मिल बंद होने की तारीख
गोरखपुर		
१--घुघली ..	६,९४ हजार मन, २०-४-६१ तक ..	जून के पहले हफ्ते तक
२--पिपराई ..	६७५ हजार मन ..	" " " "
३--आनन्द नगर	२६५ हजार मन ..	मई के दूसरे हफ्ते तक
४--सिसवा बाजार	२९२ हजार मन ..	" " " "
५--सरदारनगर ..	२,४६७ हजार मन ..	जून के दूसरे हफ्ते तक
६--छितौनी ..	४ लाख मन, ११ तारीख को ..	मई के अखीर तक
७--खड्डा ..	२ लाख मन, ११ तारीख को ..	मई के चौथे हफ्ते तक
८--कप्तानगंज ..	९ लाख मन ..	जून के दूसरे हफ्ते तक
९--लक्ष्मीगंज ..	१८० हजार मन, ११ तारीख तक ..	मई के चौथे हफ्ते तक
१०--रामकोला ..	३७५ हजार मन ..	" " " "
११-- " (खेतान)	२५० हजार मन ..	" " " "
१२--पडरौना ..	४ लाख मन ..	" " " "
१३--फटकुंइया ..	३ लाख मन ..	" " " "
१४--सेहरोई ..	७/८ लाख मन ..	जून के दूसरे हफ्ते तक

इसमें मिलों के फार्म का गन्ना भी शामिल है । देवरिया की मिल ८ मई को बंद हो चुकी है । यह जितनी भी फिगर्स दी जा रही हैं वे सब बांडिंग केन की हैं ।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, बांडिंग का गन्ना अभी बहुत बाकी है ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी को आप सूचना दे दें । जो सवाल करना हो बाद को कर लें । इसी तरह से बीच-बीच में पूछना चाहेंगे, तो कोई जवाब नहीं हो सकता है । मैं आप को बाद में मौका दूंगा ।

श्री रऊफ जाफरी--

१५--बैतालपुर ..	३ लाख मन ..	मई के चौथे हफ्ते तक
१६--भटनी ..	.. ..	१६ तारीख को बंद हो गई
१७--प्रतापपुर ..	.. ..	४ तारीख को बन्द हो गई
१८--गौरीबाजार ..	३ लाख मन ..	मई के आखीर हफ्ते तक

खीरी लखीमपुर--

१--गोला	..	२६ लाख मन	.. मई के आखीर तक या ७ जून तक भी चल सकती है।
२--एरा	..	.. ..	.. मई के आखीर तक
३--बहेड़ी	..	२२ लाख मन, २०-३-६१ को था	.. जून तक चलेगी
४--बरेली	..	साढ़े बारह लाख मन	.. मई के तीसरे हफ्ते तक

मुरादाबाद--

१--अमरोहा	..	२,०८० हजार मन	.. जून के दूसरे हफ्ते तक
२--बिलारी	..	१४ लाख मन	.. आखीर मई तक
३--बाजपुर	..	८ लाख मन	.. " "
४--काशीपुर	..	६ लाख मन	.. " "

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि यह लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर इसको छपवाकर मंत्री जी बंटवा दें तो अच्छा होगा और आज इसको स्थगित कर दिया जाय और किसी दूसरे दिन इस पर डिस्कशन हो जाय।

श्री रऊफ जाफरी--मुझे कोई एतराज नहीं है। छपवाकर बंटवा दूंगा और डिस्कशन में भी मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, मेरा एक सुझाव है कि प्रदेश की सभी फैक्टरियों से मांग लिया जाय कि बांडिंग केन में से कितना गन्ना नहीं लिया गया और कितनी फैक्टरियां बंद हो गईं। बात यह है कि सरकार और मिल मालिक गन्ने का भाव कम करना चाहते हैं और किसानों का गन्ना खेतों में ही फूंक देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--आप बयान कब देंगे?

श्री रऊफ जाफरी--पहले मैं स्टेटमेंट और फिगर्स छपवाकर दे दूं और उसके बाद डिस्कशन हो जाय। मैंने कहा था कि प्रदेश में ३८ करोड़ ६५ लाख मन गन्ना हमें क्रश करना होगा। इस बुनियाद पर आपको जवाब दिया और यही फिगर्स होंगे और अगर आप समझते हैं कि यह सही नहीं है तो मैं फिर से जांच करा लूंगा। जो हमारा अंदाजा था ३८-३९ करोड़ मन गन्ने का उतनी ही फिगर्स हैं इसलिये मेरा खयाल है कि वह बांडिंग केन की है। फिर भी मैं जांच करा लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--मेरे खयाल में जब आप स्टेटमेंट देने वाले हैं तो फिर आप क्यों तकलीफ करें। १७ तारीख को आप दे दें। इसके बाद डिस्कशन हो जाय।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, कल बढ़नी से मेरे पास एक टेलीग्राम आया है कि ६० हजार मन गन्ना खेतों में रह जायगा और अब फैक्टरी बन्द होने जा रही है और इसके बाद कोई फैक्टरी उस गन्ने को नहीं लेगी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह उस गन्ने का क्या प्रबन्ध कर रहे हैं।

(बहुत से सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--मंत्री जी ने मान लिया है कि वह इस प्रश्न पर तथा और तमाम प्रश्नों पर भी विचार करके १७ तारीख को अपना स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद आप सबको मौका होगा। इस तरह से तो हाउस की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। आप सब एक साथ न खड़े हों तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)––अधिष्ठाता महोदय, मैं महज सुझाव दूंगा। मैं जवाब नहीं चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं।

श्री मदन पांडेय––श्रीमन्, जो फैक्टरी दो एक दिन में बन्द होने जा रही हैं उनके लिये अगर मंत्री जी आज्ञा दे दें तो वह दो एक दिन और चल जायं।

श्री अधिष्ठाता––आप मंत्री जी के चेम्बर में जाकर ऐसा सुझाव दे सकते हैं।

(फिर बहुत से सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

एक वक्त में एक साहब ही बोलें तो ज्यादा बेहतर है।

श्री गेंदासिंह––यह तो अच्छा फैसला हुआ कि आप ने इजाजत दे दी कि पूरी जानकारी सब सदस्यों को हो जाय, लेकिन यह बड़ी चिन्ता की बात है कि कुछ बातों की जानकारी हो और पूरी तरह से उस पर विचार न हो पाये। मैं मनता हूं कि सरकार भी चिन्तित है कि सब गन्ना किस तरह से पेरा जाय। मैं भी फिकरमन्द हूं जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि आनन्दनगर की फैक्टरी ऐसी है और देवरिया जिले में एक सेवरही फक्टरी ऐसी है कि जिनके बारे में नहीं मालूम कि उनका पारा कौन से आसमान पर है। सेवरही ने कहा है कि पहले हम अपने फार्म का गन्ना पेर लेंगे और ३५ हजार गरीब किसानों का गन्ना नहीं पेरेंगे। वह अपनी ऊंची जमीन का गन्ना, फार्म का गन्ना पहले पेरेंगे, ४ हजार मन रोज पेरेंगे। इस तरह से आनन्दनगर का मामला है। अगर केवल इन दोनों मामलों पर आप इजाजत दे दें कि इन पर कुछ चर्चा हो जाय तो अच्छा है ताकि सवालात के जरिये से वहां की हालत मालूम हो जाय। ५० हजार मन गन्ना अभी बाकी है, बाद में बहस मुबाहिसा हुआ तो गन्ना तो रह ही जायगा। इसी तरह से सेवरही में अलावा फार्म के गन्ने के सवा लाख मन गन्ना बिना पेरा बाकी है। बांसीनदी के उधर के अधिकांश किसानों का, ३५ हजार किसानों का गन्ना बाकी है। उस विषय में अगर सरकार अभी जवाब दे दे तो ठीक है।

श्री मदन पांडेय––एक सुझाव मैं देना चाहता हूं .....

श्री अधिष्ठाता––माननीय मंत्री जी ने सभी फैक्टरियों के प्रश्न पर १७ तारीख को स्टेटमेंट देने की बात मान ली है, उसके बाद आप को पूरी जानकारी करने का मौका होगा। इसलिये अब किसी सवाल का मौका नहीं है।

श्री मदन पांडेय––जब फैक्टरी बन्द हो जायगी तो फिर स्टेटमेंट से क्या होगा?

श्री अधिष्ठाता––अगर आप सवाल करेंगे तो फिर हरएक सदस्य को हक होगा। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप को कोई खास बात कहना है तो आप मंत्री जी के चेम्बर में जाकर बता दें।

श्री मदन पांडेय––मैं चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट दिया जाय उसमें यह भी बताया जाय कि जो फैक्टरी बन्द हो गई हैं उनके क्षेत्र में कितना गन्ना खड़ा रह गया।

श्री अधिष्ठाता––सुझाव आ गया है। अब यह प्रश्न खत्म किया जाता है, जो कुछ कहना हो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मंत्री जी के चेम्बर में जा कर कहें।

*उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० (क्रमागत)†

श्री अधिष्ठाता––अब उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० पर कल श्री हरी सिंह भाषण कर रहे थे, वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)––श्रीमन्, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या आपके ऊपर जो हावी हो जाय वही यहां बोल सकता है और दूसरा नहीं बोल सकता?

---

†११ मई, १९६१ की कार्यवाही से।

*छापा नहीं गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है कि....

श्री अधिष्ठाता---जब एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है तो क्या उसी में दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है? आप तो पुराने मेम्बर हैं। आपको तो इतनी बात से वाकिफ होना चाहिये कि एक खत्म हो जाय तभी दूसरा व्यवस्था का प्रश्न आ सकता है।

श्री सुरथबहादुरशाह---जनाबवाला, मैंने आप से यह अर्ज किया कि क्या यह जरूरी है कि जो आप की इजाजत का मुंतजिर रहे उसे तो बैठ जाना पड़े और जो आप पर हावी हो जाय वह बोल ले?

श्री अधिष्ठाता---जब लालेसनेस की पोजीशन पैदा हो जाय तो चेयर तो बिलकुल खामोश हो जायगी।

श्री सुरथबहादुरशाह---लालेसनेस की पोजीशन तो तब होती है जब स्पीकर उसको क्रिएट होने का मौका दे।

श्री अधिष्ठाता---मैं कह रहा हूं कि जब स्टेटमेंट होगा तो आप को सजेशंस देने का और विचार करने का मौका मिलेगा।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मेरा यह कहना है....

श्री अधिष्ठाता---मैं अब कोई सवाल करने की इजाजत नहीं दूंगा, यह मैंने फैसला कर लिया है। मैं माननीय हरीसिंह को बुला चुका हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता का संबंध जहां तक कृषि से है, मजदूर लोग कृषि में हिस्सेदारान तरीके से काम किया करते थे और तिहाई या चौथाई हिस्सा दिया जाता था। परन्तु जब से जमींदारी खत्म हुई तब से सहकारिता तो समाप्त हुई और बड़े-बड़े फार्म बने और बजाय हिस्से के वह लोग मजदूरी पर काम करने लगे। सरकार ने भी बड़े बड़े फार्म बनाए और वहां पर भी वह लोग मजदूरी पर कार्य करते रहे। मेरा निवेदन है कि यदि सहकारी खेती में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार का कर्त्तव्य है कि जो सरकारी फार्म हैं वह कोआपरेटिव तरीके पर चलाये जायं और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, खेती का व्यय और मजदूरों की मजदूरी, सब को बराबर हिस्सा दिया जाय और फिर देखा जाय कि क्या लाभ होता है और अगर उससे लाभ होता है तो किसान पर स्वतः ही उसका असर पड़ेगा और वह सहकारी खेती के लिये तैयार हो जाएगा।

श्रीमन्, बड़े दुःख की बात है कि जो सरकार के पास परती जमीन पड़ी है वह खेतिहर मजदूरों को नहीं दी जाती है और जो वन कटवाकर जमीन बांटी जाती है वह भी उन्हें नहीं दी जा रही है। हमारी सरकार की योजना है कि किसान, मजदूर और व्यापारी सब में समानता की भावना पैदा हो, तो जो नई जमीनें दे रहे हैं उन पर सरकारी खेती कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर करावें और जो सरकार मदद देना चाहती है खेतिहर मजदूर को वह हल, पानी, खाद और रुपये के रूप में दे। उससे लाभ होगा।

हमारा प्रदेश पहले भी सहकारिता के द्वारा खेती करता था और फिर करने लगेगा लेकिन खेद है कि यहां सहकारिता के आन्दोलन की बात बहुत की जाती है फिर भी इस प्रदेश का जो मजदूरवर्ग है, जो हरिजन वर्ग ह उसको सहकारिता से कोई लाभ नहीं है क्योंकि उसमें ऊंचे वर्ग के अधिकारी लोग रहते हैं। यह क्या सहकारिता है जिसमें हैसियत देखी जाती है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

मैं माननीय गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं ,जो किसानों का नारा लगाते रहते हैं, मजदूरों की और शुगर मिल के मालिकों की बात करते रहते हैं, क्या कभी उन्होंने उन मजदूरों के लिये कहा कि उनके लिये सहकारी कर्जे की सोसाइटी हो ? आज महाजन उनको लूटता है और ३ रुपये २ आने प्रति सैकड़ा के हिसाब से सूद लेता है। उन्होंने क्या किया ? अपने यहां सहकारी कर्जे की सारी सोसाइटियां खुलवाईं। जो खेतहर मजदूर हैं वह कर्जा अपने नाम से ५ से ९ फीसदी की दर से लेकर १२, १५ रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से देते हैं। तो मजदूर के लिये कोई सहायता नहीं दी जाती है, उनकी कोई हैसियत नहीं है इसलिये उनको रुपया नहीं मिलता। तो आप बतायें कि गरीब जनता को सहकारिता से क्या लाभ ? जो ४ करोड़ निर्धन और बेघरबार जनता है, सहकारिता उनके लिये है न कि अमीरों के लिये जो पहले से ही अमीर हैं। इसलिये गरीबों को जमीनें दीजिये, उनकी सोसाइटीज बनवाइये तभी हमारी यह योजना पूरी हो सकती है। स्वतः लोगों को सहकारिता में लगन होगी यदि हम गरीबों को इससे फायदा पहुंचा सकें। इसलिये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है कि हम ऐसी कर्जे की सोसाइटीज़ गरीबों के बीच में बनायें। आप सहकारिता लाना चाहते हैं गरीबों के लिये ताकि उनको लाभ हो, उनका स्तर ऊपर उठे और उनको समानता के अधिकार दिये जायं। लेकिन हुआ क्या? आज एक भी सहकारी सोसाइटी गरीब मजदूरों और हरिजनों की नहीं है। यह सब इसलिये है क्योंकि सहकारी विभाग में हरिजनों का १८ फ़ीसदी रिजर्वेशन नहीं है, अगर किया गया होता तो वह उनके आज शुभचिन्तक होते। अगर किसी गरीब आदमी को कर्जा दिया भी जाता है तो २००, ४००, ५०० रुपया ही दिया जाता है जब कि मिल मालिकों को २० लाख, १करोड़ तक रुपया कर्ज के रूप में दिया जाता है। तो ऐसे ही आप सहकारिता लाना चाहते हैं ? हरगिज इस प्रकार सहकारिता नहीं चलेगी। गरीब किसानों और मजदूरों का संगठन कीजिये, उनकी हैसियत को उठाइये ताकि उनको कर्जा अधिक से अधिक मिल सके, उनको महाजन के चंगुल से बचाइये, उनके लिये उद्योग-धंधे खोलिये क्योंकि जमीन तो कम है वह तो बढ़ नहीं सकती।

मैंने अभी कहा कि गरीब मजदूरों और किसानों की सोसाइटीज बनाइये, जितनी बंजर भूमि गांव पंचायत के पास पड़ी हुई है वह गरीब मजदूरों को दीजिये और उनके सारे साधन जुटाइये। इस तरह उनको लाभ होगा और वह स्वयं इस सहकारिता को पसन्द करेंगे। उन्हें इस सम्बन्ध में शिक्षा देने की आवश्यकता है। लेकिन दुख की बात है जो लोग हमारे देश से सहकारिता सीख कर गये वह आज हमसे आगे हैं और हम उस सहकारिता को भूलते जा रहे हैं। आज हम नौकरशाही पर सहकारिता को चलाना चाहते हैं जो स्वयं नहीं जानते कि सहकारिता है क्या ? सहकारिता तभी सफल होगी जब हममें भाई चारा होगा और जो हमारे आचार्य हैं वे जा करके अपने प्रवचनों द्वारा हमारा हृदय परिवर्तन कर देंगे। हम सब पार्टियों के सदस्यों का कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसा भयंकर आन्दोलन उठावें कि सब की जबान पर सहकारिता ही हो, उनका हृदय परिवर्तन हो, वह जानें कि इससे क्या लाभ होगा। यह तभी होगा जब इसकी शिक्षा दी जायगी। आज जितनी सोसाइटीज बनी हैं कोई भी सफल नहीं हैं।

ग़बन होने पर रुपया वसूल किया जाना चाहिये न कि लोगों को जेल भेज कर छुट्टी पा लें। रुपया गरीब जनता का मारा गया तो हमारे सहकारी विभाग का कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि हम मुकदमा नहीं चलायेंगे, हम तो रुपया वसूल करेंगे। आज गबन होते हैं, सजायें होती हैं लेकिन जनता का रुपया वापस नहीं आता है। इसलिये इस ऐक्ट में यह भी संशोधन होना चाहिये कि हमारे हरिजनों से सूद की जो लूट होती है उससे बचने के लिए वहां कर्जे की सोसाइटी होनी चाहिये और कम से कम सूद पर उन लोगों को रुपया देना चाहिये। जो जमीनें पड़ी हुई हैं वह उन लोगों को दी जायं और उनकी सोसाइटी बना कर खेती करायी जाय। इसके अलावा ऐसे स्कूल हों जहां बच्चों को सहकारिता की शिक्षा दी जाय। जब बचपन से हमारे मस्तिष्क में सहकारिता आ जायगी तो किसी के कहने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारा स्वयं सहकारिता की ओर रुझान होगा। इसलिये आवश्यक है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय।

इसके अतिरिक्त सहकारी विभाग को हरिजनों का १८ फ़ीसदी रिज़र्वेशन पूरा करना चाहिये। इस विभाग में प्रति वर्ष नियुक्तियां की जाती हैं लेकिन एक भी हरिजन की नियुक्ति नहीं की गई। डेढ़, दो हजार दरख्वास्तें आती हैं लेकिन कह दिया जाता है कि कोई दरख्वास्तें नहीं आयीं।

दूसरा काम यह होना चाहिए कि लेबर सोसाइटी बनायी जाय। आज तक उन गरीबों को जमीन नहीं दी गयी। खाली कहने से यह नहीं होगा। पूज्य बापू जिस कार्य को करना चाहते थे पहले उसे स्वयं कर के देख लेते थे और जब उसमें सफल हो जाते थे और तब जनता के सामने उसको रखते थे। यदि हम किसान और मजदूरों को मिला कर सोसाइटी बनायें और सहकारिता वहां लायें तो यह जो कठिनाई आज हमें पड़ रही है वह न पड़े।

जिन के पास आज बड़े बड़े फ़ार्म हैं वे कैसे सहकारिता की बात करेंगे? गेंदासिंह जी तो सिर्फ किसान की बात करते हैं, मजदूर का नाम आजतक उनकी जबान पर नहीं आया। किसान के तो सभी शुभचिन्तक हैं। एक करोड़पति भी किसान की दुहाई देता है जब कि गर्मी और ठंढ में मरने के बाद जो गन्ने का उत्पादन करता है उस को समय पर पैसा नहीं मिलता। आज जैसे बिजनौर में वन काट कर जमीन निकाली जा रही है, राजस्थान में जमीन तैयार की जा रही है, वहां खेतिहर मजदूरों को सहकारी सोसाइटियों के द्वारा जमीन दें ताकि अन्न का उत्पादन बढ़े और सरकार का काम आगे बढ़े। आज इस बात का एक जबरदस्त आन्दोलन करना चाहिये कि सहकारिता सफल हो और जो हमारे नेताओं ने यह योजना बनायी है उसको हम अवश्य सफल करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के सिलसिले में जो प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे दिया है। मैं उम्मीद करूंगा, वैसे वक्त का कोई तअय्युन तो नहीं है लेकिन आप अपनी तकरीर सीमित रखेंगे।

श्री महीलाल—मैं सीमित ही रखूंगा। मान्यवर, क्या ही अच्छा होता कि यह विधेयक आज से कुछ समय पहले ही आया होता और यह बात मैं इसलिये कहता हूं कि अब तक हमारे इस प्रान्त का सहकारिता का संचालन उस पुराने कानून के द्वारा हो रहा है जो १९१२ का बना हुआ है और इधर नागपुर अधिवेशन के बाद जब देश की सब से बड़ी राजनैतिक संस्था ने इस देश की अर्थ व्यवस्था का आधार सहकारिता को बना लिया है, इसीलिये और भी आवश्यक हो गया था कि इस विधेयक को अब से कुछ और दिन पूर्व आना चाहिये था। लेकिन खैर, जितनी भी जल्दी आ सका, उसके लिए ही सरकार बधाई की पात्र है। इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक के लाने के दो तीन लक्ष्य विशेष रूप से बताये हैं जिसमें उन्होंने खास तौर से हिस्सों का जो मूल्य है उसकी वृद्धि के लिये कहा है कि इस विधेयक के द्वारा हिस्से का मूल्य १ हजार से बढ़ा कर पांच हजार तक करने का विचार रखते हैं।

इसके बाद दूसरी बात जो इस विधेयक के लाने के उद्देश्य के सिलसिले में कही गई है वह कड़े दंड की व्यवस्था है और तीसरी बात जिस पर कि एक प्रकार से अमल भी शुरू हो गया है वह है किसान के लिए दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्प अवधि के लिये ऋण की व्यवस्था। क्या ही अच्छा होता यदि इस विधेयक का मौलिक रूप से लक्ष्य यह ही रखा जाता कि जहां तक मुमकिन हो सके सहकारिता को सरकारी अंकुश से बचाया जाय और अब तक जो अधिकार सीमा राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को हैं या जो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व अब तक के विधेयक में या वर्तमान विधेयक में राजकर्मचारियों और अधिकारियों का है, उसको भी कुछ और ज्यादा कम किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा

[श्री महीलाल]

हूं कि मेरा यह विश्वास है कि कोई भी योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसको जनता की योजना बना कर न चलाया जाय। सहकारिता जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार बना ली गई है उसके लिये तो और भी आवश्यक हो जाता है कि उसके आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बना कर जनता के बीच में जनता के ऊपर छोड़ा जाय। आज भी मैं देखता हूं कि विधेयक में अधिकारियों और कर्मचारियों के जो उत्तरदायित्व हैं और अधिकार हैं, वह असीमित हैं। क्या ही अच्छा हो कि संयुक्त प्रवर समिति में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और जहां तक भी मुमकिन हो जनप्रतिनिधियों का, जिनके द्वारा यह आन्दोलन सफल हो सकता है उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों को बढ़ाया जाय।

इसके अलावा मैं खासतौर से सहकारी खेती के सिलसिले में अपने विचारों को प्रकट करना आवश्यक समझता हूं। मैंने आज अखबार में जनसंघ के उपनेता श्री गोविन्दसिंह जी बिष्ट के व्याख्यान को पढ़ा। संयोग से मैं कल सदन में मौजूद नहीं था। समाचार-पत्र में जो कुछ पढ़ा उसका तात्पर्य यह समझा कि भारतीय जनसंघ या उसके उपनेता, जिनकी यह विचार धारा है कि वह सहकारी खेती को आवश्यक नहीं समझते, इस पर आश्चर्य करने की जरूरत भी नहीं है। वह इसलिये कि भारतीय जनसंघ की बुनियाद हमारे समाज के जिन तत्वों के द्वारा पड़ी उन तत्वों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था से या समाज के निर्धन और शोषित वर्ग से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहा है। जनसंघ अपनी राजनीति को केवल धार्मिक भावनाओं के आधार पर सफल बनाना चाहता है। इसलिये वह समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से, जो कि आज खासतौर से व्यवसाय क्षेत्र में हैं, उसके द्वारा एक शक्ति लेकर चाहता है कि इस देश की राजनीति की काया पलटे। जाहिर सी बात है कि जो हमारा बिजनेस से सम्बन्ध रखनेवाला वर्ग है उसको सहकारिता के आन्दोलन से ठेस पहुंचती है। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ को सहकारिता से धक्का लगता है। इसलिये मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जनसंघ के लोग अगर सहकारिता की प्रगति को देख कर कुछ परेशान हों या उनको तकलीफ हो अथवा उनका जो प्रोग्राम है उसको कुछ ठेस लगे, तो उनका विरोध करना स्वाभाविक है।

लेकिन मैं भारतीय जनसंघ के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में अलाभकर जोतों के काश्तकारों की संख्या करीब-करीब ५० फीसदी से ज्यादा है और अगर हम ५ एकड़ तक के किसानों को लें तो उनकी संख्या करीब ७५ फीसदी है। वह बता दें कि सहकारी खेती के अलावा कैसे उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये खेती के क्षेत्र में परिवर्तन लाया जा सकता है और किस तरह से उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया उनका यह लक्ष्य नहीं है। उनका तो लक्ष्य है केवल शहर में बसने वाले व्यापारी वर्ग को और समाज के उस वर्ग को, जो समाज का शोषण करता है, जिसको सहकारिता के आन्दोलन से और सहकारिता की भावना की जागृति से ठेस पहुंचती है, किस तरीके से उनको संरक्षण दिया जाय। इस सीधीसादी सहकारी खेती का विरोध नहीं करना चाहिये। क्या ही अच्छा हो कि वह अपना असली रूप और अपने असली प्रोग्राम को जनता के सामने रखें। मान्यवर, मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिये, गांव के लोगों के जीवन को एक खास मोड़ देने के लिये सहकारी खेती के अलावा और दूसरा तरीका हो नहीं सकता। मुझे तो सरकार से यह शिकायत है कि जितना ध्यान सरकार को सहकारिता के आन्दोलन और खासतौर से सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिये देना चाहिये था उतना ध्यान सरकार ने अभी तक नहीं दिया है।

इसके अलावा अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मन्त्रिमण्डल के जो प्रतिनिधि इस समय सदन में विद्यमान हैं, उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिये यह कह देना जरूरी समझता हूं कि मेरा विचार है कि केवल किसानों के बीच में सहकारिता का प्रचार करने से समाज का शोषण समाप्त होने वाला नहीं है। समाज में कितने ही और ऐसे रास्ते हैं जिनसे आज समाज के श्रमिक वर्ग का, जो समाज की रीढ़ है—मेहनतकश, उनका शोषण हो रहा है। उदाहरण के

लिये समाज में ठेकेदारी प्रथा को लीजिये। वह समाज का शोषण करती है, उसे समाप्त करने के लिये आवश्यक यह है कि मजदूरों की सहकारी समितियां संगठित की जायं। लेकिन न केवल उनके संगठन की तरफ ध्यान ही दिया गया बल्कि जो कुछ सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा सहकारी समितियां संगठित भी हुई थीं उनको भी सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और सरकार ने उनको प्रोत्साहन देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया, न उठा रही है। यह सहकारी समितियां सार्वजनिक निर्माण विभाग में, सिंचाई विभाग में, विकास विभाग में और वन विभाग में संगठित की जा सकती हैं, जहां ठेकेदार लोग मजदूरों का बड़ा शोषण करते हैं। उनकी सहकारी समितियां बननी चाहिये थीं और उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये था जो नहीं दिया गया। मैं आशा करता हूं कि अब कम से कम सरकार इस ओर ध्यान देगी।

इसके अलावा जहां रिक्शा चलते हैं उनके मालिक लोग भी मजदूरों का शोषण करते हैं। रिक्शा चालकों की कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये कि वे अपने रिक्शों के मालिक बन सकें। ट्रान्सपोर्ट में जहां ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का कुछ पैसे वाले शोषण करते हैं, सरकार के लिये बड़ा आसान था कि उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाती और शोषण से बचाने के लिये उनको बसों के परमिट दिये जाते, लेकिन सरकार उसके लिये उदासीन रही और उसने यातायात के क्षेत्र में इस प्रकार का काम नहीं किया है।

मैं सहकारिता के आन्दोलन को सफल बनाने के लिये और उसके उद्देश्य की पूर्ति के हेतु एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि जितनी भी सहकारी समितियां संगठित हों उन समितियों को ऐसे लोगों के चंगुल से बचाया जाय जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ उन समितियों में निहित हों और इसका एक ही तरीका हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से एक ही हैसियत के लोग एक किस्म की सहकारी समिति के सदस्य बन सकें और इसकी व्यवस्था प्रस्तुत विधेयक में होनी चाहिये थी। इसकी बड़ी आवश्यकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मुझे बहुत कम समय लेना चाहिये था और मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादा समय ले लिया है। इसलिये अंत में केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि अभी कुछ समय तक हमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ही इस सहकारी आन्दोलन को एक आन्दोलन बनाने के लिये प्रचार का साधन बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो इस आन्दोलन की नींव रखने वाले हैं उनके प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का खास तौर पर इन्तजाम होना चाहिये। मैं देखता हूं कि वे अधिकारी जो सामान्य प्रशासन में एक हाकिम की हैसियत से काम करते हैं, उन्हीं के हाथ में सहकारिता का काम दे दिया जाता है तो उनकी प्रवृत्ति बदल नहीं पाती। इसलिये प्रशिक्षण की उनके लिये जरूरत है और इस बात की भी जरूरत है कि हम उनके दृष्टिकोण को, उनकी भावनाओं को बदलें। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारा यह आन्दोलन सफल नहीं होगा। इसके लक्ष्य की पूर्ति भी तब तक नहीं हो सकेगी। हम इसके बिना उन लक्ष्यों की भी पूर्ति नहीं कर सकेंगे जिनको हमने नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया था।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सहकारिता के संबंध में कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक सहकारिता की नीति का प्रश्न है हम सभी इसको स्वीकार करते हैं लेकिन इसमें जो सरकारीपन आ गया है और जिसके कारण करोड़पति बनने की बातें बराबर बढ़ती जा रही हैं और जिसके कारण प्रदेश का उत्थान नहीं हो पा रहा है उसकी हम निन्दा करते हैं। सरकार का सहकारी आन्दोलन आज दिखावटी आन्दोलन रह गया है और ढोल के अन्दर पोल सा रह गया है। जब तक सरकार बड़े-बड़े करोड़पतियों और बड़े भू-स्वामियों को खत्म नहीं करेगी, तब तक सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

श्रीमन्, आज १३ साल के अन्दर, सरकार के सहकारी आन्दोलन के फलस्वरूप बहुत सी कमेटियां, सोसाइटियां, बन गयी हैं, लेकिन वे सब कागज पर ही बनी हैं, उनसे प्रदेश का कोई भला नहीं हुआ है, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि यदि देखा जाय तो मालूम होगा कि सहकारी भट्टे आदि जो चल रहे हैं या जो भी कार्य सहकारिता के आधार पर हो रहे हैं वे फेल हो रहे हैं।

श्रीमन्, आज देश में दो वर्ग हैं---एक तो वह वर्ग है जो मेहनतकश लोगों का है--काम करने वाले लोगों का है, कमाने वाले लोगों का है, और दूसरी ओर उनपर शोषण करने वालों का वर्ग है। जब तक ये दो प्रकार के वर्ग होंगे और उनमें समानता नहीं आयेगी, तब तक हमारा कोई भी सहकारी कार्य सफल नहीं होगा और यह सहकारी आन्दोलन असफल हो कर रहेगा।

श्रीमन्, १२-१३ सालों के अन्दर उत्तर प्रदेश में करीब ७० चीनी मिलों में कोआपरेटिव सोसाइटियां कायम हुईं। लेकिन आज देखने में यह आता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे उन सहकारी समितियों पर बुरी तरह से हावी हैं। उनसे आज किसान बहुत बुरी तरह से परेशान हैं और आज वे उनसे किसी तरह से छुटकारा पाना ही चाहते हैं। आज किसान यही चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से सोसाइटियों से उसका छुटकारा हो जाय। सोसाइटियों पर सरकारी कर्मचारियों के हावी होने के कारण, वह सरकार की नीतियों के खिलाफ जा नहीं पाते, दामों में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते और राज्यों की योजनायें, सिंचाई की योजनायें तथा और दूसरे प्रकार की योजनायें सिर्फ उनके सामने रहती हैं।

बाराबंकी में, श्रीमन्, इस साल में करीब ११-१२ लाख रुपया किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है, सोसाइटियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वे कुछ कर पातीं। उन सोसाइटियों को अधिकार नहीं है कि वे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। सोसाइटी कायम हैं तो सरकारी कर्मचारी उन पर हावी हैं और सरकार कभी नीचे से राय नहीं लेती है। आज काफी रुपया वहां के किसानों का बकाया है, लेकिन मिल मालिक उसको नहीं दे रहे हैं। अभी एक बैठक समितियों की हुई थी, उसमें मिलमालिक ने ५ लाख का चेक तो दिया, मगर रुपये वह बैंक से पहले ही निकाल चुके थे। तो इस तरह की बातें होती हैं।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि जो बाराबंकी में सहकारी भट्ठे जैसे सिद्धौर, कोठी, हरख और दलसायें वगैरह में हैं, वहां पर हजारों रुपये का गबन हुआ है। उनमें जो भी छोटी जाति वाले जैसे हरिजन वगैरह आ गये हैं उनको बुरी तरह से ऊंची जाति वाले परेशान किये हुए हैं। नौकर और उन्होंने मिलकर उनको हिसाब कई वर्षों तक नहीं दिया और उनको उस कमेटी से भी अलग कर दिया और उस सोसाइटी में उन्हीं के खानदान वाले २-३ आदमी हैं। घाटा दिखा कर लोगों को धोखा दिया, भट्ठों के संबंध में इस तरह से होता है, सिद्धौर में गबन हुआ लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने सवाल भी उठाया था।

बीज भंडार में भी यही गड़बड़ी है। मैं फैजाबाद कमिश्नर से मिला, दास कमिश्नर ने कहा कि बाराबंकी के मुकाबले में प्रदेश में कहीं भी सोसाइटियों में गड़बड़ नहीं है। सवैयाबाद के मामले के संबंध में जब वीरेंद्र वर्मा जी से मिले तो उनसे कहा कि कई सालों के बीज के बकाया किसानों के अदा हो चुके हैं और किसानों के पास रसीदें आदि भी हैं, लेकिन फिर भी उनसे पैसा बराबर वसूल किया जा रहा है।

नलकूपों की भी आवश्यकता है और सहकारिता द्वारा अवश्य लगने चाहिये, लेकिन लगा एक भी नहीं है। पैसे लोग ले लेते हैं और दूसरे धंधे चलाते हैं।

ऐसा भी होता है कि धान ले लिया, अगर उसको अदा न कर सके तो गेहूं दे दिया और उसका मुजरा इसमें कर दिया। जब-जब बीज लेने जाते हैं तो ऐसा ही होता है और दंड के रूप में कुछ न कुछ देना पड़ता है, इसलिये किसान बीज लेने ही नहीं जाता है। इस प्रकार से सहकारी समितियां सफल नहीं हो रही हैं।

जहां तक सहकारी खेती का संबंध है सरकार की ओर से कहा जाता है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और धन का समुचित, समान बंटवारा होगा, कोई पूंजीपति कायम नहीं होने पायेगा, लेकिन यदि बिना जमीन के बंटवारा किये हुए, लोगों को बिना शिक्षित बनाये हुए और बगैर बेकारी दूर किये हुए सहकारी खेती की योजना सरकार चालू कर देती है तो बड़े-बड़े किसानों का उन पर आधिपत्य हो जायगा ।

श्री रूमीसिंह (जिला शाहजहांपुर)---कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जंगबहादुर वर्मा---आज बड़े-बड़े किसान जो कि २ फीसदी हैं, वह ८३ फीसदी भूमि पर कब्जा किये हुए हैं और इस प्रकार वह मन से भी ऊंचे और धन-धरती से भी ऊंचे हैं। अगर बड़े-बड़े किसानों के साथ छोटे किसान सहकारी खेती में लगाये जायेंगे तो नतीजा यह होगा कि बड़े किसान एक दिन भी खेती पर काम नहीं करेंगे। सरकार कहती है कि इससे बेकारी दूर होगी और खेतिहर मजदूरों के लिये काम मिलेगा और नतीजा यह होगा कि वह काम पर अगर घंटे आध घंटे के लिये गये भी तो अपनी मजदूरी भी शामिल कर लेंगे और अगर किसान बोलेगा तो उसकी वही दशा होगी जो सहकारी भट्ठा, बीज गोदामों में शामिल होने वाले सदस्यों की हुई है । सरकारी अधिकारी बड़े किसानों के साथ उठते बैठते हैं, उनके यहां का दूध, दही, घी, मलाई खाते हैं फिर वह तो छोटे किसानों की शिकायत करेंगे कि यह खेती पर काम नहीं करता और उससे वह जमीन भी छिन जायगी। तो जब तक आप जमीन का बंटवारा नहीं करते और उसके बाद एक वर्ग वालों की सहकारी समितियां, जो खेती करते हैं, उनकी नहीं बनायेंगे तब तक आपकी सहकारी समितियां सफल नहीं हो सकतीं। लेकिन सरकार यह नहीं कर रही है ।

जमींदारी खत्म हुई । बड़े-बड़े किसानों को मजदूर मिलते नहीं, इसलिये सरकार उनकी सुरक्षा के लिये, ताकि उनको मजदूर मिल सकें, सहकारी समितियां बनाती है कि खेती मजदूर करता रहे और जो बटाई का हक है वह बड़ा किसान पाता रहे चाहे वह शहरों में बैठा रहे । लखनऊ, कानपुर और बड़े-बड़े शहरों में बैठे हुए इन बड़े बड़े किसानों की सहायता के लिये सरकार यह सहकारी समितियां बनाती है ताकि खेतिहर मजदूर और छोटे छोटे किसान मिल-कर खेती करेंगे और इन शहरों में बैठे हुए बड़े किसान को बराबर का हिस्सा देंगे । तो हमारा कहना है कि जमीन का बंटवारा किया जाय और सवा ६ एकड़ तक जमीन एक परिवार को दी जाय और अगर इससे ज्यादा जमीन है तो वह बगैर मशीन का सहारा लिये हुए, बगैर मजदूर लगाये हुये अपने हाथ से खेती करें और वह जमीन भी तिगुनी से ज्यादा न हो । अगर इस तरह से सोशलिस्ट पार्टी की नीति के अनुसार सहकारी समितियां बनायेंगे तो सफल होंगे ।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है उसका भार खेती करने वालों पर कम होना चाहिये ।

दूसरे, शिक्षित वर्ग का जहां तक संबंध है आपको साक्षरता सेना भरती करनी चाहिए और फिर जो लोग बेकार हों उनको काम पर लगाया जाय । तब उनकी बराबरी की योग्यता होगी ।

हमारे उत्तर प्रदेश में जंगली जमीन ९० लाख एकड़ है । उसको सरकार अन्न सेना भरती करके तुड़वाये और ३४ हजार भूमिहीन बेकार हैं उनको इस अन्न सेना में लगाया जाय । सरकार यह न करके बड़े भू-स्वामियों और धनिकों को सुरक्षित करने के लिये यह रूपरेखा सहकारी समितियों की बनाये हुए है । सरकार का खयाल है कि उसकी योजना से देश में उत्पादन बढ़ेगा, सामाजिक बराबरी आयेगी, धनिक और पूंजीपति खत्म होंगे । लेकिन सरकारी नीति उल्टी है । अगर यह सोशलिस्ट पार्टी के अनुसार चले तो देश में उत्पादन बढ़े और बराबरी आये ।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

जो नलकूपों के लिये डीजल है उस पर और जो जिन सिनेमा के लिये चलते हैं उनके लिये जो डीजल खर्च होता है दोनों के ऊपर सरकार का टैक्स बराबर है। आज किसान की सिंचाई की दर जिस पर देश का उत्पादन निर्भर करता है और सिनेमा वालों पर बराबर का टैक्स पड़ रहा है। अन्न पैदा करने वाले किसान पर उतना है जितना कि ऐश करने वालों के लिये सुन्दर चीजें देखने का साधन-सिनेमा जो धनिकवर्ग देखते हैं उन दोनों के ऊपर बराबरी का टैक्स, पड़ता है। तो सरकार को चाहिये कि उत्पादन करने वाले किसानों पर सिंचाई का कर कम करे। लेकिन सरकार की नीति उल्टी है।

कपड़े के संबंध में सहकारी समितियां कायम हैं लेकिन उनमें भी गड़बड़ मामला है। कपड़ा जब तैयार होता है तो सरकारी कर्मचारी उन छोटे छोटे कपड़ा बनाने वाले कारीगरों से मिलकर के दस्तखत करा लेते हैं और वह कपड़ा थोक व्यापारियों को दे देते हैं और उनसे कमीशन लेते हैं। अगर सरकार इस बात पर विश्वास न करे तो वह एक जांच कमेटी मुकर्रर करे या खुद इस बात की जांच कराये।

कर्ज के संबंध में जो सोसाइटियां बनी हुई हैं उनके संबंध में भी बताऊं कि किसको कर्जा मिलता है। सोसाइटी बनी हुई हैं लेकिन अगर कोई गरीब आदमी कर्जा लेना चाहे तो वह पहले लेखपाल से इंतखाब ले आवे। उसके बाद भी महीनों लग जाते हैं। उसको भी रिश्वत देनी पड़ती है तब कहीं जाकर कर्जा मिल पाता है। उस पर सूद कितना लिया जाता है? मुनाफे के लिये सूद नहीं लिया जाना चाहिये। मद्रास और काश्मीर की तरफ बैंक से कोआपरेटिव सोसाइटीज को जो कर्जा मिलता है वह कम सूद पर मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ९ फीसदी सूद लेती है, वहां ६ फीसदी ही लिया जाता है। यहां पर कितनी मुनाफाखोरी है? जो बेचारे छोटे वर्ग के गरीब लोग हैं उनको इन सोसाइटियों में कर्जा नहीं मिल पाता है।

आज इन सोसाइटियों पर पढ़े-लिखे बड़े-बड़े लोग जो धनिक वर्ग के हैं, वही कब्जा किये हुए हैं। वह बैंक से कर्जा ले आते हैं और खुद ले लेते हैं। जब सोसाइटी में हर छोटे बड़े सदस्य की बराबर जिम्मेदारी होती है तब फिर लेखपाल से तस्दीक कराने की क्या जरूरत है। गरीब आदमी तो १०-२० रुपया ही पाते हैं लेकिन बड़े बड़े आदमी सैकड़ों और हजारों रुपया ले लेते हैं। जब सोसाइटी जिम्मेदार होती है घाटे की या गबन की तो फिर लेखपाल या अन्य अधिकारियों से तस्दीक कराने की क्या जरूरत है, सोसाइटी स्वयं तस्दीक कर दे। जब सोसाइटी में रुपया जमा है और सोसाइटी खुद जिम्मेदार है तो फिर रुपया उन्हें क्यों न दे दिया जाय। लेकिन हो बिलकुल उल्टा रहा है। आज गांव के स्तर पर जाकर देखें। वहां पर जो गरीब और पिछड़े हुये हैं वह सोसाइटी में नहीं हैं। अगर कुछ लोग किसी न किसी प्रकार उसमें आ भी गये तो उनको एक पैसा भी नहीं मिल पाता है। वह कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं।

मैं आपको बताऊं हैदरगढ़ इलाके की बात बल्कि स्वयं अपने गांव की बात बताता हूं कि वहां एक सोसाइटी बनी है कागज पर जो बिलकुल फर्जी है। एक बार एक बढ़ई ने कर्जा लेने की बात कही लेकिन वह नहीं पा सका। वह कई बार लेखपाल के पास गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कारण यह है कि बड़े-बड़े सामन्त लोग उनपर कब्जा किये हुए हैं। इसी तरह से तमाम सोसाइटियां फर्जी तौर पर कागज पर बनी हुई हैं। अधिकारियों ने नकली सोसाइटियां बना रखी हैं। इसका कारण यह है कि विकास खंड के जो चुनाव होने वाला है उसमें यही लोग कब्जा करेंगे जो कि सोसाइटियों के अन्दर फर्जी तौर से हैं या सरपंच हैं। सरकार की नीति ही उल्टी है। यह जो पैसे वाले सोसाइटियों के अन्दर हैं उनको वोट देने का हक है और चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इस तरह से वे विकास खंड पर भी कब्जा करेंगे। गरीबों के लिये कहीं कोई ठिकाना नहीं है।

सरकार ने आजतक किसी इलाके में बीज का उत्पादन नहीं किया है। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि किसानों के लिये बीज, खाद और पानी की व्यवस्था की जाय

और समान रूप से एक श्रेणी वाले लोग ही एक सोसाइटी के अन्दर होने चाहिये। जब तक असमान व्यक्ति इसमें रहेंगे तब तक वह नहीं चल सकती। जैसे कि एक बैल और कुत्ते को एक जोत में लगा दिया जाय तो ऐंचातानी होगी और कुत्ता मर जायगा। इसी तरह से जब एक किसान गरीब है और दूसरा अमीर है और उच्च है-जाति से, मन से और धन से, तो वह हर तरह से उसके ऊपर हावी रहेगा और फिर काम ठीक से नहीं चल सकता है। गरीब की शिकायत अधिकारियों से भी होगी। अगर आप विदेशी कर्जे के चंगुल से छूटना चाहते हैं तो पहले आप सहकारिता को ठीक तरह से चलाइये। लोगों को शिक्षा दीजिये और एक श्रेणी में लाने का प्रयत्न कीजिये। बेकारों, जमीन तथा उत्पादन करने वालों पर बोझा कम कीजिये। लेकिन सरकार की नीति तो उल्टी ही है। सरकार कहती तो यह है कि सहकारिता से बेकारी कम होगी। लेकिन आज आप देखें कि सहकारी गोदामों और भट्ठों में क्या हो रहा है। मिलों में जो यूनियनें बनी हैं उनकी क्या दशा है। अगर इन सब चीज को देखते हुए सरकार कुछ नहीं करती है तो वह बदमाशी करती है और इससे देश का सत्यनाश होगा। गरीबों किसानों तथा उत्पादन करने वालों, श्रम करने वालों के साथ विश्वासघात होगा। इससे देश का अहित होगा। सरकार की जो नीति अब तक चली आ रही है उससे अमीर और अमीर हुआ है और गरीब और ज्यादा गरीब हुआ है। फिर भी सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों और सेठों के चक्कर में फंसी हुई है। यह जो सहकारिता की पुस्तक बनी है इसको भी सेक्रेटेरियट के बड़े बड़े अफसरों ने बनाई है। मंत्री जी ने नहीं बनाई। अगर मंत्री जी ने बनाई होती तो प्रदेश के उत्पादन की तरफ उन्होंने ध्यान दिया होता।

श्री अधिष्ठाता---सेलेक्ट कमेटी में आपको संशोधन करने का मौका मिलेगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा---आज जो सेक्रेटेरियट के बड़े बड़े अफसर हैं उन्होंने इस पुस्तक को बनाया है, जो आई०सी०एस० और आई०ए०एस० हैं और यह सब बड़े आदमी हैं और अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिये वह ऐसी योजना बनाते हैं और यह योजना इसलिए बनाई है कि सहकारी खेती भी होती रहे और हमारी जमीन भी सुरक्षित रहे।

सोशलिस्ट पार्टी ने तो यह नारा दिया है कि धरती उसकी जो उसको जोते और मिल उसकी जो अपने हाथ से चलाये। जब इन बड़े-बड़े आदमियों ने देखा कि किसानों की तरफ से जमीन पर कब्जे करने की कोशश हो रही है तो उन्होंने यह योजना बनाई जिससे उनकी भूमि सुरक्षित बनी रहे और उन अशिक्षित और मेहनत करने वालों को धोखा दिया जा सके। सरकार इसकी जांच करे कि १३ वर्षों में जो उसने कायदे कानून, या जो योजनायें बनायी हैं क्या वे ऐसा नहीं हैं ? अगर सरकार की यही नीति रही तो देश गिरेगा और देश में बड़ी भारी क्रांति होगी।

आज सुना जाता है कि चीन ने हिन्दुस्तान की सीमा पर १२ हजार वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है। क्यों नहीं किसी का मन दुखता ? सभी लोग कहते हैं कि "कोई नृप होय, हमें का हानि।" आज चाहे कांग्रेस राज्य हो, चाहे अंग्रेजों का राज्य हो और चाहे सोशलिस्टों का राज्य हो हमें कहीं सुख नहीं है और न सुख होगा। हमको क्या है ? चाहे चीन आवे, चाहे रूस आवे। लेकिन अगर सरकार ने गरीबों के साथ कुछ किया होता, सहकारी समितियां गरीबों के हित में बनाई होतीं, समानता लाई होती, सामन्तों को नीचे और गरीबों को ऊपर उठाया होता तो आज चीन की हिम्मत ही नहीं पड़ती। चीन तो क्या उसके बाप रूस की भी हिम्मत न पड़ती। एक अंगुल खेत की मेड़ कट जाने पर कत्ल तक हो जाते हैं क्योंकि किसान उसको अपनी संपत्ति समझता है। लेकिन हिन्दुस्तान की भूमि को जिसे वह भारत-माता कहता है, अपनी मां नहीं समझता। यह सरकार की मां कही जाती है। लेकिन यह मां देश के गरीब और मेहनत करने वालों के साथ सौतेला भाई का सा व्यवहार करती है। हिन्दुस्तान में पैदा होने वालों को बराबर नहीं समझती है। जो काम नहीं करते वे गगनचुम्बी

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

इमारतों में मौज करते हैं और काम करने वाले मारे मारे फिरते हैं। यही कारण है कि चमार, कुर्मी, कोरी और अहीर इनको कोई इज्जत नहीं होती और संपत्ति वाले की इज्जत होती है। जो प्राणायाम करता है, काम नहीं करता है, उसकी पूजा होती है लेकिन केवट तथा मल्लाह जो तालाब में डुबकी लगाकर सिंघाड़े की जड़ें लगाकर सिंघाड़ा पैदा करके अपने जीवन के साथ-साथ संसार के जीवन को भी पालता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---अधिष्ठाता महोदय, यह अवसर इस बिल के जनरल प्रिंसिपिल पर डिस्कशन करने का है और उन्हीं के ऊपर विचार होना चाहिये। लेकिन माननीय सदस्य का जो भाषण घंटे भर से हो रहा है वह इस तरह का है मानो बजट का जनरल डिस्कशन हो रहा है और विभागों की नुक्ताचीनी हो रही हो। मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका ताल्लुक इस बिल से रहा हो, यह इरेलेवेंट स्पीच है। इसलिये यदि माननीय सदस्य बिल के जनरल प्रिंसिपिल्स पर ही बोलें तो अच्छा हो।

श्री अधिष्ठाता---मैं खुद भी यही सोच रहा था कि मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूं कि आपको वक्त तो है ही और जब तक आप चाहें बोलें, लेकिन दूसरे भाई भी फायदा उठा लें तो अच्छा होगा। यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है और सब लोग अपनी अपनी बात वहां कह सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह इसके उसूलों तक ही अपनी तकरीरों को सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा---मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आप अपनी तकरीर जारी रखें, माननीय सदस्यों को ऐड्रेस न करें।

श्री जंगबहादुर वर्मा---सहकारिता इसलिये है कि बेकारी दूर हो, पैदावार बढ़े और एक सामाजिक ढंग से आर्थिक बटवारा समाज में हो, लेकिन इसका नतीजा यह हो रहा है कि यह जो सहकारिता का बिल आया है, इसमें यह है कि जो काम करेगा वह निन्दनीय होगा और जो काम नहीं करेगा वह पूजनीय होगा। आज तक की यह परम्परा रही है कि जो काम करे वह निन्दनीय और जो काम न करे वह पूजनीय, वही सहकारिता इस बिल में रखी गई है।

आज आप मानें या न मानें, आपके यहां भी सहकारी सोसाइटियां चल रही हैं, आपको भी श्रीमन्, उनके संबंध में अपने यहां सहकारी भट्ठों और बीज भंडारों का अनुभव होगा। अगर वाकई आप सहकारी खेती को चलाना चाहते हैं तो जो सोशलिस्ट पार्टी की पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें और उनके अनुसार चलायें। ऊपर से देखने में सब ठीक है, लेकिन उसके अन्दर क्या है, जहर भरा है, अगर उस को कोई इस्तेमाल करेगा तो जरूर मर जायगा। आज हालत यह है कि सरकार की नीतियों पर जनता को विश्वास नहीं है। जितनी योजनायें सरकार की लागू हुईं अन्त में सभी असफल रहीं। सहकारिता अच्छी चीज है, लेकिन अगर सारी योजना जनहित की दृष्टि से बनाई जाय तो लोग उसका प्रयोग करेंगे। बस मैं इतना कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय।

(इस समय २ बज कर ४२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सहकारिता का जो विधेयक हाउस में पेश है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज इस समय इस बिल को लाने की क्या जरूरत पड़ी, इस संबंध में सबसे पहले मुझे शिकायत करना है कि आज भारत की गरीबी और अपने प्रदेश की गरीबी अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। आज देश को आजाद हुए १३-१४ साल हो गये, लेकिन फिर भी देहातों में और शहरों में कहीं भी गरीब आदमी को

पूरा श्रम करने पर भी खाना, रोटी, कपड़ा नहीं मिलता और चारों तरफ हाहाकार मचा है। इसी दृष्टिकोण को लेकर कांग्रेस ने एक समाजवादी प्रोग्राम को अपनाया और अवाडी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया और उसी के आधार पर एक समाजवादी ढांचा बनाने के लिये वह दिन प्रति दि। कोशिश हो रही है। इसमें लिखा है कि उद्देश्य को हासिल करने के लिये कांग्रेस ने कई पं वर्षीय योजनायें चलानी चाहीं। कांग्रेस सरकार की पहली पंचसाला योजना बेहद सफल हुई। इ।लिये कांग्रे ने संविधान की धारा १ और भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं राजनीति के हिदायती उसूलों में दिये गये मकसद को हासिल करने के लिये अवाडी अधिवेशन (जनवरी, १९५५) में एक प्रस्ताव पास किया कि देश में योजना के अनुसार काम हो, ताकि समाजवादी ढंग का समाज कायम किया जा सके। इस तरह के समाज में उत्पादन के मुख्य साधनों पर समाज की मिल्कियत या नियंत्रण होगा, उत्पादन को धीरे-बढ़ाया जायगा और राष्ट्रीय धन का बराबर बटवारा होगा। महात्मा गांधी के बताये हुए सामाजिक ढांचे की क्रांतिकारी विचारधारा से शुरुआत करने के बाद कांग्रेस बराबर ही एक अर्थनीति की चर्चा करती रही जो उसका और पिछले कई सालों से चलने वाली सरकार का मार्ग-दर्शन करें। इस तरह अवाडी में कांग्रेस ने पहली बार अपनी विचारधाराओं को एक नाम दिया। तब से आज तक सरकार एक के बाद एक इन मकसदों को हासिल करने और भारतीय जनता के लिये 'समाजवादी ढांचे' को एक हकीकत बनाने में अपनी सारी ताकत लगाये हुए हैं। यह है एक छोटा रिजोल्यूशन और इसी के आधार पर आज इस समाज को आगे बढ़ाने के लिये कोशिश की जा रही है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं और खासतौर से गोविंदसिंह विष्ट जी से कहना चाहता हूं कि जब इसी सदन में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव आया था तो उस समय जो राजा, महाराजा और ताल्लुकेदार लोग थे उनको बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया और कहा कि किसी तरह से यह लागू न हो, लेकिन वह पास हुआ और काश्तकारों को जमीन मिली और उनमें चेतना आई। आज हमारे देश की जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए और समाज को दूसरी हालतों को देखते हुए आज यह राजा महाराजा लोग अब दूसरी नीति अपनाये हुए हैं। एक तरफ तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस देश से समाजवाद को हमेशा के लिये दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस नीति को देखकर कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में दोबारा फिर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। नागपुर में जनवरी, १९५९ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें कृषि के भविष्य के ढांचे के सम्बन्ध में कहा गया, "भविष्य में कृषि का ढांचा सहयोगी सम्मिलित कृषि ही होगा। इसमें जमीन पर मिल-जुल कर खेती होगी। किसानों की जमीन पर अपनी मिल्कियत ज्यों की त्यों बनी रहेगी। वे अपनी जमीन के अनुपात में अपना हिस्सा कुल अनाज से पावेंगे। आगे, जो लोग सचमुच जमीन पर काम करते हैं, चाहे वे जमीन के मालिक हों अथवा न हों, वे भी संयुक्त खेती में से अपने काम के आधार पर अपना हिस्सा पावेंगे।"

संयुक्त खेती शुरू करने के पहले कदम के रूप में 'सर्विस कोआपरेटिव' का संगठन होना चाहिये। तीन वर्षों में यह कार्य समाप्त हो जाना चाहिये। जो जमीनें आज जिनके पास हैं और आगे भी जो जमीन जिनके पास होंगी, उनकी अधिकतम सीमा निर्धारित करनी होगी, इसका अर्थ यह नहीं है कि आमदनी की भी सीमाबन्दी हो जायगी। जो अतिरिक्त जमीन बचेगी वह पंचायतों के अधिकार में होगी। उनकी व्यवस्था भूमिहीन मजदूरों की सहकारी संस्थायें करेंगी। यह एक छोटा सा प्रस्ताव है। इसे देखकर यहां के वे लोग जो प्रगतिशीलता में बाधा डालने वाले हैं उन्होंने इसका विरोध करने के लिये एक बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा किया और देहातों में जाकर नाना प्रकार के नारे लगाने शुरू कर दिये। जिस तरीके से जब अंग्रेजी साम्राज्यशाही को खत्म करने के लिये कांग्रेस ने आन्दोलन शुरू किया तो ये लोग कहते थे कि अंग्रेजों के पास फौज है, हवाई जहाज हैं और पुलिस है, किस तरह से यह आन्दोलन सफल होगा, किस तरह से जीतेंगे, उसी तरीके से आज देहात में ये लोग, ये पार्टियां—स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी, किसानों को तरह तरह से भड़काने की कोशिश कर रही हैं। सहकारी खेती के खिलाफ तरह-तरह के नारे दिये जा रहे हैं। कहीं कहते हैं कि गबन हो गया, कहीं कहते हैं कि सहकारी

[श्री गंगाप्रसाद]

खेती कराएंगे या अगर आपका लड़का भुट्टा या मटर तोड़ कर खाना चाहेगा तो उसके लिये भी कनेटा बैठेगा। इस प्रकार की गलत बातें देहातों में सहकारिता के विरोध में की जा रही हैं। आज यह बिल आ गया है इस पर हर पार्टी विचार करेगी। माननीय जंगबहादुर वर्मा कह रहे थे कि यह थोथा बिल है। मैं कहता हूं यह बिल तो अभी सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है, वहां सभी पार्टी के सदस्य विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें खराब बातें हैं, उनको दूर करेंगे। जो धारायें जनहित में नहीं हैं उनको निकालिये और अच्छा लाइये जिससे किसानों का लाभ हो, गरीबी दूर हो, भूमिहीनों को जमीन और रोजी मिल सके और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। इस बिल के जरिये से मुल्क में समाजवाद ढांचा और सरकार बनाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। इस बिल के जरिये से चाहते हैं कि भूमिहीनों और गरीबों का शोषण बन्द हो, यह भी चाहते हैं कि गरीब किसान भूमिहीन का लड़का.....

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री गंगाप्रसाद---मैं कह रहा था कि गरीब किसान के लड़के पढ़-लिख कर देश का नाम रौशन कर सकें और गरीबी से देश को बचा सकें। आज हमारे जनसंघ के भाई, जिनकी विचार धारा महाधार्मिक है, वह भी जनता में गलत धारणायें फैला रहे हैं यह कह कर कि जिस तरह से जमींदारी गई उसी तरह से काश्तकारी जायगी। सरकार इस मुल्क में सामूहिक फार्मिंग खोलने के लिये नया कदम उठा रही है। सहकारिता के आधार पर ऐसी-ऐसी गलत बातें कही जाती हैं। वे लोग जो धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत हैं और जिनकी विचारधारा इस देश में फासिज्म लाने की है वे चाहते हैं मुल्क में गरीबी रहे; जिन लोगों का सदियों से शोषण हुआ वह मरा रहे हैं, चाहते हैं यही दशा उनकी सदा बनी रहे। इसलिये मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनता १८ साल में काफी जाग्रत हो चुकी है। माननीय जंगबहादुर वर्मा जी ने आज एक नया शब्द इस्तेमाल किया, नीच जाति का नाम उन्होंने सदन में रखा, मैं उसी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था कि यह नीच शब्द पार्लियामेंट्री है कि नहीं, लेकिन रामजी सहाय ने कहा कि जंगबहादुर वर्मा जो बैकवर्ड जाति के होते हुए भी इन गरीबों का शोषण करते हैं, हरिजनों का शोषण करते हैं जिनके द्वारा वे खेती करते हैं।

मैं तो चाहता हूं कि आज चाहे, कोई सोशलिस्ट हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी का हो, चाहे जनसंघ का हो, चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी का हो, सब जमीन सरकार में निहित कर दें और सहकारिता के आधार पर सामूहिक फार्मिंग हो और अगर इस पर वे तैयार हों और सोशलिज्म लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुल्क में सभी सुखी हों, सभी के बच्चे और घर राष्ट्र के हों तो आयें हिम्मत के साथ और एलान करें कि इस बिल को बदलिये और यह सारी चीजें लाइये कि जमीन का मालिक व्यक्ति न हो बल्कि समाज हो। हम तो कहते हैं कि इस बिल के अन्दर आप इतनी हिम्मत कीजिये कि समाजवाद का नाम लेकर मिलमालिकों का राष्ट्रीयकरण कीजिये, उनके उत्पादन और मुनाफे में भी मजदूरों का पूरा-पूरा हिस्सा हो। लेकिन हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के दूसरे होते हैं। आज कोई नहीं चाहता कि यहां से गरीबी दूर हो। सब यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी या हमारी व्यक्तिगत हैसियत बढ़े और पूरे समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस ने जो प्रोग्राम रखा है उसके अनुसार काम होने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कृपया बिल पर भी बोलें, इंट्रोडक्शन बहुत काफी हो चुका।

श्री गंगाप्रसाद---कल भाई गोविंदसिंह जी ने कहा कि अगर सहकारी समितियों में जमीन दे दी गयी तो फिर उसको निकालने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के प्रस्ताव में और इस बिल में भी यह बात साफ है। लेकिन आज इस देश में वह फासिज्म लाना चाहते हैं।

जैसे किसी जमाने में हिटलर कहा करता था वही बात आज जनसंघ वाले कहते हैं। इस देश से गरीबी को दूर करने के लिये जो यह एक नया कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है उसको छिन्न-भिन्न करने के लिये एक आंदोलन चलाया गया है और वह है सहकारिता का विरोध। इसमें राजाओं, महाराजाओं और बड़े-बड़े काश्तकारों की सीटें चली जायंगी क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी ढांचा बनाने का निश्चय कर लिया है। अब अगर कांग्रेस के नेता भी उससे मुड़ना चाहें तो जनता उनको भी पीछे नहीं मुड़ने देगी। आज गरीबों के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको रोकने के लिये जनसंघियों की कोई चाल नहीं चलेगी। आज जब सहकारिता का बिल इस हाउस में आया तो उस पार्टी की तरफ से, जिसके कर्णधार श्री राजगोपालाचारी हैं, कोई भी सपोर्ट या विरोध नहीं किया गया और न कोई उस पार्टी का सदस्य ही यहां नजर आ रहा है, और क्यों नजर आये ? आज तो उन गरीबों की रोजी का सवाल है, उनको हिस्सा मिलने वाला है उनकी जायदाद में।

इस कानून में तो यह भी है कि जो आदमी काम नहीं करेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा। अगर इस बिल को सदन मंजूर कर लेता है तो इस देश में गरीबी शीघ्र से शीघ्र दूर हो जायगी और यह देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगा। जब सभी विभिन्न उपाय खाद्यान्न की उपज बढ़ाने में सफल नहीं हुए और जब लगातार करोड़ों रुपये विदेशों को भेजकर अन्न खरीदना असम्भव जान पड़ा, साथ ही साथ दूसरे देशों में खाद्यान्न की उपज को हमने बढ़ते हुए देखा तो हमें इस बात का पता चला कि जहां एक ओर हमारे देश में निरन्तर प्रयत्न करने पर भी खाद्यान्न की कमी है, वहां अमरीका तथा योरोप के अन्य देशों में खाद्यान्न की उपज काफी बढ़ी है और वहां आज भी उपज की वृद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्न हो रहे हैं। अध्ययन के द्वारा हमें यह भेद मालूम हुआ कि इस प्रगतिशील संसार में दुनिया के दूसरे देशों के किसान इस बदलती हुई दुनिया के साथ साथ चलने का प्रयत्न करते रहते हैं। यही कारण है कि उन देशों में नये और वैज्ञानिक साधनों के उपयोग से खाद्यान्नों की उपज काफी मात्रा में बढ़ी है। इसके विपरीत हमारे देश के किसान सदा से पुरातन और रूढ़िवादी होने के कारण नये और वैज्ञानिक साधनों के उपयोग से डरते और दूर भागते रहे हैं। अतः हमारे नेताओं ने इस भेद को स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि यदि नये और वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाय तो कोई कारण नहीं है कि हमारे देश में खाद्यान्न की उपज न बढ़े और हम अपने अन्न की उपज में स्वावलम्बी ही नहीं वरन् दूसरे कम उपज वाले एशिया के पिछड़े हुये देशों को अन्न की सहायता पहुंचाने में समर्थ भी हो सकते हैं। एक तो इस प्रकार जैसे रूस में हुआ है कि वहां की सरकार ने उन छोटी-छोटी जोतों को उनके मालिकों से छीनकर उन्हें सम्मिलित खेती का रूप देकर उस सम्मिलित भूमि पर उनके मालिकों से ही खेती करायी है। यह जबरदस्ती किसानों की इच्छा के विरुद्ध उनकी भूमि छीनकर उस पर सम्मिलित खेती कराने की बात कांग्रेस सरकार की अहिंसामूलक नीति के सर्वथा विरुद्ध है।

श्री अधिष्ठाता--आर्डर, आर्डर, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बिल पढ़कर नहीं आये हैं और इसलिये बिल के ऊपर नहीं बोल रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद--अधिष्ठाता महोदय, मैं पढ़कर आया हूं और यही बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य कृपा करके बैठें। यह जो समय है इसमें आपको बिल के सिद्धांतों पर बोलना है। आप इंट्रोडक्शन के तौर पर, प्रस्तावना के रूप में काफी बोल चुके हैं कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। मैं समझता हूं कि अब बिल के ऊपर भी आपको बोलना चाहिये और अगर आप पढ़ कर नहीं आये हैं तो कृपा करके बैठें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अधिष्ठाता महोदय, बिल इनके पास है नहीं। बिल इनको मिला नहीं।

श्री अधिष्ठाता---आर्डर, माननीय सदस्य कृपा करके बैठें। (श्री गंगाप्रसाद से) अब कुछ बिल पर आप बोलेंगे ?

श्री गंगाप्रसाद---बोल तो रहा हूं बिल पर।

श्री अधिष्ठाता---नहीं, जो बिल के सिद्धान्त हैं उन पर आप बोलना चाहें तो जारी रखें अन्यथा कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गंगाप्रसाद---अधिष्ठाता महोदय, यह सिद्धान्त की बात सबसे पहले है और उसके बाद बिल आता है। अगर सिद्धान्त सही है तो बिल में जितनी धारायें हैं वह ठीक होंगी।

श्री अधिष्ठाता---कोआपरेटिव के खिलाफ और पक्ष में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन इस समय इस बिल में जो सिद्धान्त निहित हैं उनके ऊपर आपको बोलना है। यह बजट डिबेट का अवसर नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद---हां, वही तो कह रहा था। अधिष्ठाता महोदय, बिल के अन्दर सारा का सारा अधिकार नौकरशाही को दे दिया गया है। यह इस बिल में सुधार करना है। आज सबसे बड़ी पावर रजिस्ट्रार को दे दी गई है। उसकी वह पावर खत्म होनी चाहिये और उन सोसाइटीज को मिलनी चाहिये जो कि वहां पर बनी हुई है। नौकरशाही का इतना ज्यादा बोल-बाला है कि आज इन खराबियों को अगर दूर कर दिया जाय तो बिल बहुत ही सुन्दर हो सकता है। इस बिल में कई चीजें ऐसी हैं कि जिनको अध्ययन करने के बाद धारावार जब इस पर विचार होगा तब मैं उनके बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां पर कि कृषकों के खेतों का संबंध है, दस बारह किसान या गांव के पूरे किसान उस सहकारिता में शामिल हो सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर उन किसानों को वह सारी सुविधायें इस बिल के द्वारा मिल जायेंगी जिनके पास कि थोड़े से खेत हैं। आज अगर वह बैल लेना चाहें या खेती के नये औजार लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी बनाकर वह इस काम को करते हैं तो ये सारी सुविधायें उनको प्राप्त होंगी।

इसके साथ-साथ इस बिल के अन्दर एक खूबी यह भी है कि जब किसान चाहे कि वह अपने खेत को सोसाइटी में नहीं रखना चाहता है तो उसको यह अधिकार है कि वह खेत निकाला जा सकता है। इसके साथ-साथ अगर हम इस बिल को यों ही बगैर धाराओं को देखे पास कर देते हैं तो थोड़ी-सी गड़बड़ी हो जायगी लेकिन अगर इसको सेलेक्ट कमेटी में विचार होने के बाद बनाया जाता है तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन होगा और अवश्य होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह बिल पास होने के बाद जनहित के लिये काफी लाभदायक होगा।

***श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जौनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। इस कोआपरटिव बिल के सिलसिले में जो मेरा सब से बड़ा एतराज है वह यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिये इतना महत्वपूर्ण बिल इस सदन में पेश हो और दो दफा आपको घंटी बजवानी पड़े कि सदन का कोरम पूरा हो, यह खेद की बात है। इतना बड़ा बिल जिसमें ७ करोड़ आदमियों की जिन्दगी और मौत का सवाल हो, उनकी रोजी का सवाल हो, इतने बड़े बिल के डिस्कशन के अवसर पर ट्रेजरी बेन्चेज पर केवल एक मंत्री महोदय निहायत बुजुर्ग बाकी हों, सब मंत्री गैरहाजिर हों तो यह सबसे बड़े दुख की बात है। जिन्हें इस बिल को पायलेट करना चाहिये, जिन मंत्री महोदय को इस सदन के दोनों ओर के सदस्यों के दृष्टिकोण को समझना चाहिये और नोट करना चाहिये, मेरा मतलब है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि वह सहकारिता मंत्री ही जब यहां पर मौजद न हों तो भगवान जाने कि इस बिल का, जब यह ऐक्ट बनेगा, कैसे फंक्शन इम्पलीमेन्टेशन होगा ?

आज हिन्दुस्तान के लेजिस्लेशन में जो सब से बड़ी दुख की बात है वह यह है कि जो कानून हिन्दुस्तान में बनाये जाते हैं उनके सिद्धान्त बड़े ऊंचे होते हैं मगर उनके कार्यान्वित करने का तरीका जो बनता है वह अत्यन्त दोषपूर्ण होता है। नतीजा यह होता है कि कानून बन जाने के बावजूद भी उस कानून से जो सुविधा मिलनी चाहिये ....

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---उस कानून से जो सहायता और जो सुविधा उत्तर प्रदेश की जनता को मिल सकती है या देश की जनता को मिल सकती है, चूंकि फंक्शनल इम्पलीमेन्टेशन उस कानून का नहीं होता, इसलिये नहीं मिलती है। इसलिये मैं एक बात यह निवेदन करूंगा कि कोआपरेटिव का सबसे पहला कानून १९१२ में बना। आज उसको ४० वर्ष हो गये। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि इन ४० वर्षों के तजुर्बे को लेकर, जो मौजूदा बिल ड्राफ्ट किया गया है, जो मौजूदा बिल बनाया गया है, उसमें उन बातों को इन्कार्पोरेट किया गया। यह ४० वर्ष का कोआपरेटिव सोसाइटीज के वर्किंग का तजुर्बा, गांव के लोगों की तकलीफों का, रोज जो उनके सामने अड़चनें आती हैं, उन सबका इस बिल में कोई भी जिक्र नहीं है। साफ जाहिर है इससे कि एक पुराना बिल मौजूद था १९१२ का, उस बिल को उठाया गया और वही सारी डेफिनिशन क्लाज बाइ क्लाज लिखते चले गये और इस तरह से नई सहकारी खेती का बीज शुरू हुआ और नारा उसको कांग्रेसी दोस्तों ने दिया। उसको किसी स्थान पर इन्कार्पोरेट कर दिया गया, वरना आप देखें कि १९१२ में आज से ४० वर्ष पहले कोआपरेटिव का जो बिल बनाया गया और आज जो बिल पेश किया गया है उसमें आप कोई अन्तर नहीं पायेंगे।

एक बात आप और देखें। इस बिल की बाबत पुरानी सरकार के जमाने में ही कहा गया था कि यह बड़ा इम्पार्टेंट बिल है और जल्दी ही आने वाला है। उसके बाद उसी पार्टी की एक दूसरी सरकार आयी और यह बिल आया। इस से जाहिर है कि यह उसी सरकार का तैयार किया हुआ बिल है। मेरा निवेदन यह है कि ४० साल का कोआपरेटिव मूवमेंट का जो तजुर्बा है उसका फायदा इस बिल में नहीं उठाया गया। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि ४० साल के तजुर्बे के बाद सरकार को यह तो जानकारी जरूर हो गई होगी कि अधिकारियों का हस्तक्षेप जैसा इस कोआपरेटिव मूवमेंट में हुआ उससे यह कोआपरेटिव मवमेंट उत्तर प्रदेश में मर गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हैं, इंस्पेक्टर्स या जो सोसाइटियों के मंत्री लोग हैं, उन्होंने इसका ऐसा मखौल बनाया और इसे ऐसे सांचे में ढाला कि इसका जो फायदा उत्तर प्रदेश को होना चाहिये था वह नहीं होने पाया। वह फायदा लोगों को मिल नहीं सका। मैं समझता हूं कि इसकी वर्किंग के सिलसिले में हजारों दरख्वास्तें लोगों की तरफ से आयी होंगी, कोआपरेटिव में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने हजारों तरह की शिकायतें इन अधिकारियों की की होंगी, लेकिन अगर आप इस बिल को पढ़ें और मेरा विश्वास है कि आप ने इसे जरूर पढ़ा होगा, तो जितनी शिकायतें और दिक्कतें इसके प्रेक्टिकल वर्किंग में काम करने वालों को आयी हैं उनका निराकरण इस नये बिल में नहीं किया गया है।

मेरी सबसे बड़ी शिकायत इस बिल के बारे में यह है कि ब्योरोक्रेटिक मेंटेलिटी से ओतप्रोत जो कुछ लोग थे उन्होंने इसका फाइनल ड्राफ्ट किया है और यह उनके दिमाग की उपज है। न तो इस बिल को वे लोग ड्राफ्ट कर सकते थे कि जिनको सहकारिता में सही मानों में रुचि थी और न वे कि जिन्होंने सहकारिता का ठीक तरीके से अध्ययन किया है। आप देखें कि इसमें रजिस्ट्रार को कितनी ज्यादा ताकत दे दी गई है। म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उसके इम्प्लाइज जो होते हैं वह उनके नौकर होते हैं। उन पर केवल कमिश्नर का कंट्रोल होता है और कोई कंट्रोल नहीं होता लोकल स्तर पर। वे अपने नौकरों को तरक्की दे सकते हैं, बरखास्त

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

कर सकते हैं, नये लोगों को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन इन कोआपरेटिव सोसाइटियों में लखनऊ में जो रजिस्ट्रार महोदय बैठे हैं वे उन सब पर हावी होंगे और उनका कंट्रोल करेंगे। मैं जानता हूं कि जब कोआपरेटिव सोसाइटियों के लोग मंत्री महोदय के पास अपने रुपये के लिये पहुंचते हैं तो एक एक गांव से ५०-५० और १००-१०० आदमी आते हैं और आने पर उनको बता दिया जाता है कि आज रुपया नहीं मिलेगा। वह बेचारे दस दस मील फिर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। तो ऐसे अधिकारी जो सरकार से अपना संबंध रखते हों और उन सोसाइटियों से अपना संबंध न रखते हों उन के हाथ में जब सोसाइटियां सौंप दी जायंगी तो उन की जन्म से पहले ही हत्या हो जायगी।

इसी सिलसिले में जो ट्रिब्युनल की बात कही गई है उसमें मैंने देखा है कि आज लेजिस्लेशन में एक नया ट्रेन्ड चल पड़ा है और वह यह कि एडहाक ट्रिब्यूनल्स बनाने की परम्परा स्थापित कर दी गई है। जितने भी लेजिस्लेशन यहां आये, चाहे वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के हों या गोदामों के या कोआपरेटिव के या मोटर वेहिकिल्स के हों, हर जगह, आज यह ट्रेंडसी हो गई है कि एडहाक ट्रिब्युनल्स बना दिये जांय। इससे दिक्कत पैदा होती है। यह जो ट्रिब्युनल्स होते हैं इसमें जजेज की फाइनलिटी नहीं होती। नतीजा यह होता है कि उनको फिर सिविल कोर्ट जाना पड़ता है या हाई कोर्ट जाना होता है। आजकल लेजिस्लेशन का जो ट्रेन्ड है वह मौलिक रूप से गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून के मामले में अगर किसी तरह का डिपार्टमेंटलिज्म आयेगा तो उससे इन्साफ नहीं होने पायेगा। इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये और यहां यह होना चाहिये कि ट्रिब्युनल्स में जो जुडिशियल आदमी होंगे वही बैठेंगे। अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो इन्साफ नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह और कहूंगा कि आर्बिट्रेशन का तरीका जो आर्बिट्रेशन ऐक्ट में दिया हुआ है वह होना चाहिये और वही मुनासिब है। जिस तरह से सिविल कोर्ट आर्बिट्रेशन के सिलसिले में इन्टरफियरेन्स कर सकता है उसी तरह से यहां भी उसको करना चाहिये।

मैं श्रीमन्, अधिक समय न लेता हुआ एक बात और कहना चाहूंगा और वह यह कि आज चाहे जो भी डेमोक्रेटिक इन्सटीट्यूशन हो उसमें उन आदमियों को नहीं रखना चाहिये जो पालिटिक्स से संबंध रखते हों। जब भी ऐसा होगा कि उसमें पोलिटिकल लोगों को रख दिया जायेगा तो वहां फिर पालिटिक्स इन्ट्रोड्यूस हो जायेगी और फिर वह संस्था खराब हो जायेगी। इसलिये इसमें भी इस तरह का प्राविजन किया जाय कि जो लोग पालिटिक्स में रुचि रखते हों वे किसी तरह की कोआपरेटिव सोसाइटी या कोआपरेटिव बैंक आदि में न आने पायें। अगर कोई हाई कोर्ट का जज होता है और अगर वह पालिटिक्स में रुचि रखता है तो उसको जज के लिये डिस्क्वालीफाइड समझना चाहिये। जो भी लोग पार्टीबाजी करना चाहते हैं उनको कोआपरेटिव की किसी संस्था में नहीं आना चाहिये। अगर वे पार्टीबाजी करना चाहते हैं तो उनको अलग रहना चाहिये।

इसके लिये श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि नामिनेशन का जो सिस्टम है वह गलत है। उसको बन्द करना चाहिये। मैं सरकार की नीयत पर तो हमला नहीं करता, किन्तु मैं यह मानता हूं कि चूंकि एक पार्टी की ही सरकार है और वह अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये अपनी पार्टी के ही लोगों को नामिनेट करती है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये जो भी उसके मन में आता है वह करती है। जहां कहीं भी नामिनेशन्स हुए हैं, चाहे वह रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटी हो, चाहे कोआपरेटिव बैंक समिति हो या और भी कोई कमेटी हो, उसमें सरकार ने अपने ही लोगों को नामिनेट किया है। इसमें सरकार का यही प्रयत्न रहता है कि किसी तरह से अपने ही गुट के लोगों को उसमें भेजा जाय। इसलिये मैं इस चीज को पसन्द नहीं करता हूं।

मैं श्रीमन्, अपने जिले की बात को बताता हूं। मेरे यहां जिला जालौन में, बैंक में दो आदमियों को नामिनेट करना था। पहले दो आदमियों का नामिनेशन हुआ जिसमें एक तो मैनेजिंग डाइरेक्टर थे श्री धनी लाल पाण्डेय .....

श्री अधिष्ठाता—आप उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि वे यहां पर नहीं हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—आपकी आज्ञा से श्रीमन्, मैं नाम नहीं लूंगा। तो किसी तरह से दो आदमियों को सरकार ने नामिनेट किया। जनवरी के महीने में सरकार ने दो आदमियों को नामिनेट किया, किन्तु सरकार की बदकिस्मती से उसमें कुछ उलट फेर हुआ, कुछ आदमी सरकार में इधर से उधर हुए, लिहाजा उसके बाद हुक्म यह हुआ कि जनवरी के महीने में जो आदमी नामिनेट हुए थे उनको हटा दिया गया है और अब फलां फलां आदमी को नामिनेट किया गया है। तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह से पार्टीबाजी चलती है और अपनी पार्टी के ही लोगों को उसमें रखा जाता है जिससे प्रदेश का हित नहीं हो पाता। इन बातों को सोचकर ही मैं सरकार की तरफ से जो माननीय मंत्री जी इस समय यहां पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन से और जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह चाहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन आगे चले, पार्टीबाजी से दूर रहे तो उसमें नामिनेशन का जो अंग है उसको हटा दिया जाय। आपकी यह दलील हो सकती है कि गवर्नमेंट का उसमें बहुत सा रुपया लगता है और अगर हमारा रुपया किसी संस्था में इनवेस्ट हुआ हो तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिये। अगर दिलचस्पी लेने की आड़ में आप कलेक्टर, कमिश्नर, जज या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसमें नामजद कर दें जोकि राजनीति के अखाड़े में पैंतरेबाजी करते हैं तो कम से कम इतना अवश्य होना चाहिये कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। सरकार अपनी आइडेंटिटी इस प्रकार अलग क्यों करना चाहती है? एक कमेटी बैठती है तो सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिये। यह जो नामिनेशन की परम्परा है इससे सहकारिता का आन्दोलन समाप्त हो जायगा। जनवरी से लेकर अबतक सारे प्रदेश में इस पार्टीबाजी की वजह से सहकारिता आन्दोलन को बड़ी ठेस लगी है, इसलिये इन नामिनेशंस को अविलम्ब बन्द कर दिया जाय।

इसी सहकारिता के आन्दोलन में डी० सी० डी० एफ० का क्या रोल है, वह मुझे अपने जिले के बारे में काफी जानकारी है और दो चार जिलों की बात और मालूम है। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन से ज्यादा बोगस संस्था इस उत्तर प्रदेश के ५४–५५ जिलों में और कोई नहीं है। उसके नामिनेशंस के सिलसिले में एक अजीब तरह से कांस्टीट्यूशन बना। एक जिले के १० लाख आदमी हैं तो वह नहीं जानते हैं कि वह संस्था क्या है। ये कोयले के जो अम्बार लगे हैं, यह किस लिये हैं, भट्ठे किसके हैं। जी० सी० शीट्स कौन सी दूकान की बिकती हैं। जो कोआपरेटिव मूवमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं उनको भी नहीं मालूम कि सरकार की तरफ से यों ही एक सेक्रेटरी और कुछ और लोग नामजद होते हैं वह किस लिये होते हैं, मेरे जिले में तो सजायाफ्ता लोग हैं जिनको नामजद किया गया, डायरेक्ट नामजद किया गया। जिला जालौन की मिसाल मौजूद है कि शिकायतें बराबर की गयीं, २०–२५ हजार का गबन हुआ, पार्टीबाजी की वजह से कोई भी, जिलाधीश भी, सुनने को तैयार नहीं होता। छोटा जिला है, लिखकर शिकायत भेजिये तो इधर के बैठने वालों की कोई सुनने वाला नहीं है। डी० सी० डी० एफ० के तरीकों की बाबत इस विधेयक में बहुत क्लियरली लिखा जाना चाहिये और उसके कांस्टीट्यूशन के बारे में भी लिखा जाना चाहिये था।

साथ ही कोआपरेटिव के जितने मूवमेंट हैं वह एक ही जगह पूल कर दिया जाय, एक ही रजिस्ट्रेशन के अन्दर आ जाय। चाहे इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज हों, यातायात की हों, सर्विस कोआपरेटिव्स हों, लैंड मार्गेज बैंक्स या क्रेडिट सोसाइटीज हों, सब को एक लेजिस्लेशन के अन्दर आना चाहिये। इंडस्ट्रियल वाले अलग बनाना चाहते हैं, एनीमल हस्बेंडरी वाले अलग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, इसकी वजह से कोआपरेटिव मूवमेंट में जितनी तरक्की होनी चाहिये वह नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार उसका एक अंश उसमें शामिल होता है इसलिये कोआपरेटिव मूवमेंट एकांगी हो जाता है। इसलिये डी० सी० डी० एफ० का

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

तजकिरा जब प्रवर समिति करे तो माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो डी० सी० डी० एफ० के नाम से कलंक उत्तर प्रदेश के कोग्रापरेटिव मूवमेंट पर १५ साल से लगा हुग्रा है, इस प्रवर समिति का कर्त्तव्य होगा कि इस लेजिस्लेशन और बिल के सिलसिले में इसको अवश्य धो दिया जाय।

अब सीड स्टोर वाली बात को देखें। जो कोग्रापरेटिव के सीड स्टोर्स हैं वह जैसा अपने को प्रेस कर रहे हैं उसका फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और वह यह है कि जिस किसी आदमी को बीज दिया जाता है तो उससे यह कहा जाता है कि इतने रुपये की खाद तुम्हें लेना पड़ेगा। कोग्रापरेटिव का आन्दोलन ऐसे नहीं चलेगा, वह किसी फोर्स से नहीं चलेगा, किसी इंटरफियरेंस से नहीं चलेगा। तो जब लेजिस्लेशन बनाया जाय तो इन सेफगार्ड्स का कोई न कोई तजकिरा उसमें जरूर होना चाहिये।

मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि हमारे जिले में एक गांव है छांछ और उसकी एक कोग्रापरेटिव सोसइटी है। उसने वहां पर आग लगाया और १०, १५ हजार रुपया वेस्ट हुग्रा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत गयी, वह सुनने को नहीं है। मैं कहता हूं कि चूंकि उन्हीं की पार्टी के लोग हैं इसलिये न यहां न वहां कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ठीक से सुनवाई हो तो कोई वजह नहीं है कि जो कोग्रापरेटिव के नाम पर लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और कोग्रापरेटिव मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ सख्त कदम उठाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं भी इस राय का हूं कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, जो बिल माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन और जो संशोधन उस पर पेश किये गये हैं उनका विरोध करना चाहता हूं। जब हम लोग आजाद हुये और हमारे आजाद हिन्दुस्तान का संविधान बना तो उसके अन्दर एक कोग्रापरेटिव कामनवेल्थ की कल्पना थी और हम समझते थे कि स्वतंत्र भारत में जो समाज का निर्माण होगा उसका एक अंग कोग्रापरेटिव सोसाइटीज होंगी, लेकिन आज १२ वर्ष के बाद मैं यह देख रहा हूं कि कोग्रापरेटिव आन्दोलन इस मामले में पिछड़ गया है।

सहकारिता का कानून बहुत पुराना कानून है और ऐसा कानून है जिसका हर पार्टी समर्थन करती है, सभी लोग समर्थन करते हैं और यह मुल्क सा ५०साल से काम कर रहा है और इसके पास ५० साल का अनुभव है इस प्रकार के कानून बनाने का। अभी कुछ दिनों पहले भी इस विधेयक के अन्दर संशोधन किये गये थे। भारत सरकार भी कोग्रापरेटिव कानून के अन्दर कुछ संशोधन करना चाहती है और उसके यहां भी संशोधन की बात चल रही है, लेकिन हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोग्रापरेटिव कानून विचाराधीन है। उसके अन्दर काफी प्रगति भी पहले के कानून से हुई है। यों तो यह बड़ा भारी कानून है। इसके अन्दर बहुत से सिद्धान्त के प्रश्न हैं जिन पर बहुत गम्भीरता से विचार करना है, लेकिन मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस कानून के अन्दर जो मैंने देखा है सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहले कोग्रापरेटिव ऐक्ट के अन्दर जो सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला है वह यही है कि प्राक्सी के जरिये से वोट लिये जाते थे और उसके कारण बहुत गड़बड़ स्थिति हुग्रा करती थी। इसलिये सरकार इस के लिये धन्यवाद की पात्र है कि उसने प्राक्सी से वोट की प्रथा को इस कानून के जरिये से समाप्त करने का निर्णय किया है। इससे बहुत बड़ा कलंक जो था उसको इसके जरिये से दूर करने की कोशिश की गई है।

इसके अतिरिक्त और भी कई सुधार हुये हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, लेकिन उन तमाम सुधारों के बावजूद जो आम धारणा कोग्रापरेटिव आन्दोलन के बारे में है और जो भी वातावरण है जिसके कारण सहकारी आन्दोलन के प्रति अविश्वास सा पैदा हो गया है उसको दूर करने के लिये इस विधेयक के अन्दर जितनी कोशिश होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। आज हम जिसे कोग्रापरेटिव कहते हैं वह एक प्रकार का आर्थिक ढांचा है, एक ऐसी सामाजिक

व्यवस्था है जिसके जरिये से हम जनता की आर्थिक समस्याओं को हल करते हैं । कोआपरेटिव एक ऐसा ढांचा है जिसके अन्दर लोग हिस्सेदार बनते हैं । सम्पत्ति यों तो व्यक्तियों की होती है, लेकिन व्यक्तियों की होने के बावजूद वह समाज की ही होती है । इसलिये सहकारी आन्दोलन में समाजवादी ढांचे का समाज बनाने का प्रश्न छिपा हुआ है, लेकिन उसके बढ़ाने के लिये जनता का विश्वास उसके प्रति पैदा होना जरूरी है ।

हम चाहते हैं कि जनता अधिक से अधिक पैसा लगावे जैसी कि माननीय मंत्री ने भी इच्छा व्यक्त की है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इसमें पैसा लगाना चाहते हैं उनको पैसा लगाने के बाद मिलता क्या है ? हम ५० वर्ष से कोआपरेटिव कानून का प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं और जनता से आशा कर रहे हैं कि वह दस-दस या सौ-सौ रुपये के शेयर्स खरीदे, लेकिन पुराने कानून और जो नया कानून पेश किया गया है उसके अन्दर हिस्सेदार को जो मुनाफा मिलने की बात है वह एक शोचनीय स्थिति है । हिस्सेदार को वास्तव में क्या मिलता है ? हम लोग कहीं भी पैसा लगाते हैं रोजगार वगैरह में तो पूरा का पूरा मुनाफा उठाते हैं । अगर किसी कम्पनी में पैसा लगाते हैं तो पूरा मुनाफा उठाना चाहते हैं, लेकिन कोआपरेटिव का जो पुराना कानून था उसमें यह था कि हिस्सेदार को मुनाफे का दस फीसदी मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता । तो जनता समझती है कि किसी प्रकार से भी १० फीसदी से अधिक मुनाफा नहीं मिल सकता है । बाकी ९० फीसदी किसी भी रूप में हिस्सेदार को वापस मिलने वाला नहीं है । इसलिये जनता को कोआपरेटिव में विश्वास नहीं पैदा होता । किसी रोजगार में कोई पैसा लगाता है तो वह चाहता है कि अधिक से अधिक मुनाफे की उसको वापसी होनी चाहिये ।

आज जो संशोधित कानून पेश किया गया है उसमें तो और भी कमी कर दी गई है । इसमें यह रखा गया है कि हिस्सेदार को ६ फीसदी से अधिक मुनाफा नहीं दिया जा सकता । इसका मतलब यह है कि ९४ फीसदी उसको मिलने वाला नहीं है चाहे उसको आप रिजर्व फंड में जमा कर दें, विकास फंड में जमा कर दें या चैरिटी में खर्च कर दें, लेकिन उसको वह वापस नहीं मिलेगा । आपको अधिक मुनाफे की वापसी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि जनता में इसके प्रति विश्वास पदा हो । अगर आप २५ फीसदी भी रिजर्व फंड में जमा कर लेते हैं तो ७५ फीसदी की वापसी तो उसको होनी ही चाहिये । ६ परसेण्ट देने से जनता में कभी विश्वास नहीं पैदा हो सकता और न वह अधिक पैसा लगा सकती है । यह दूसरी बात है कि सरकारी अधिकारियों के जोर व दबाव से लोग १० रुपये के हिस्से खरीद लें । आज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी जो लोग पैसा लगाते हैं उनको १२ साल के बाद १०० रुपये के १६५ रुपये मिलते हैं । तो सहकारी आन्दोलन में भी अधिक मुनाफा होना चाहिये ताकि लोग अधिक पैसा लगाने के लिये तैयार हो सकें । मौजूदा कानून में जो कमी करके ६ फीसदी ही मुनाफा देने की बात रखी गई है उससे मुझे बड़ी चिन्ता पैदा होती है और मैं नहीं समझता कि इस पर लोग अपना पैसा सहकारी समितियों में लगा सकेंगे ।

मैं अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहता । मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज अच्छी तरह से चल सकें, लेकिन संशोधित कानून के अन्दर भी बड़ी विषम स्थिति है । समितियों का क्या नक्शा हो, यह स्वयं सरकार के सामने भी स्पष्ट नहीं है । इसका सबूत यह है कि सरकार ने विधान में दो चीजें रखी हैं अमलगमेशन आफ सोसाइटीज और डिवीजन आफ सोसाइटीज के सम्बन्ध में । सोसाइटीज का क्या कार्यक्षेत्र होगा, यूनिट्स क्या होंगी, एरिया आफ आपरेशन क्या होगा, इस सम्बन्ध में सरकार का दिमाग साफ नहीं है । कानून में इसकी कोई सफाई नहीं है । आज हम देखते हैं कि गांव के स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रान्तीय स्तर पर सोसाइटीज बनी हैं, लेकिन हर स्तर पर बड़ी गड़बड़ स्थिति है । ५० वर्ष कार्य करने के बाद भी हमारा दिमाग साफ नहीं है । गांव में किसान रहता है, उसके पास हम जाते हैं और कहते हैं कि तुम गन्ना सोसायटी के मेम्बर बनों । उसके पास हम फिर दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि मल्टीपर्पज सोसायटी के मेम्बर बनो । आज फिर पहुंच गये और कहने लगे कि फलां सहकारी समिति के मेम्बर बनो । तो कई कई जगह मेम्बर बन कर वही किसान

[श्री मदनगोपाल वद्य]

सहकारी समितियों से भी कर्जा ले लें और कोआपरेटिव बैंक और तहसीलदार से भी तकावी ले लें, इस प्रकार वह कई तरह से फायदा उठा लेता है इसलिये आज स्थिति साफ नहीं है ।

वहां एक और भी गड़बड़ घुटाला होता है । अगर बाप ने सहकारी समिति का हिस्सा लिया और वह कर्जदार है तो वह अपने बेटे या परिवार के किसी और सदस्य को सोसाइटी का १० रुपये का हिस्सा खरीदवा देता है और वह भी कर्जा ले लेता है । इस तरह से सोसाइटियों का रुपया कभी वापस नहीं हो पाता है । पुराना कर्जा साफ हुआ नहीं और दूसरा ले लिया जाता है । चाहे वह बीज गोदाम से बीज ले जाय और चाहे खाद ले जाय । इस प्रकार जनता का तमाम पैसा ब्लाक होता चला जाता है । नाबिहन्द आदमी अपने घर के दूसरे लोगों को फौरन हिस्सेदार बना देते हैं और कर्जा ले लेते हैं । इसलिये जो हिस्सेदार कर्जा लेते हैं उसमें उसके परिवार के सभी सदस्यों के नाम शामिल होने चाहिये । वरना परिणाम यह होता है कि पुरानी समितियां टूटती जाती हैं और नई बनती जाती हैं

सहकारी संघ हमारे यहां हैं, मार्केटिंग सोसाइटियां बन रही हैं । इन सबका और डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का भी वही हाल है । उनका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसीडेंट होता है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेक्रेटरी होता है । फिर भी उनकी हालत काफी खराब होती है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को समय नहीं है, उसके पास जो कागज आते हैं, वे दस्तखत कर देते हैं । सहकारी आन्दोलनों में बराबर निर्णय होता रहा है कि सहकारी सोसाइटियां गैर सरकारी हाथों में रहनी चाहिये, लेकिन सरकार के सहकारी विभाग के अफसर इस बात को पसन्द नहीं करते हैं । इस बात के बहुत ही पक्के प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं । अगर कोई गैरसरकारी पदाधिकारी बनता है तो उस सोसाइटी को मजबूर किया जाता है कि सरकारी पदाधिकारी बनाओ । बहुत दिनों के प्रयत्नों के बाद यह तय हुआ कि सेक्रेटरी को गैरसरकारी करो । तो उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी हो जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव अफसर का नामजद हो, लेकिन वह और भी खराब साबित हुआ ।

सरकार के जहां तक नियंत्रण की बात है, सन् १९६०–६१ में एक ऐसा सरक्यूलर चला गया कि अन्तरिम जिला परिषद् में सहकारिता पर सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं । लालफीता इतना जबरदस्त है कि एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब यहां सेक्रेटरियेट से एक सरक्यूलर भेज देते हैं इस आशय का कि अन्तरिम जिला परिषद् में सहकारिता पर कोई प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम मौजूदा विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सहकारी समितियों के प्रेसीडेंट गैरसरकारी होंगे और उसके डेलीगेट्स में से चुने होंगे । यह बात अधूरी है क्योंकि सेक्रेटरी के लिये यह रखा गया है कि वह नामजद किया जायेगा और सरकार ने यह बात नहीं बताई कि उसे नामजद कौन करेगा । हो सकता है कि किसी अफसर को नियुक्त कर दिया जाय कि वह सोसाइटियों के सेक्रेटरी नामजद करें । तो ऐसा सेक्रेटरी बिलकुल सरकारी आदमियों का गुलाम होगा और सोसाइटियां पनप नहीं सकती हैं । इसलिये जलसे-आम द्वारा या प्रेसीडेंट द्वारा सेक्रेटरी की नियुक्ति होनी चाहिये कि प्रेसीडेंट अपना सहयोगी सेक्रेटरी रख ले । इस प्रकार सहकारी आन्दोलन को जनता के हाथों में अधूरा सौंपना ठीक नहीं है । मंत्री को नामजदगी में इसलिये सरकार को उदारता से काम लेने की आवश्यकता है

इसके अलावा कानून में ऐसे भी शब्द हैं कि जलसे-आम पर पूरा उत्तरदायित्व सोसाइटी का होगा, लेकिन बोर्ड में जो रजिस्ट्रार को अधिकार दिये गये हैं वे बहुत अधिक हैं । जब हम अपना उद्देश्य बनाते हैं कि सहकारी आन्दोलन गैर सरकारी हाथों में रहे तो क्या तमाशा है कि अगर हम जलसे आम से पास होकर भी मुनाफे का हिस्सा बांटना चाहते हैं तो उसकी परमिशन रजिस्ट्रार से ली जाय ? कानून में लिखा है कि ६ परसेंट से अधिक मुनाफा नहीं लिया जा सकता । फिर यह लालफीता जो बाबा-आदम के समय से चला आ रहा है, क्यों नहीं समाप्त किया जाता है ? अगर हम कहीं दान-पुण्य या खैरात करना चाहें तो इजाजत ले लें, लेकिन हिस्से का मुनाफा बांटने के लिये क्या आवश्यकता है ? इतना ही नहीं, रजिस्ट्रार साहब को अधिकार दिये

गये हैं कि वह जब चाहें तब हमारी नियमावली में परिवर्तन कर दें, या हमसे कहें कि परिवर्तन करो अपने बाईलाज में । यह बात मैं मानता हूं कि जब बाईलाज की रजिस्ट्री हो तब रजिस्ट्रार को गौर से देखना चाहिये कि सरकारी आन्दोलन की नीति के विरुद्ध उनमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक मर्तबा उनकी रजिस्ट्री हो जाने के बाद किसी पार्टीबाजी में पड़कर या किसी और वजह से रजिस्ट्रार इस बात के लिये समिति को मजबूर करता है कि तुम अपने बाईलाज में तब्दीली करो तो यह वांछनीय नहीं कहा जा सकता । तब्दीली केवल नई नीति या सिद्धांत पर ही होनी चाहिये जो सभी समितियों पर लागू हो ।

सहकारी आन्दोलनों में जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उनकी नौकरी की कोई गारंटी न होने से वे अच्छी नौकरी मिलने पर छोड़ कर चले जाते हैं । वे समझते हैं कि यह तो पार्टीबाजी की नौकरी है । इसलिये उनकी सर्विस की गारंटी होनी चाहिये, उनकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिये और ट्रेनिंग होनी चाहिये । अगर प्रेसीडेंट की मर्जी पर रहा कि जिसे चाहे, उसे रखें, तो सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता ।

इसी प्रकार से आपकी केन्द्रीकरण की पद्धति से भी इन सोसाइटियों का उद्धार होने वाला नहीं है । गांवों में जो कोआपरेटिव के सुपरवाइजर्स रहते हैं वह अपने को सोसाइटी के प्रेसीडेंट के मातहत नहीं समझते । उनके हुक्म की परवाह नहीं करते । वे समझते हैं कि कोआपरेटिव आफिसर ही हमारा अफसर है क्योंकि उसी के हाथ में उसका कैरेक्टर रोल रहता है । सोसाइटी के प्रेसीडेंट चाहे खुश रहें या नाराज रहें उसकी वह कोई परवाह नहीं करता है, यही कारण है कि सहकारी समितियां सफलतापूर्वक नहीं चल सकती हैं । सरकारी कर्मचारी इनके मातहत हों और सर्विस की गारंटी हो ।

इसके अलावा यह खुशी की बात है कि सरकार ने कुछ कोआपरेटिव सोसाइटियों में शेयर लेना पसन्द किया है और यह इसलिये किया गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटियों में जनता का विश्वास पैदा हो । यह एक अच्छी स्कीम हो सकती है । इससे भी बेहतर यह होता कि सरकार सहकारी बैंक में अपना अकाउन्ट खोलती और मालगुजारी स्टेट बैंक के बजाय कोआपरेटिव बैंक में जमा होती । प्लानिंग के दफ्तर का कोआपरेटिव बैंक में हिसाब खोल दिया जाय तब भी सब बैंक की माली हालत का काफी सुधार हो सकता है और जनता में इसके प्रति विश्वास बढ़ सकता है ।

इसके अलावा इसका दूसरा परिणाम यह होगा कि जब सरकार अपना पैसा इसमें लगायेगी तो उसकी देख-रेख के लिये अपने नुमाइन्दे वहां रखेगी और जो यह स्थिति पैदा हो जाती है वह भी नहीं होगी । इस तरीके से सहकारी कानून में बहुत सी जरूरी बातें हैं जिनका समावेश उसमें होना है । इस बारे में हमें काफी गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है ।

प्रदेश के अन्दर कोआपरेटिव सोसाइटियों में आजकल गबन की बहुत ज्यादा चर्चा है और जनता के अन्दर यह भावना पैदा हो गई है कि इन सोसाइटियों में गबन बहुत होता है । जितना गबन होता है उससे दस गुना, बीस गुना अधिक भ्रम में समझा जाता है इसलिये गबन के कारणों का समाधान भी इस कानून में होना चाहिये । गबन होने के बहुत से कारण हैं और उपाय भी बहुत से बताये जा सकते हैं । कोआपरेटिव का जो अकाउन्टिंग सिस्टम है उसके बारे में न तो कोआपरेटिव कानून में ही कुछ है और न रूल्स में ही कुछ है । जो कुछ है वह कोआपरेटिव मैनुअल में ही है । इसकी पास बुक बहुत लम्बी चौड़ी है और उसमें कालम भी बहुत से हैं, लेकिन वह पास बुक सोसाइटी के नाम से होती है परन्तु सोसाइटी का कौन सा आदमी रुपया ले गया इसका कुछ पता नहीं चलता । यह चीज उसमें दर्ज नहीं होती और न बैंक में ही दर्ज होती है, जब कि हर एक बैंक में और उसकी पास बुक में यह लिखा जाता है कि कौन आदमी रुपया ले गया । उसका नाम और चेक नम्बर भी लिखा जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि जब कभी गबन का मुकदमा चलता है तो यह साबित नहीं हो पाता है कि कौन सज्जन रुपया ले गये । अतः इस गबन के वातावरण को दूर करने के लिये कानून और रूल्स के अलावा फार्म्स में और मैनुअल में भी संशोधन करने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

सहकारी खेती के सम्बन्ध में लोगों ने काफी विचार व्यक्त किये हैं। कोआपरेटिव बिल के ऊपर कुछ न कुछ कह कर सहकारिता खेती पर ही लोगों ने अधिक जोर दिया है। संशोधन पेशकर्ता ने कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये जिनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस कानून के द्वारा मानो कोई नया काम किया जा रहा हो। असलियत तो यह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग का कानून बहुत पुराना कानून है। जब जमींदारी विनाश का कानून बना था और १९५२ में लागू हुआ था तो उसके १२ अध्याय थे। उनमें से ११ वां अध्याय कोआपरेटिव फार्मिंग का था। सन् १९५२ से पहले ही सदन की सभी पार्टियों ने सोच समझ कर कोआपरेटिव फार्मिंग के सिद्धांत को माना था और स्वीकार किया था और यह बताया था कि खेती की उन्नति के लिये जहां अन्य मार्ग हैं वहां कोआपरेटिव फार्मिंग भी एक मार्ग है जिसके द्वारा देश और समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। आज का यह कानून जमींदारी विनाश कानून के ११वें अध्याय को रिप्लेस करेगा और यह कानून उस समय पास किया गया था जब कि मुस्लिम लीग के ९० सदस्य इस सदन में मौजूद थे। अब इसमें जो संशोधन किये जा रहे हैं वे समय-समय पर हुए अनुभवों के आधार पर किये जा रहे हैं। इसलिये आम तौर से पब्लिक प्लेट फार्म से यह बात कही जा रही है कि सरकार कोई नया काम करने जा रही है, लेकिन यह बात नहीं है। हां सरकार ने जो हदबन्दी का कानून बनाया है वह जरूर नया बना है। जिस समय जमींदारी कानून पास हुआ था उस समय से आज तक किसी भी माननीय सदस्य ने यह बात नहीं उठाई और न कोई गैर सरकारी प्रस्ताव ही जमींदारी विनाश कानून के ११वें अध्याय के लिये ही आया कि उसको निकाल दिया जाय क्योंकि वह देश और समाज के हित में नहीं है। तो जो चीज दर्जनों साल पहले निश्चित हो चुकी थी उस पर इस समय कोई विवाद उठाना उचित मालूम नहीं होता है। सहकारी खेती को सिद्धांत रूप में १९५२ से पहले ही मान लिया गया था कि इसके द्वारा देश और समाज की उन्नति होगी और उससे खेती की उन्नति की जा सकती है।

कुंवर श्रीपालसिंह--अधिष्ठाता महोदय, वैद्य जी मेरी एक शंका को दूर कर दें तो अच्छा है। वे जरा यह बता दें कि जमींदारी अबालिशन कानून में साधन सहकारी समितियों का जिक्र है अथवा संयुक्त सहकारी समितियों का ? इसको वे जरा स्पष्ट कर दें।

श्री मदनगोपाल वैद्य--जागते हुए आदमी को जगाया नहीं जा सकता। आज तो मूल प्रश्न यह है कि जो सहकारी खेती का सिद्धांत है वह देश और समाज के लिये लाभप्रद है और इस सिद्धांत को बहुत पहले स्वीकार किया जा चुका है। आज इसी सिद्धांत को हमें कुछ संशोधनों के साथ ग्रहण करना है।

अन्त में इसके अन्दर जो लैंड मारगेज बैंक के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है उसके सम्बन्ध में हमें खुशी है कि उसमें दीर्घ कालीन, मध्य कालीन और अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था की गई है और हर प्रकार से जनता की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिये सहकारी समितियों के जरिये से जनता को मदद पहुंचाने के लिये और जनता को तथा देश को हर प्रकार से सुख और सुविधा पहुंचाने के लिये यह किया जा रहा है।

यह बिल जो हमारे सामने है वह काफी लम्बा चौड़ा है और उस में बहुत से सिद्धांत निहित उन पर संयुक्त प्रवर समिति ने विचार करेगी इसलिये अब अधिक समय न लेकर मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--श्रीमान् जी, यह जो सहकारिता बिल पेश हुआ है उस पर हमारे विरोधियों की ओर से जो संशोधन की मांग की गई है मैं उस का समर्थन करते हुए सरकार से कहूंगा कि वह इस तरह के डिपार्टमेंटों को ज्यादा दिनों तक न चलाये तो अच्छा है क्योंकि आप की सरकार अब जनता की सरकार नहीं रही है, वह एक पार्टी की सरकार है जो नौकरशाही की गुलाम है और वह पार्टी ऐसी है कि जिस को जनता अब नहीं चाहती और

जिस पर से कतई विश्वास देश भर का उठ गया है, इसलिये जितने भी मरने के दिन रह गये हैं उसके, वह शांन्ति से मरे तो ज्यादा अच्छा है। सहकारिता विभाग क्या है? अंग्रेजों ने ३०–४० साल पहले यह चीज यहां चलाई थी और आप भी उसी लकीर को लेकर पीट रहे हैं, लेकिन आज तक किसी तरह की इस के द्वारा तरक्की नहीं हुई है। आप ही बतायें, आपने कोआपरेटिव ढंग से कपड़े का व्यापार किया, उस में आप को घाटा हुआ फिर आप ही ने उसको बन्द किया। इसी तरह से आप ने सहकारी भट्ठे खुलवाये, उनमें भी घाटा हुआ, वह भी बन्द किये गये। बीज भंडारों की भी यही दशा है। वह तो दिन प्रति दिन मुनाफे की चीज थी, उसमें सवाया आप लेते हैं, लेकिन उसमें भी आप को घाटा होता है। किसान रो रहे हैं कि दस का बीज लेते हैं, दस दे जाते हैं अगर सूद बाकी रह जाता है तो फिर उसके दस बाकी रहते हैं, वह वसूल कुड़की से किये जाते हैं, वह भी फेल हो रहे हैं। आप महात्मा गांधी की जमाअत के आदमी थे, आप कुछ तरक्की कर सकते थे। आप अग्रगामी थे, आप ने देश को स्वतन्त्र करने का दावा किया हालांकि बात ऐसी नहीं है, उस में कुछ गोलमाल है यह मैं जानता हूं और सभी पुराने लोग जानते हैं। यहां भारत में अनेक बुद्धियों के आदमी हैं। सहकारिता अच्छी चीज है बुरी चीज नहीं है, लेकिन यह जितने कानून और विधेयक हैं इन सब को जल्द से जल्द हटा दिया जाय। यहां पर तो 'मुंडे-मुंडे मतेभिन्ना' वाली बात है। कोई भी एक दूसरे की राय से मिलकर नहीं चलना चाहता। आज कोई प्रभावशाली नेता नहीं है कि जिस की वाणी पर समस्त देश एक आवाज हो कर चल सके। आज हर आदमी अपना दिमाग रखता है, अगर आप सब को मिला कर कोई काम कराना चाहें तो नहीं करा सकते और न उस में सफल हो सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि आप इन तमाम विभागों को समाप्त कीजिये और किसानों से क्षमा मांगिये और उनसे कहिये कि अंग्रेजों के जमाने की एक स्कीम हम चला रहे थे और हमने अभी तक उस के जरिये से देश का सत्यानाश किया, लेकिन अब हम इस विभाग को बन्द कर रहे हैं। आप उस रुपये को जनता को वापस कर दीजिये और जो विभाग के नौकर हैं उनको चीन की लड़ाई पर भेज दीजिये ताकि वह वहां जा कर मर जायं वरना उनसे कहिये कि जाइये यहां से जो चाहे कीजिये, कोई उनकी परवरिश का ठेका है? उन्होंने देश के साथ कोई भलाई नहीं की है। वे समझते हैं कि हमें खुदा के घर से पैसा मिलता है और इन मूर्ख मंत्रियों का हाल यह है कि श्री मोहन लाल गौतम की और श्री चन्द्रभानु गुप्त की पार्टीबन्दी ही समाप्त नहीं होती। उनको क्या सहकारिता चले या न चले, उनको तो रोटी, कपड़ा और चटनी चूरन चाहिये। आप की क्या सहकारिता है, क्या नीति है? क्या आप का विभाग है? आप कहते हैं कि सहकारी खेती कीजिये, हमारे यहां तो जमींदारी के जमाने से सहकारिता थी, खेत शिकमी पर दे दिये जाते थे, किसी के पास बैल नहीं हैं तो खेत को शिकमी पर दे दिया और जो कुछ पैदा होता था वह आधा बांट लेते थे और बड़े मजे से यह सहकारिता चलती थी, लेकिन मंत्री जी ने अपने कुनबापरस्ती के जोम में उनको झठ-मूठ अधिवासी बना दिया। उस समय २२ लाख अधिवासी थे, इस समय जितने हैं, जितने बेईमान थे केवल वही रह गये हैं। जो ईमानदार थे उन्होंने तो कह दिया कि खेत हमारे नहीं हैं। हम नहीं लेंगे, न दूना लगान देंगे।

इसी तरह से आप गन्ने की केन सोसाइटियों को लीजिये, १८ साल हुए वह कायम हुईं। अब आप देखें कि उनकी क्या हालत है। मैं अपनी ही बात बताता हूं। मेरे पास ८ एकड़ गन्ना है, मैंने कामदार को सट्टे के समय कोई रिश्वत नहीं दी, उसने साढ़े ६ एकड़ लिखा, पुरानी सप्लाई के अनुसार ३४८ मन का सट्टा लिखा गया, १४ बैलगाड़ी, १ बैलगाड़ी २५ मन की मानी जाती है। तो हम उतना ही बेच सकते हैं। मैंने समझा कि खूब मजाक किया है। उस मजाक का परिणाम यह हुआ कि ६ गाड़ी गन्ना गया है बाकी सब खेत में खड़ा है। बोलो भारत माता की जय। हमारी यह दशा जबकि हम डायरेक्टर भी हैं, एम० एल० ए० भी हैं और ऐसी भी बात नहीं है कि हम कमजोर हों, लड़ भी सकते हैं। हमारी यह दशा है तो बाकी जनता का क्या होगा और क्या हो रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। आप लोगों में दम नहीं है कि नौकरों को दबा सकें और कहते हैं कि हम सहकारिता करेंगे। है किसी के दिमाग में इतनी

[श्री बंशीधर शुक्ल]

बड़ी शक्ति कि नौकरों को दबा सके ? आज नौकर बादशाह है। आप नौकर से डरते हैं। अगर कोई १०-२० आदमी मिलकर कोआपरेटिव बनाते हैं तो चलने दीजिये, आप अपना हस्तक्षेप मत कीजिये, अपने नौकर को वहां मत जाने दीजिये। हर सोसाइटी का प्रेसीडेंट डी० सी० है, हाकिम परगना है। यह क्या पागलपन है, यह सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहेहैं ? तो मैं आज की इस परिस्थिति में यह कहूंगा :—

आज स्वभावन अपने घर से एक कदम चलना मुश्किल,
मर्दों को जीना मुश्किल और मुर्दों को मरना मुश्किल।
अपनी रोटी पैदा कर अपने घर में खाना मुश्किल,
अपने आप मकान बना कर अपना ही रहना मुश्किल।
नित्य नई मुश्किलें डालना यही राज्य की कुड़समधू,
इसीलिए दुनिया कहती है इस राज्य को कुकडूं कूं।

जब दुनिया यह कह रही है तो मैं यह जरूर कहूंगा कि विदेशों की दशा क्या है, उसे देखिये। कोई राकेट उड़ा रहा है, कोई अणु बम बना रहा है और आप अन्न का मसला नहीं हल कर पा रहे हैं, घरेलू झगड़े नहीं सुलझा पा रहे हैं।

आज आप को भी दुनिया के साथ चलना है और नहीं चलते तो जैसे विदेशों में पार्लियामेंट्री शासन समाप्त हो रहा है वैसे यहां भी समाप्त हो जायगा और आप नहीं रोक पावेंगे। खुशी हमको यह होगी कि आपके द्वारा आया और आपके द्वारा ही समाप्त हो जायगा, हमारा कोई दोष नहीं है, हम भी राम नाम सत्य कह देंगे।

जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक सहकारिता आन्दोलन नहीं चल सकता और सहयोग तब तक नहीं होगा जब तक एक राय पर लोग नहीं चलेंगे। यह तभी हो सकता है जब तक कि कोई बड़ा-बूढ़ा, ईमानदार आदमी नहीं होगा। आपने देश में एक नई बात पैदा कर दी है, किसी का विश्वास नहीं रह गया। बड़े-बूढ़ों का विश्वास होता था, गांव वालों का विश्वास होता था, लेकिन आपने उसे खो दिया। हम लोग बड़े लीडर का विश्वास करते थे, वह दो मिनट में अपनी बात को बदल देते हैं। कितना कमजोर है ईमान कोई ठीक नहीं, कब बदल जाय यह इंसान कोई ठीक नहीं। तो जिन बड़े-बड़े नेताओं के नाम पर कुरबानी की गई वह आज बदलकर न मालूम किधर चलते हैं। आपको पद नहीं मिलेगा तो आप भी बदल जायेंगे। तो कोआपरेटिव हो या कुछ हो, अगर १० आदमी एक काम को करें और अगर एक रह जाय तो भी उसी रास्ते पर चलना चाहिये, तब सफलता हो सकती है अन्यथा तरक्की के हिज्जे किये जाइए, होगा कुछ नहीं।

मैंने पहले आपसे कहा था कि २६ डिपार्टमेंट तोड़ देने के काबिल हैं। उनमें एक कोआपरेटिव भी है। मेरे जिले में १ लाख १० हजार रुपये का गबन हुआ बैंक से। उसमें पकड़े कौन जाते हैं २ क्लर्क। जो प्रेसीडेंट थे, आजकल जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके भाई थे और जो वहां के खजांची थे वह एक भल्ला साहब के भाई थे। दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया। वह दो क्लर्क जज के सामने खड़े किये गये तो वकील साहब ने फैसला भी बढ़िया किया और कहा कि हमारे सामने दो बुत खड़े किये जाते हैं और कहा जाता है कि यही चोर हैं जब कि चोर दोनों छोड़ दिये गये तो हम उनको भी छोड़ते हैं। रुपया जो गबन हुआ वह गन्ना सोसाइटी का था। सरकार का रुपया नहीं था। इस प्रकार से हमारे पैसे की लूट होती है।

बोज गोदाम की बात आप करते हैं। किसान बीज लेने जाता है और कहता है कि धान हमको दे दीजिये जो कार्तिक में पैदा होता है। उसको दिया जाता है अगहन और पूस का। पानी रहता नहीं, नतीजा यह होता है कि सब मेहनत उस किसान की बेकार जाती है। बोलो भारत माता की जय। धान जब देने जाता है तो कहा जाता है खूब इसको छान लीजिये और

जब लेने जाता है तो मिट्टी और कूड़ा करकट मिला कर दिया जाता है। मैंने तो सब तमाशा देखा है, मगर कहूं किससे कोई सुनने वाला नहीं। हमारे जिले में गड़बड़ हुई.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपया बिल पर बोलें, डिपार्टमेंट की आलोचना का समय नहीं है। बिल के सिद्धांतों पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल—जब विभाग ही गलत चल रहा है तो सिद्धान्त क्या है?

श्री अधिष्ठाता—विभाग पर बहस नहीं हो रही है। अगर आप बिल पर नहीं बोल सकते हैं तो अपना स्थान ग्रहण करें अन्यथा बिल के सिद्धांत पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल—ठीक है, जो बिल हमारे सामने पेश है, मुझे देखने को तो मिला नहीं। जब देखने गया तो कहा गया कि साल भर पहले बंटा था। जो करतूत आप के यहां चल रही है उसको देख कर जरूर कहता हूं, यह करतूतें जो कोआपरेटिव के नाम पर यहाँ चल रही हैं इनको आप रोकिये और देश को आगे बढ़ने दीजिये। इन नौकरों को खत्म कीजिये और आप अगर हुकूमत नहीं चला सकते हैं तो दूसरों को आने दीजिये। यही कह कर मैं प्रार्थना करूंगा तथा नम्रता, या विनम्रता से, जो भी शब्द उचित हो, मैं कहूंगा कि आपके बस की बात देश को चलाना नहीं रह गया है और सीधे सीधे छोड़ कर जनता से कहिये हमने गलती की जो पार्टी बना कर हुकमत ली, हमारा दिमाग फेल हो गया और जनता से क्षमा मांग कर मन मार कर बैठ जाइये या गंगा जी पर जाकर तपस्या कीजिये या बद्रीनारायण चले जाइए। आपके बस की हुकूमत नहीं है।

***श्री प्रभुदयाल** (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। जिस विधेयक को सरकार ने पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। आज दुनिया में दो विचारधाराओं की टक्कर तेजी से हो रही है। एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ समाजवाद। जब मैं भारत की शक्ल देखता हूं तो विश्वास होता है कि भारत में अगर कोई चीज चल सकती है तो समाजवाद ही है। उसकी शक्ल बनाने में सहकारिता ही हमारी मदद करती है। जहां-जहां क्रान्तियां हुई हैं समाजवाद के लाने में वहां खून खराबी को देखते हुए जो रास्ता देश अपनाने जा रहा है उसमें सहकारिता के विधेयक से प्रदेश और देश का भला होगा।

हमारे कुछ माननीय सदस्य इस विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ निहित है, क्योंकि वह सदियों से हमारे देश पर शासन करते आये हैं, गरीबों का शोषण किया, मजदूरों की छाती पर उन्होंने काफी रगड़ की और उनको गुलाम बना कर रखा है। ऐसे सदस्यों का खयाल इस विधेयक के विपरीत है, मुझे इससे आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन दुनिया की जो शक्ल बनने जा रही है उसमें हमें दिखाई देता है कि अगर हम सहकारिता के आधार पर नहीं चले तो किसी न किसी दिन हमारे देश में काफी क्रान्ति आयेगी। इसके उदाहरण हमारे सामने दो बड़े विशाल देश हैं, चीन और रूस। अगर इन दोनों देशों का अध्ययन हमारे माननीय सदस्य करें तो वे छाती पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि देश और जनता की जो भलाई होने वाली है वह इसी रास्ते से होने वाली है। गांधी जी जब आगा खां पैलेस में बन्द थे तो उन्होंने काफी किताबों का अध्ययन किया और समाजवाद का अध्ययन किया और डाक्टर सुशीला नायर ने अपनी डायरी में लिखा है कि गांधी जो इस खयाल के हो गये थे कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इन्हीं खयालों को शान्तिमय तरीके से अपनाना होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं। देश में आज जिस प्रकार से गरीबी, भुखमरी और बेकारी है इन सबका समावेश अगर आप कर सकते हैं तो सहकारिता आन्दोलन में ही कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभुदयाल]

अगर आप सहकारिता के आधार को देखें तो आपको दिखायी देगा कि इसके अन्दर एक व्यापक दृष्टिकोण है, समाज को ऊपर उठाने का एक ऊंचा खयाल है, लेकिन आज जिस तरह की सहकारिता हमारे प्रदेश में है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, आज उसका मखौल उड़ाया जाता है कि उसमें भ्रष्टाचार है। कुनबापरस्ती है, उसमें शोषण करने की बातें हैं। आये दिन हम इसी सदन में सुनते हैं कि फलां कोआपरेटिव बैंक में गबन हो गया, फलां मैनेजर के ऊपर गबन का केस चलाया जा रहा है फलां सोसाइटी में गड़बड़ी हो गयी ये सब बातें सही हैं। जिस तरह का समाज है उसमें इन बातों का होना कोई आश्चर्य नहीं है। आगे और भी भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन जो तब्दीली हमें इस प्रदेश में लानी है उसको कुछ और रूप देना होगा।

इस विधेयक के जरिये हम जनता में इस बात का प्रचार करना चाहते हैं ताकि लोग इस बात को महसूस करें कि हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इस विधेयक के जरिये कोई बड़ी भारी क्रान्ति कर के दिखा देंगे यहां के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिये, ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि इसके लिये हमें एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति के लिये तैयार होना होगा। जिस तरह का हमें आज संविधान में अधिकार है उसके मातहत कुछ थोड़ी सी सुविधा हमें विधेयक में मिलती है, लेकिन अगर आप कहें कि इस विधेयक के जरिये कोई बड़ी भारी क्रान्ति हो जायगी तो वह नहीं हो सकती, लेकिन हम जनता के हृदय-पटल पर इस बात को रखना चाहते हैं कि अगर इस देश की गरीबी और बेकारी को दूर करना है तो समाजवाद और सहकारिता के आधार पर ही हम वह कर सकते हैं।

कांग्रेस के इतिहास को आपने पढ़ा होगा। बहुत अरसे के बाद कांग्रेस ने नागपुर में कहा कि हमारा आधार सहकारिता होगा और उस आधार पर हम आगे देश की रचना करेंगे और हमारे देश के महान् नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अच्छा हो इस देश में लोग सहकारिता को अपनायें। जोर जबरदस्ती से सहकारिता की खेती पर सरकार बल नहीं देती और न हमारे महान् नेता पंडित नेहरू देते हैं, लेकिन आज अगर सहकारिता के आधार पर देश आगे बढ़ता है तो देश में अनाज की कमी नहीं हो सकती और जो आज प्रदेश में लाखों इन्सान एक वक्त भोजन नहीं पाते हैं उनको दोनों वक्त भोजन मिलने लगेगा।

देश को आजाद हुये १३–१४ साल हो गये, लेकिन जितनी तेजी से हमें इस सम्बन्ध में बढ़ना चाहिये था उतनी तेजी से हम नहीं बढ़े हैं। उसमें काफी दिक्कतें हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो कहेंगे कि विधेयक का पालन हो और बाद में उसमें अड़ंगा डालते हैं और खासतौर से सरकारी अफसर उसमें अड़ंगा डालते हैं। इस विधेयक में काफी गुंजायश होनी चाहिये कि यहां की जनता अपने पैरों पर अपने आप खड़ी हो। जैसे सहकारी खेती, कोआपरेटिव फेडरेशन, कोआपरेटिव बैंक और बीज गोदाम ये चार चीजें अगर सही माने में हमारे देश में चलती रहें तो इस देश के किसान मजदूर और दूसरे लोग काफी लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके जो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स होते हैं या इसके और जो सदस्य होते हैं वह जनता को मेम्बर बनाते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं। अगर इस देश में सहकारिता चल सकती है और चलनी चाहिए तो इस देश के लोग जब तक पढ़ लिखकर इस बात को समझ नहीं लेंगे तब तक बड़े-बड़े लोग इस पर हावी रहेंगे ऐसा मेरा खयाल है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शिक्षा की तरफ काफी ध्यान दे। अगर शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, गांव के लोग पढ़े-लिखे नहीं हो पाते हैं तो सहकारिता का चलना असम्भव है क्योंकि सहकारिता को तो गांवों में जाना है, सहकारिता के जरिये से हमें खेती करना है, आदमी बनाना है। इसलिये लोगों को शिक्षित करना अत्यावश्यक है।

गांव सभाओं का चुनाव जो पिछला हुआ है उसमें हमने देखा कि बहुत से सभापति दस्तखत नहीं कर सकते हैं, अंगूठा लगाते हैं। गांव के बजट को पढ़ नहीं सकते, कार्यवाहियों को पढ़ नहीं सकते हालांकि ईमानदार हैं, सच्चे हैं, लेकिन उनके मातहत सेक्रेटरी उन पर आकर हावी

हो जाते हैं, उन पर वह अपनी हुकूमत करते हैं। तो आप कोआपरेटिव फेडरेशन गांवों में बनान जा रहे है, बड़े-बड़े काम वहां करने जा रहे हैं, सहकारी खेती गांवों में चलाने जा रहे हैं, लेकिन उसको जो चलाने वाले हैं, उसकी देखभालकर, उसके हिसाब को ठीक रखने वाले हैं जो उसके सदस्य हैं वे जब तक शिक्षित और इसके लिये तैयार नहीं होते हैं तब तक हमें इसमें खतरा दिखाई देता है और इसीलिये दूसरे लोग इसकी मखौल उड़ाते हैं। तो आज उनकी शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है।

इस विधेयक में बाज जगह सरकारी मेम्बरों के नामिनेशन का क्लाज रखा गया है। मेरे खयाल से अगर इसको सरकार दूर कर सके जबकि प्रवर समिति में यह बिल जा रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कुछ पार्टीबन्दी की शक्ल आती है और कोआपरेटिव में पार्टीबन्दी न हो, निष्पक्ष भाव से काम हो सके, सरकार अपने नुमाइन्दों को नामजद न करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं इसी सम्बन्ध में बस्ती का एक उदाहरण देता हूं। दो तीन महीने के अन्दर की ही बात है। कोआपरटिव फेडरेशन वहां चल रहा था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेन्ट बदली वहां का फेडरेशन भी बदला। वहां के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि जो कोआपरेटिव मेम्बर सरकार ने नामजद किये हैं उनमें हमारा विश्वास नहीं है। हम उनको अधिकार नहीं देन चाहते, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जिलाधीश ने उस फेडरेशन को ही डिजाल्व कर दिया और उसका अधिकार अपने हाथ में ले लिया। तो मैं समझता हूं कि वहां जनता जो फैसला करे, मेम्बर जो फैसला करें, उसको सरकार को मानना चाहिये। हां, अगर वह चोरी करते हैं, गड़बड़ करते हैं, पक्षपात करते हैं तब तो आप डिजाल्व करें, लेकिन एक आदमी आपका वह नहीं मंजूर करता है तो उसके लिये फेडरेशन को ही डिजाल्व करके सारे पावर क्लेक्टर अपने हाथ में ले लें यह उचित नहीं है और इस तरह से देश में सहकारिता नहीं चल सकती है। इस बात को मान लेना चाहिये कि जब तक यह अधिकार सरकार के हाथ में या और दूसरे बड़े-बड़े आदमियों के हाथ में है नाम्जद करने का तब तक बहुत बड़ी खराबी इसमें रहेगी। इसको इस विधेयक में दूर करना चाहिये। अगर हम चाहते हैं कि जनता इस काम को चलाये तो बहुत जरूरी है कि सरकार इसमें हस्तेक्षेप न करे। सरकार उसी जगह पर हस्तक्षेप करे कि जहां वह यह देखे कि यहां लोग लाखों रुपया खा गये, गबन कर रहे हैं, वहां उन पर वह केस चलाये। मर्डर होता है और दूसरे जुर्म होते हैं, उनमें लोग पकड़े जाते है, सजायें होती हैं, फांसी पर लटकाये जाते हैं तो यह व्यवस्था तो होनी चाहिये, लेकिन अपना आदमी लादना चाहें और उसको वह मंजूर न करें तो आप उसको डिजाल्व कर दें जैसा कि बस्ती में हो रहा है, यह सब तमाशे नहीं होने चाहिये।

इस विधेयक में एक नयी बात और जोड़ी गई है वह है सहकारी खेती की बात। सहकारी खेती से तरक्की तो होगी, लेकिन आज जैसी हालत है अपने देश की, उसको हमें सोचना है और लोग क्यों इसका विरोध करते हैं, यह भी हमें सोचना है। अगर प्रति घर में गांवों के अन्दर किसान शिक्षित हो जायें तो वह इस सहकारिता को अपनायेंगे। उससे घबड़ाते इसलिये हैं कि वह लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। वहां एक सेक्रेटरी या सुपरवाइजर पहुंच जायगा तो वह सारे गांव पर हावी हो जायगा। वह सारे गांव के हिसाब किताब को हड़प जाने की कोशिश करेगा क्योंकि गांव के लोग तो जानेंगे नहीं कि कितना पैदा हुआ, कितने किलोमीटर या मिलीमीटर क्या हुआ, वह कुछ समझेंगे नहीं। जब वह नये पैसे को नहीं समझ सकते हैं तो इसको क्या समझेंगे? स्टेशन पर मैं देखता हूं जब नये पैसे का सवाल आता है तो वह नहीं समझ पाते कि कितना देना है। तो इतने बड़े सहकारी बिल के लिये पहले जनता शिक्षित होनी चाहिये। जब तक शिक्षा को जबरदस्ती के साथ उनमें नहीं फैलाया जायगा तो यह कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। इस प्रकार से यदि आप सहकारी खेती को जबदस्ती के साथ लाना चाहते हैं तो वह चल नहीं सकती है।

सरकार का पहला कर्त्तव्य यह है कि पहले एक जबरिया तालीम इस प्रदेश में चालू करे, तभी यह हमारी सहकारिता सफल हो सकती है। १०-१५ आदमी ऐसे गांव में होते हैं जिनके पास १०-१५ एकड़ तक जमीन होती है। चन्द लोग ऐसे होते है जिनके

[श्री प्रभूदयाल]

पास बहुत जमीन होती है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करने वाले हैं उनके पास जमीन बहुत कम होती है। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां की दशा देखकर और प्रान्त के दूसरे जिलों की दशा को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सहकारी खेती के जरिये से ही हिन्दुस्तान का किसान आगे बढ़ सकता है। प्रश्न यह होगा कि क्यों? क्योंकि कुछ चन्द लोगों के पास इतनी अधिक भूमि है कि न तो वे हल चला सकते हैं, न ट्रैक्टर चला सकते हैं, न अच्छा खाद पानी और बीज दे सकते हैं किन्तु ऐसे लोगों के पास बहुत जमीन हैं।

इसी सदन के जरिये से सीलिंग विधेयक पास हुआ। उस सीलिंग के जरिये से हमारे प्रदेश के लोगों को कितना लाभ होगा, गरीबों को कितनी भूमि उससे मिलेगी, यह एक सवाल है। जो बिल पेश हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं,लेकिन छोटे किसान और गरीबों को कितना लाभ पहुंचेगा यह देखना है। अगर छोटे किसानों को लाभ पहुंच सकता है, अगर भूमिहीनों को लाभ पहुंच सकता है तो वह सहकारी खेती से ही पहुंच सकता है। जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपनी सीलिंग पहले से ही कर दी है। उन्होंने अपनी जमीन अपनी धर्मपत्नी, लड़का, साला, बहनोई, भतीजा और भाई के नाम पहले ही कर दिया है। सरकारी काग़ज पर अब सीलिंग होने वाली है, लेकिन उन्होंने सीलिंग पहले ही कर दी है। जनता को उस सीलिंग से लाभ नहीं होगा। अगर लाभ हो सकता है तो वह सहकारी खेती के जरिये से ही हो सकता है। अगर हम सहकारी खेती को प्रोत्साहन दें और उसके लिये कानून बनाकर लागू करें तो किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा और हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग का भी लाभ होगा। ब्राह्मण और ठाकुर सब का उससे लाभ होगा।

हर कौम के अन्दर गरीब लोग हैं। आज गरीबों की संख्या इस प्रदेश के अन्दर ७०–८० फीसदी तक है। वह सब लोग इससे फायदा उठायेंगे। चन्द लोग ही बड़े हैं जिनके पास अधिक भूमि है और वे अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी कारण करोड़ों रुपये का अनाज बाहर के देशों से अमेरिका और कनाडा से मंगाना पड़ता है। यदि इस प्रकार से बाहर से अनाज मंगाया जाता रहा तो कभी भी हमारे देश पर संकट आ सकता है और जब संकट आयेगा तो हम अपने देश की रक्षा, अपने देश की आजादी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। बाहर के देशों से अनाज मंगाकर हम अपनी स्वतन्त्रता की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। सहकारी खेती से ही हम अपने प्रदेश में और देश में अनाज की पैदावार बढ़ा सकते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश में स्वतन्त्रता बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती है, यदि हम बाहर के मुल्कों से अनाज मंगाकर यहां की जनता को खिलाते रहे।

आप जानते हैं कि चीन बहुत बड़ा देश है। वहां पर अमेरिका ने अरबों डालर खर्च करके चांग काई शेक की सरकार को कायम रखने की चेष्टा की। वहां पर बहुत सा उसने सुधार करने का भी प्रयत्न किया कि किसी तरह से चांग काई शेक की हुकूमत वहां पर बनी रहे, लेकिन उस देश से गरीबी दूर नहीं हुई। उस देश में गरीबी दिन ब–दिन बढ़ती गई और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर एक बहुत बड़ी क्रान्ति हुई और उस क्रान्ति के बाद जनतन्त्र उस देश में आया और इतना तगड़ा आया कि चीन के लोगों ने काफी उन्नति की। उन लोगों ने यहां तक उन्नति की कि आज वे दूसरे देशों को अनाज दे सकते हैं। और भी जिन चीजों की कमी देश में होती है, वह वहां पर नहीं है। वह सहकारी खेती करते हैं। सब मिलकर परिश्रम करते हैं। जो दूसरों की कमाई खाना चाहते हैं और दूसरों की कमाई पर ही आराम की जिन्दगी व्यतीत करना चाहते हैं वह खेती पर मेहनत करना पसन्द नहीं करते हैं, वह लोग देश की पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं। वह तो अपनी सीरदारी और भूमिधरी कायम रखना चाहते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग इस प्रकार के क्रान्तिकारी विधेयक का विरोध करते हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि जब यह देश बहुत दिनों तक इस तरह के धपले में रहे या इस प्रकार के अन्धकार में रहे। यदि कोई पार्टी इस प्रकार के विधेयक का विरोध करेगी तो जनता स्वयं उसका उत्तर देगी। यह हो सकता है कि कुछ दिन तक आप गलत नारों से वोटरों को बहका सकें

और किसानों को बहका सकें, लेकिन आगे चल कर आप देखेंगे कि आपको अगर इस देश की आजादी को आगे बढ़ाना है तो आपको सहकारी खेती पर ज्यादा जोर देना होगा। अगर हमारी सरकार इस ओर कदम नहीं उठाती तो उस अन्य कामों में दिक्कत पड़ेगी। उसे जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं बड़े बड़े काम करने हैं, वह नहीं हो पायेंगे और वह दलदल में फंस जायगी और उसकी गाड़ी निकल नहीं सकती।

आज हर इंसान खाना और कपड़ा चाहता है और इनको कमी होने से देश में दूसरे ढंग की व्यवस्था हो सकती है। इससे बचने के लिये सहकारी खेती ही एक मात्र उपाय है और इसके लिये बड़े-कड़े ढंग की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये लोगों को मजबूर किया जाय, स्वेच्छा से लोग इसे नहीं अपनायेंगे। सामाजिक प्रचार से, कबीरदास की भजनावली से या तुलसीदास के दोहों से यह सहकारी खेती यहां सफलता नहीं प्राप्त कर सकती। इसके लिये कड़े कानून की आवश्यकता है और उसके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। इसके लिये सरकार को मजबूत कदम उठाने होंगे। आपने देखा कि देश की आबादी बढ़ी है, हर कस्बे और मोहल्ले की आबादी बढ़ी है और इस देश में खाने की कमी है। इन हालात में क्रान्ति हो सकती है, किन्तु क्रान्ति न हो पाने पर कम से कम चोरी, डकैती तो बढ़ेगी ही। इसे रोकने के लिये सरकार को सहकारी खेती पर ही अधिक बल देना होगा। इसे न अपनाने से देश के उत्पादन में कमी होगी और देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक में जो मामूली ढंग से सहकारिता का अध्याय जोड़ा गया है, वह काफी नहीं है। शायद पंडित नेहरू को खुश करने के लिये वह अध्याय मामली ढंग से इसमें जोड़ दिया गया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मेरा सुझाव है कि जब यह विधेयक प्रवर समिति में जाय तो वहां सरकारी सदस्यो को इसे देखना होगा कि इस विधेयक द्वारा सहकारी खेती इस प्रदेश में किस प्रकार बढ़ सकती है। हमारा प्रदेश औद्योगिक प्रदेश नहीं है और बिहार या बंगाल की तरह हमारी भूमि भी उपजाऊ नहीं है। इसके अलावा यहां ८० प्रतिशत लोग खेती करते हैं, इसलिये मेरी अपील है कि इस अध्याय को इस बिल में और ज्यादा सख्त बनाया जाय ताकि लोग मजबूर होकर सहकारी खेती अपनायें। यहां के ९० फीसदी किसान सहकारी खेती के पक्ष में हैं। बड़ी-बड़ी फैक्टरियां टाटा, बिरला आदि की लिमिटेड कम्पनियां हैं और वे सहकारी ढंग से अपना काम करती हैं और लाखों करोड़ों रुपया मुनाफा कमाती है, लेकिन सरकारी तरफ से जो व्यापार होता है उसमें घाटा होता है। मैं इस समय उसके कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर सहकारी चीनी मिल, कपड़ा मिल, सीमेंट फैक्टरी खोली जायं तो वह अच्छी चल सकती हैं, लेकिन सहकारिता में जरूरत है लोगों के ईमानदार होने की। अगर हम लोग ईमानदार हो जायं तो सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाया जा सकता है। जब किसान यह समझेगा कि सहकारिता के जरिये वह अच्छा भोजन कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, उसको अन्य सभी प्रकार की सुविधायें मिल सकती हैं तो वह इस ओर रुचि लेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब विरोधी भाई गांव में जाते हैं तो किसानों से यही कहते हैं कि इस सहकारिता द्वारा तुमको रोटी भी नहीं मिलेगी।

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं उन माननीय सदस्यों से कि क्या उन्होंने रूस और चीन के आदमियों को देखा है ? क्या उनको रोटी नहीं मिलती ? वे लोग हम लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। यह इसी सहकारिता का फल है कि वे लोग हमसे ज्यादा उन्नतिशील हैं। हम सहकारिता के जरिये ही किसानों को दूध दे सकते हैं, अच्छा भोजन दे सकते हैं, उनको अच्छा कपड़ा दे सकते हैं .....

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि आप विषय के बाहर जा रहे हैं। आप कृपया बिल के संबंध में ही बोलें। उसमें जो संगठन आदि का जिक्र है, उस तक ही अपने विचार प्रकट करें, अन्यथा कृपया बैठ जायं।

श्री प्रभुदयाल—मैं, श्रीमन्, सहकारिता क्यों जरूरी है, यह बता रहा था और उसका संबंध इसी बिल से था।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यहां चीन के मामले में तीन दिन तक बहस हुई और माननीय सदस्यों ने चीन का विरोध किया और आज माननीय सदस्य अपने भाषण में चीन की ही तारीफ कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रभुदयाल—अगर उनको कोई अच्छी बात है तो उसको जरूर कहा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य कृपया उनकी बात का जवाब न दें। अपनी बात पर आ जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—बिल उन्होंने पढ़ा ही नहीं है।

श्री प्रभुदयाल—बिल तो श्री मोतीलाल अवस्थी जी ने ही पढ़ा है। आप देखें, उसमें सहकारी कृषि का जिक्र है या नहीं?

तो मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि अगर इस देश की भलाई हो सकती है तो वह इस बिल द्वारा सहकारिता के आधार पर ही हो सकती है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—माननीय सदस्य सहकारिता की पुस्तक पढ़ कर आये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, श्री तेजबहादुरसिंह जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं जिसके द्वारा उन्होंने यह कहा है कि इस विधेयक को गांव-गांव में घुमाया जाय। श्रीमन्, मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं भी कांग्रेस की तरह कम्युनिस्टों से गठबन्धन करना चाहता हूं, इसलिये भी नहीं कर रहा हूं कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनसे मैं सहमत हूं। मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन केवल एक मात्र इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार के इस विधेयक को अपनी एक असली जगह पर पहुंचाया जा सकता है। श्रीमन्, आप देखते होंगे कि इस सदन में आधिक्य किन लोगों का है और किस विचारधारा के लोगों का है। आप गांव के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा कि गांव वाले किस विचारधारा के हैं। मैं थोड़ी देर के लिये माने लेता हूं, हालांकि वह गलत चीज है कि सहकारिता या संयुक्त सहकारिता से ही कृषि का उत्थान हो सकता है, मगर जिस आदमी का उत्थान कराना चाहते हैं उससे राय न लें तब तक कैसे कहा जा सकता है कि आपका सोचना सही है? इसीलिये मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि "कृषकों तथा शिल्पकारों और अन्य व्यक्तियों में मितव्ययिता तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने, मुनाफाखोरी तथा शोषण रोकने और राज्य के सामान्य आर्थिक विकास में सहायता देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की स्थापना में और सुविधाएं देना तथा उसे प्रोत्साहित करना और इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों से सम्बद्ध विधि को संहत और संशोधित करना इष्टकर है।" इसमें तीन उद्देश्य बतलाये गये हैं। पहला मितव्ययिता। जरा आप सोचें कि मितव्ययिता सिखाना किसको चाहते हैं? जिसका पेट आधा भरता है, २४ घंटों में एक बार भी भर-पेट जिसको भोजन नहीं मिलता है जिसका आधा बदन नंगा रहता है, जिसके घर में रोशनी नहीं चिराग नहीं, जिसके मकान पर छप्पर नहीं है, ये उसको मितव्ययिता सिखा रहे हैं। इस बिल में "मितव्ययिता" शब्द क्यों रखा गया है? इससे सिद्ध होता है कि हमारे कृषक और शिल्पकार फिजूल खर्च हैं, इनकी आमदनी इतनी ज्यादा है कि उनको मितव्ययी होना चाहिये, यह हमारी सरकार कहती है।

एक छोटा-सा किस्सा है, मैं निवेदन कर दूं तो अप्रासंगिक न होगा। एक साहब थे, उनके पास एक अशरफी थी और एक गाय थी। बैठे हुए अपने घर में बात करते थे कि संसार में ऐसा

कौन है जिसके पास एक अशर्फी और एक गाय नहीं है ? एक मानसिंह के गिरोह वाले ने सुन लिया। दूसरे दिन उसने उनकी गर्दन पकड़ कर वह अशर्फी भी ले ली और गाय भी ले ली। तब वह कहने लगे कि कौन ऐसा आदमी है जिसका खाने का भी ठिकाना नहीं है ? तो सावन के अंधे को हमेशा हरियाली ही सूझती है क्योंकि वे स्वयं फिजूल खर्च हो चुके हैं। इसलिये मितव्ययिता की जरूरत इन्हें हर जगह दिखाई पड़ती है और अपनी फिजूलखर्ची किसानों पर लादना चाहते हैं और उसी के लिये सहकारिता पर जोर दिया जा रहा है।

दूसरा उद्देश्य स्वावलम्बन। "स्वावलम्बन" की अगर व्याख्या की जाय तो 'स्व' और "अवलम्बन" यानी अपने पैरों पर, जिम्मेदारी लेकर खड़ा हो सके, वही स्वावलम्बी कहा जा सकता है, लेकिन सहकारिता से और स्वावलम्बन से क्या ताल्लुक है ? स्वावलम्बी तो मनुष्य तभी हो सकता है जब वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाय। आप जब चारों तरफ से कंधा लगाये हुए घूम रहे हैं तो स्वावलम्बन कहां से हुआ ? यह तो आप भी उसको परावलम्बी बना रहे हैं और दूसरों पर उसको आधारित कर रहे हैं, उसके अन्दर जो प्राइवेट इन्सेंटिव है उसको मार कर उसको सरकारी मशीन बना देना चाहते हैं। इसीलिये दूसरा उद्देश्य भी इनका सिद्ध नहीं होता।

तीसरा उद्देश्य है सरकारी अर्थव्यवस्था में उन्नति। बिलकुल सही यही है। इसी के लिये यह विधेयक आया है। पता नहीं क्यों हमारे उधर के दोस्त ख्वाहमख्वाह यह समझ लेते हैं कि कोई भी बात जो सरकार करेगी, उसमें कुछ थोड़े से लोग फंसेंगे, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं या जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं। यह एक भ्रम है और उसको मैं अभी एक एक धारा लेकर सिद्ध करके यह बतलाऊंगा कि कैसे यह भ्रम है। इस विधेयक से किस का सबसे अधिक नुकसान होने वाला है यही देखने की चीज है। सरकार की आय में वृद्धि जरूर होगी, इसे मैं मानता हूं। सरकार के खूनी पंजे किसान के गले पर और जकड़ जायंगे, इसे मैं मानता हूं। जो पहला और दूसरा उद्देश्य है, वह केवल विडम्बना है, यही एक सही चीज है जिसके लिये सरकार इस विधेयक को लायी है।

श्रीमन्, आप यह देखें कि जैसा करीब-करीब सभी बोलने वाले, चाहे इधर के चाहे उधर के बोले, सबने एक स्वर से कहा कि इस सहकारी विधेयक में एक निबन्धक महोदय हैं और वही सर्वेसर्वा हो गये हैं। निबन्धक साहब चाहें तो डाइरेक्टर को बरख्वास्त कर दें, वह जो चाहे कर दें। श्रीमन्, इन निबन्धक साहब को रखेगा कौन ? वह हमारी सरकार। यह इसी बिल में है। श्रीमन्, अध्याय २ के खन्ड ३ में क्या कहते हैं 'राज्य सरकार किसी व्यक्ति' श्रीमन्, मैं शब्द "किसी व्यक्ति" पर जोर देना चाहता हूं वह "किसी व्यक्ति" कौन होगा? खैर, तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य की सहकारी समितियों के निबन्धक के पद पर नियुक्त कर सकती है तथा ऐसे निबन्धक को सहायता देने के लिये व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। मालूम होता है कि छान उठाना है जो अकेले निबन्धक साहब से नहीं हो सकता तो ४-६ आदमियों को और नियुक्त कर देंगे और निबन्धक की नियुक्ति सरकार ने अपने हाथ में ले ली और निबन्धक के हाथ में पूरा कोआपरेटिव आन्दोलन दे दिया। पूरी कोआपरेटिव सोसाइटियां निबन्धक की मुट्ठी में और निबन्धक सरकार की मुट्ठी में। अब आप जरा सोचिये कि यह सहकारी आन्दोलन सरकारी आन्दोलन होकर रह गया या नहीं। मैंने जो निवेदन किया था कि "किसी व्यक्ति" की कोई परिभाषा नहीं है, उसके लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई किसी किस्म का आधार नहीं है कि वह 'किसी व्यक्ति' कौन साहब होंगे ? जिसके ऊपर हमारी सरकार की नजर पड़ जाय और वह "किसी व्यक्ति" में आ जाय तो वह निबन्धक बना दिये जायं और वह चाहे जो कर डालें उनके लिये कोई चीज सहकारी आन्दोलन में अवैध नहीं रह जायगी। इस तरह से तो यह सहकारी आन्दोलन नहीं सरकारी आन्दोलन है और सहकारी पालिसी नहीं, निबन्धक पालिसी है।

श्रीमन्, अब मैं जरा सा और निवेदन करूंगा कि किस तरीके से सरकार उन सहकारी समितियों को अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है। यह देखें श्रीमन्, खण्ड १८, इसमें क्या कहा गया

[कुंवर श्रीपालसिंह]

है ? सहकारी समिति में साधारण सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होंगे। साधारण सदस्य तो वह हुए जिन्होंने अपना अंशदान दिया, पैसा दिया, जमीन दी या कुछ भी दिया, किसी भी तरह से अंशदान दिया तो वह साधारण सदस्य हुए। मगर चूंकि हमारी सरकार को यह इत्मीनान नहीं है कि साधारण सदस्य इतने अधिक आ जायंगे उन समितियों में सरकार को मुट्ठी वाले कि जिनके द्वारा सरकार जो चाहे सो करा ले, इसलिये सरकार ने सदस्यों के तीन ग्रुप बनाये। जरा देखने वाली चीज है। श्रीमन्, आप भी सोचेंगे कि आपके सामने क्या उम्दा बिल आया। तीन प्रकार के सदस्य कौन-कौन हैं ? पहले सहानुभूतिकर सदस्य। शब्द "सहानुभूतिकर" जरा सोच लीजिये। उनके पास टका नहीं जमीन नहीं, केवल सहानुभूति है। वह सदस्य हो गये और सरकार की तरफ से हाथ उठाने के लिये वहां मौजूद हैं।

आगे चलकर उससे भी बढ़िया शब्द है। 'नाम मात्र के सदस्यों' क्या बात कही है सरकार ने जिसका जवाब नहीं। तीसरे साहब कौन हैं ? 'सम्बद्ध सदस्य।' जोड़ दिये गये हैं माल-गाड़ी के डिब्बे। क्या उम्दा बात कही है ? अब श्रीमन्, इन लोगों से क्या काम लिया जायगा ? यह तीन प्रकार के जो सदस्य रखे गये हैं इनका क्या मतलब है ? इनका जो मतलब है वह मैं आगे चलकर दूसरी धाराओं से सिद्ध करूंगा कि इस गोरखधंधे का क्या मतलब है।

श्रीमन्, साधारण सदस्य तो समझ में आ गये, लेकिन सहानुभूतिकर क्या करेंगे उनकी परिभाषा भी आप जरा देख लें तो सारी पोल खुल जायगी। वह व्यक्ति जिसके साथ सहकारी समिति कारोबार करती है या कारोबार करने का विचार रखती है। "विचार" शब्द पर मैं जोर दे रहा हूं। आप गौर से सोचें। वही आपके नाम मात्र के सदस्य बनाये जा सकते हैं। नाम मात्र का सदस्य कौन बन सकता है जिसके साथ सहकारी समिति व्यापार करने का विचार रखती हो। यह जरूरी नहीं है कि व्यापार करती हो, खाली विचार भी रखती हो तो भी वह सदस्य हैं। तो श्रीमन्, इसी प्रकार के जो तीनों सदस्य हैं उनकी किसी भी योग्यता की जरूरत नहीं है। खाली जुड़े हुए तो हैं ही।

अब श्रीमन् एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने लाभ के बटवारे के बारे में जो कहा है वह भी देखने वाली चीज है क्योंकि उसके लिये बड़ा ढिंढोरा पिट रहा है कि तमाम लाभ ही लाभ हो जायगा। जिनके पास छोटी-छोटी जमीनें हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, उनको कल सहकारी आन्दोलन, सहकारी खेती हो जाने से न मालूम क्या मिल जायगा। जो मिल जायगा वह भी जरा सुन लें। २६ पेज पर दिया हुआ है "सदस्यों को उनके अंश-पूंजी पर ६ प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान"। अधिक से अधिक ६ प्रतिशत। किस चीज पर ? पूंजी पर। पूंजी क्या होगी ? जैसे आपके पास १० एकड़ जमीन है वह आपने सहकारी खेती में दे दी। उस दस एकड़ जमीन का रोजिस्टर रेट से लगान अगर १०० रुपया है तो उसका बीस गुना दो हजार की मालियत समझी गई और दो हजार का अंशदान हुआ। अब इस पर ६ प्रतिशत से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, अगर कोई लाभ हो, तो उसमें "अगर हो" शब्द है। दो हजार का ६ प्रतिशत १२० रुपये साल हुआ। श्रीमन्, आप भी खेतिहर हैं, इस दस एकड़ में अगर दो फसल ली जायं तब भी दस हजार रुपये साल का नफा हो सकता है। मगर हमारी सरकार केवल १२० रुपये टिका कर कह देगी कि आप अपना लाभ पा गये।

अब श्रीमन्, देखें कि सहानुभूति के सदस्यों का इस्तेमाल कहां किया जायगा। जहां सहकारी कृषि समितियों का निर्माण बताया गया है वहां कहा गया है कि "यदि दस अथवा अधिक व्यक्ति किसी मंडल की भूमि में भूमिधरी या सीरदारी अधिकार को धारण करते हों और उस भूमि का समुच्चय करना चाहते हों" श्रीमन्, यहां तक तो ठीक है। अब आगे वे कहते हैं "अथवा

समिति के नाम पर किसी मंडल में भूमि मिलाकर अर्जित करने के अभिलाषी हों"। यह असल चीज है कि दस आदमी किसी भी मंडल में समिति बनाते हैं और किसी भी मंडल में भूमि लेने के अभिलाषी होते हैं तो वे भूमि ले सकते हैं। अब यह कौन-कौन लोग होंगे मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, वे समझ रहे थे कि उनको ही लाभ होने वाला है, लेकिन फायदा उस व्यापारी को होगा जो नाम मात्र का सदस्य होगा, जोकि जोंक की तरह पैसा खींचता है और जिसका जमीन से कोई मतलब ही नहीं है। दस आदमी इकट्ठा हो गये और एक सोसाइटी बना ली और किसी भी मंडल में जमीन अर्जित करके खेती करने लग गये। अब इसमें एक चीज और है कि वे चकबन्दी भी करा सकते हैं। कहते हैं कि सहकारी कृषि समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी की कार्यवाही करे। इस कार्यवाही में वे नाम मात्र वाले आ गये। वे कलेक्टर को लिख देंगे कि हम खेती करेंगे और जमीन अर्जित कर ली जायगी और जो गांव में बसने वाला है उसके पास वाली जमीन ले ली जायगी। जिन लोगों की जमीन होगी उनको बराबर की मालियत की दूसरी जमीन दे दी जायगी। अब मालियत के लिये लिखा गया है कि "विनिमय में की हुई भूमि की मालियत के जो लगभग बराबर हो, यदि मूल्य में कोई अन्तर हो तो प्रतिकर के नकद भुगतान का भी निर्देश देगा" अगर बराबर वैल्युयेशन की जमीन नहीं मिलती है तो नाम मात्र के सम्बद्ध लोगों ने जमीन ले ली और अब बेचारे किसान को उसी हैसियत की जमीन मिल जायगी या उसको प्रतिकर मिल जायगा।

प्रतिकर जिस हिसाब से मिलता है उसे तो आप जानते ही हैं कि नहर तथा अन्य कामों के लिये सरकार जमीन ले लेती है २५-२५ एकड़ के फार्म खोलने के लिये ले लेती है। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू तीन हजार रुपये एकड़ होती है उसके ५०० रुपये टिकाती है और अगर चाहती है तो उसके बांड बनाकर भी दे देती है। पाने वाला चाहे तो उसे ही लेकर चाटे।

श्रीमन्, एक चीज और कहता हूं कि इसमें भूमि की वापसी भी होगी। बड़ी अच्छी बात कही। जरूर होनी चाहिये। जब कोई सदस्य न चाहे और यह देखे कि सहकारी और सरकारी के बीच में किस्सा ही खत्म हुआ जा रहा है तो जरूर उसको अलग हो जाना चाहिये। मगर उसके लिये यह कानून क्या कहता है? "यदि कोई सदस्य जिसने सहकारी कृषि समिति को भूमि अंशदान के रूप में दी हो, सदस्य न रह जायगा तो अंशदान के रुप में दी हुई भूमि लौटा दी जायगी" यहां तक तो सही है। अब "अथवा" इसमें फिर लग गया। यह "अथवा" वाली चीज देखने वाली है। एक साहब थे काफी हाउस में बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तो इतना बड़ा खरगोश देखा। दूसरे ने कहा कि इतना बड़ा खरगोश होता ही कहां है। उन्होंने कहा कि अभी नीचे वाला हाथ तो लगाया ही नहीं। तो इसी तरह से ऊपर तो बहुत अच्छी बात कह दी कि जमीन वापस कर दी जायगी। अब आगे "अथवा" से आगे वह नीचे वाला हाथ है। "समिति के पास शेष रहने वाली अथवा सदस्य को लौटाई जाने वाली भूमि की सघनता बनाये रखने के लिये उसे समान मूल्य की अन्य जमीन दे दी जायगी।" यहां भी "अथवा" काम कर गया। एक समिति की भूमि को और एक सदस्य की भूमि को चक में रखने के लिये उसको जमीन दूसरी जगह दी जायगी। सरकार को उस सदस्य की भी बड़ी भारी फिक्र है। अब घर के पास वाली जमीन को तो सहकारिता वालों ने ले लिया और दूर वाली उसको दे दी। इस प्रकार से अनेक चीजें हैं। एक दो चीज हो तो उसके लिये कहा जाय।

अब जरा देखिये कर लगाने का तरीका क्या है? सहकारी समिति पर जो कर लगाया जायगा, जो मेरे दोस्त मुझसे पहले बोल रहे थे उनसे मैं निवेदन करूंगा खास तौर से कि वह कृपया सुन लें, उसमें यह है कि "किसी सहकारी कृषि समिति पर कर लग सकने वाले करों का निर्धारण इस आधार पर किया जायगा कि प्रत्येक सदस्य भूमि के बराबर अंश धारण कर रहा है"। अब देखा जाय कि किसी का अंशदान १०० बीघा है और किसी का एक बीघा है तो जितना कर १०० बीघे वाले पर लगेगा उतना ही एक बीघे वाले पर भी लगेगा और यह बात निश्चित है कि कानून में दोनों को बराबर कर दिया है। यह है मजा, यह है

[कुंवर श्रीपालसिंह]

कानूनी बराबरी। यह है सहकारिता और इनका समाजवाद। सब बराबर हैं जिसकी छोटी जमीन है उस पर भी उतना ही कर और जिसके पास बड़ी है उस पर भी उतना ही कर .....

श्री अधिष्ठाता—अब ५ बजे हैं, मैं समझता हूं आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें। अब हम उठते हैं और १६ तारीख, मंगलवार को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे मंगलवार, १६ मई, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१२ मई, १९६१।

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर)

वर्ष	कुल जगहें, जो मंजूर हुईं	भरी हुई जगहों की संख्या	खाली जगहों की संख्या
१९५९–६०	६	२	४
१९६०–६१	१	१	शून्य
योग ..	७	३	४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९६ एल० ए०—१९६१–८४५।